विषय -सूची

क्रम सं	विषय	पृष्ठ
1.	2016-2017 के दौरान प्रबन्धन	1
2.	06.07.2017 के अनुसार बोर्ड के सदस्य	2
3.	बैंकर्स, अंकेक्षक तथा पंजीकृत कार्यालय	3
4.	42 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना	4
5.	अध्यक्ष का कथन	7
6.	उपलब्धि एक नजर में	17
7.	वित्तीय सांख्यिकी एवं पर्यवेक्षण	18
8.	निदेशक-मंडल की रिपोर्ट	20
9.	निदेशक-मंडल की रिपोर्ट की अनुसूची	115
10.	सीईओ एवं सीएफओ प्रमाण पत्र	124
11.	निगमित शासकीय प्रमाण-पत्र	131
12.	सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन का उत्तर तथा सचिवीय अंकेक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन का उत्तर	132
13.	धारा 143 (6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	147
14.	लेखे का अंकेक्षित विवरण	152
15.	कैशफ्लो विवरण के साथ लेखे पर टिप्पणी	157
16.	महत्वपूर्ण लेखा नीति तथा खण्डवार विवरण सहित लेखे पर टिप्पणी	196

31.03.2017 के अनुसार निदेशक मंडल

कार्यकारी निदेशक

श्री शेखर सरन

श्री वी.के. सिन्हा

श्री बिनय दयाल

श्री ए.के. चक्रवर्ती

अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री सी.के. डे

श्री डी.एन. प्रसाद

स्वतंत्र निदेशक

डा. देबाशीष गुप्ता

श्री राजेन्दर प्रसाद

स्थाई आमंत्रित सदस्य

श्री पीयूष कुमार

वर्ष 2016-2017 के दौरान प्रबंधन

श्री शेखर सरन	:	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (01.01.2016 से)

कार्यकारी निदेशक

श्री वी.के. सिन्हा	:	निदेशक (तकनीकी) (08.01.2014 से)
श्री विनय दयाल	:	निदेशक (तकनीकी) (01.12.2015 से)
श्री ए.के.चक्रवर्ती	:	निदेशक (तकनीकी) (03.08.2016 से)
श्री बी.एन.शुक्ला	:	निदेशक (तकनीकी) (16.08.2016 तक)

अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री देवुलापल्ली नरसिंम्हा प्रसाद	:	सलाहकार (परियोजना), कोयला मंत्रालय (27.1.2010 से)
श्री चन्दन कुमार डे	:	निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड (19.12. 2016 से)
श्री नागेन्द्र कुमार	:	निदेशक (तकनीकी), कोल इंडिया लिमिटेड (17.10.2016 तक)

स्वतंत्र निदेशक/अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

श्री राजेन्दर प्रसाद	:	निदेशक (17.11.2015 से)
डा. देबशीष गुप्ता	:	निदेशक (17.11.2015 से)
श्री राकेश कुमार मित्तल	:	निदेशक (31.10.2016 तक)

स्थायी आमंत्रित सदस्य

श्री पीयूष कुमार	:	निदेशक (तकनीकी), कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (06.05.2015 से 8.6.2017 तक)

कम्पनी सचिव

श्री अभिषेक मुँधड़ा	:	(18.02.2016 से)

06.07.2017 के अनुसार बोर्ड के सदस्य

कार्यकारी निदेशक

श्री शेखर सरन	:	अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक
श्री वी.के. सिन्हा	:	निदेशक (तकनीकी)
श्री विनय दयाल	:	निदेशक (तकनीकी)
श्री ए.के. चक्रवर्त्ती	:	निदेशक (तकनीकी)

अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री चन्दन कुमार डे	:	निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
श्री पियूष कुमार	:	निदेशक (तकनीकी), कोयला मंत्रालय

स्वतंत्र निदेशक

श्री राजेन्दर प्रसाद	:	स्वतंत्र निदेशक
डा. देबाशीष गुप्ता	:	स्वतंत्र निदेशक

कम्पनी सचिव

श्री अभिषेक मुँधड़ा	:	कम्पनी सचिव

बैंकर्स, अंकेक्षक तथा पंजीकृत कार्यालय

बैंकर्स

स्टेट बैंक आफ इंडिया

केनरा बैंक

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया

आईडीबीआई बैंक

एक्सिस बैंक

अंकेक्षक

मेसर्स के.सी. टॉक एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

1, न्यू अनन्तपुर, राँची-834002

निबंधित कार्यालय

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि0,

गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची- 834 031, झारखण्ड, भारत

CIN : U14292JH1975GOI001223

वेबसाइट : www.cmpdi.co.in

42 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के सभी सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कारोबार के संचालन के लिए कंपनी की 42वीं वार्षिक आम बैठक कंपनी के निबंधित कार्यालय में दिनांक 6 जुलाई, 2017 दिन वृहस्पतिवार को पूर्वाहन 11.30 बजे आयोजित की जाएगी।

क. सामान्य कार्य :

1. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरण के साथ–साथ भारत के सांविधिक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर विचार करना तथा अंगीकार करना।
2. श्री विनय दयाल, (डीआईएन–0736625) पूर्णकालिक निदेशक जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसार चक्रानुक्रम (रोटेशन) की शर्तों के अनुसार सेवा–निवृत्त हो रहे हैं एवं पुनर्नियुक्ति के योग्य है तथा अपने आपको प्रस्तावित करते हैं, के बदले एक निदेशक नियुक्त करना।
3. श्री ए.के. चक्रवर्त्ती, (डीआईएन–07601841) पूर्णकालिक निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के चक्रानुक्रम की शर्तों के अनुसार सेवा–निवृत्त हुए हैं, जो पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं तथा अपने आपको इसके लिए प्रस्तावित करते हैं, के बदले एक निदेशक नियुक्त करना।

ख. विशेष कार्य :

1. यदि विचार किया गया तथा उपयुक्त पाया गया तो निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में संशोधन सहित या संशोधन के बिना पारित करना :

   संकल्प किया गया कि दिनांक 2.9.2016 को आयोजित बोर्ड की 197वीं बैठक में बोर्ड द्वारा कास्ट आडिटर्स मेसर्स डीजीएम एंड असोसिएट्स, कोलकाता को अंकेक्षण एवं ऊपरी जेब खर्च हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए अनुमोदित परिलब्धि 98,440 रू. प्रति वर्ष एवं लागू कर कास्ट आडिट शुल्क के 50 प्रतिशत तक सीमित को एतद् द्वारा संशोधित किया गया है।

   उपर्युक्त विशेष व्यवसाय के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न किया जाता है।
2. यदि विचार किया गया तथा उपयुक्त पाया गया तो निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में संशोधन सहित या बिना संशोधन के पारित करना :

   संकल्प किया गया कि दिनांक 24.5.2017 को अपनी 204वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड द्वारा कास्ट आडिटर्स मेसर्स डीजीएम एंड असोसिएट्स, कोलकाता को अंकेक्षण एवं ऊपरी जेब खर्च हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए अनुमोदित परिलब्धि 1,47,650 प्रति वर्ष के साथ–साथ लागू कर जो कास्ट अंकेक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत तक सीमित था को एतद् द्वारा संशोधित किया जाता है।

   उपर्युक्त विशेष व्यवसाय के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण को इसके साथ संलग्न किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
वास्ते– सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

दिनांक : 23.06.2017

(अभिषेक मुंधड़ा)
कंपनी सचिव

ध्यातव्य :

1. वैसा सदस्य जो बैठक में भाग लेने तथा मत डालने का हकदार है, अपने बदले बैठक में भाग लेने तथा मत डालने के लिए किसी एवजी या एवजियों को नियुक्त कर सकता है तथा उक्त एवजी को कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। इसे लागू करवाने के लिए विधिवत् भरा हुआ एवजी (प्रॉक्सी) फार्म वार्षिक आम बैठक होने की निर्धारित तिथि से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के निबंधित कार्यालय में जमा करा दिया जाना चाहिए।
2. सदस्यों से अनुरोध है कि कंपनी अधिनियम की धारा 101(1) के प्रावधान के अनुसार अल्पकालीन सूचना पर बैठक आयोजित करवाने की अपनी सहमति दी जाए।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसरण में तथा 26 सितम्बर, 2002 को आयोजित 27वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी के सदस्यों के संकल्प (डिटरमिनेशन) के अनुसार निदेशक मंडल को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। निदेशक मंडल भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों के पारिश्रमिक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के तहत निर्धारित किया जाता है।

प्रति :

सभी शेयर धारक,

कम्पनी के सभी निदेशकगण ,

अंकेक्षण समिति के अध्यक्ष,

मनोनीत एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष,

कंपनी के सांविधिक अंकेक्षक तथा

कम्पनी के सचिवीय अंकेक्षक

कंपनी के कॉस्ट आडिटर

महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक वक्तव्य

1. वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कॉस्ट आडिटर के पारिश्रमिक में संशोधन

कंपनी (कॉस्ट आडिट रिपोर्ट) नियम 2011, 3 जून, 2011 को अधिसूचित किया गया। ये कंपनी अधिनियम द्वारा जारी शक्तियों का कार्य रूप में लाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स (एमसीए) द्वारा जारी किया गया था। एमसीए ने वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 और इसके आगे से कॉस्ट आडिट रिपोर्ट के लिए अनुपालन रिपोर्ट (कमप्लीएन्स रिपोर्ट) बनाना अनिवार्य कर दिया है।

सीएमपीडीआईएल की इस कॉस्ट एकाउन्टिंग पॉलिसी कोल इंडिया लिमिटेड के समग्र कॉस्ट एकाउन्टिंग पॉलिसी का भाग रहा है। दिनांक 02.09.2016 को आयोजित इसकी 197वीं बैठक में ऑडिट कमिटि की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2018–19 के लिए कॉस्ट आडिट शुरू करने के लिए मेसर्स डीजीएम एंड असोसिएट कोलकाता की नियुक्ति को अनुमोदित कर दिया है।

वित्त वर्ष 2016–17 के लिए कास्ट आडिटर के रूप में मेसर्स डीजीएमएंड असोंसिएट कोलकाता की नियुक्ति और अनुमोदन पर उसके बैक ग्राउंड और अनुभव के आलोक में विचार किया गया। बशर्ते की 98,440/–रू.

प्रति वर्ष प्लस लागू होने योग्य कर और कॉस्ट आडिट फी के 50 प्रतिशत पाकेट खर्च पर वर्ष 2016–17 के लिए कास्ट आडिटर के पारिश्रमिक में, और आम बैठक में नियुक्ति में संशोधन न हो।

कंपनी (आडिट एंड आडिटर) नियम 2014 के नियम 14 के साथ गठित कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 148 के अनुसार कॉस्ट आडिटर्स के रूप में मेसर्स डीजीएम एंड असोसिएट, कोलकाता की उपर्युक्त नियुक्ति का अनुमोदन दिनांक 02.09.2016 को आयोजित 197वीं बैठक में किया गया और कंपनी की आम बैठक में इसे संशोधित किया जाना है।

न तो कोई भी निदेशक और न की मैनेजेरियल पर्सनल या उनके रिश्तेदार इस संकल्प से जुड़े हुए हैं और न ही इसमें उनकी रूचि है।

सदस्यों के अनुमोदन के लिए बोर्ड ने संकल्प को अनुशंसित किया है।

2. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कॉस्ट आडिटर के पारिश्रमिक में संशोधन

कंपनी (कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट) रूल 2011 को 3 जून, 2011 को अधिसूचित किया गया। यह कंपनी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कारपोरेट अफेयर्स (एमसीए) मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। एमसीए ने वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 का कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट और इसके आगे के रिपोर्ट का अनुपालन रिपोर्ट की फाइलिंग (भरना) अनिवार्य कर दिया है।

सीएमपीडीआईएल की यह कॉस्ट एकाउन्टिंग पॉलिसी कोल इंडिया लिमिटेड के समग्र कॉस्ट एकाउन्टींग पॉलिसी का भाग है।

दिनांक : 02.09.2016 को आयोजित अपनी 197वीं बैठक में ऑडिट कमिटि की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2018–19 के लिए कॉस्ट आडिट शुरू करने के लिए सीएमपीडीआईएल अनुमोदित कर दिया गया है।

मेसर्स डीजीएम एंड असोसिएट ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए कॉस्ट ऑडिट शुरू कर दिया है तथा उनके द्वारा किए गए कार्य संतोशजनक पाया गया। मेसर्स डीजीएम एंड असोसिएट के कार्य निश्पादन और बैक ग्राउन्ड, अनुभव के आलोक में निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए मेसर्स डीजीएम एंड असोसिएट, कोलकाता की नियुक्ति को अनुामोदित किया, बशर्ते कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए 446,650 रू. प्रति वर्ष के साथ लागू कर और कॉस्ट आडिट फी का 50 प्रतिशत की सीमा तक पाकेट खर्च के लिए कॉस्ट आडिटर के पारिश्रमिक पर, आम बैठक में नियुक्ति पर कोई संशोधन न हो।

कंपनी (ऑडिट एंड ऑडिटर) नियम 14 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की सेक्शन 148 के अनुसार कॉस्ट ऑडिटर के रूप में मेसर्स डीजीएम एंड असोसिएट्स, कोलकाता की उपर्युक्त नियुक्ति को दिनांक : 24.05.2017 को आयोजित 204वीं बैठक में अनुमोंदित किया गया तथा कंपनी की आम बैठक में अनुसमर्थन किया जाना है।

इस संकल्प में निदेशक, की मैनेजेरियल पर्सनल या उनके निश्तेदान या संबंधित की रूचि नहीं है।

बोर्ड ने सदस्यों के अनुमोदन के लिए संकल्प की अनुशंसा की

निदेशक मंडल के आदेश से
वास्ते, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

(अभिषेक मुंधड़ा)
कंपनी सचिव

अध्यक्ष का कथन

श्री शेखर सरन
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

प्रिय शेयरधारक,

सीएमपीडीआई की 42वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि की निदेशक मंडल की रिपोर्ट, अंकेक्षित (ऑडिट) लेखे की रिपोर्ट के साथ–साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा समीक्षा पहले ही कंपनी के शेयरधारकों को दी जा चुकी है।

1. विकास की रूप-रेखा :

भारतीय खनन उद्योग को एक ही छत के नीचे विस्तृत प्लानिंग सेटअप के रूप में सीएमपीडीआई की स्थापना का विचार एवं प्रस्ताव मूलतः 1972 में पोलैंड के विशेषज्ञों वाली संयुक्त अध्ययन दल द्वारा आया। इसके बाद सीएमपीडीआई की स्थापना 1 नवम्बर, 1975 को की गई।

आपकी कंपनी कोयले के गवेषण, खान आयोजन एवं अभिकल्पन, पर्यावरण अभियांत्रिकी, कोयले का परिष्करण एवं उपयोग, संबंधित अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) सेवाएँ, क्षेत्र सेवाएँ इत्यादि के क्षेत्रों में सीआईएल तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों को घरेलू परामर्शी सेवा प्रदान करती रही है। सीआईएल से बाहर के ग्राहकों के अलावे धात्विक खनन (मेटल माइनिंग) क्षेत्रों के ग्राहकों को भी इस तरह की सेवाएँ प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, सीएमपीडीआई पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा कोयला मंत्रालय को भी गैर सीआईएल ब्लॉक, सीबीएम एवं शेल गैस इत्यादि से संबंधित इसी प्रकार सेवाएँ भी दे रहा है।

सीएमपीडीआई के गठन के बाद के वर्षों के दौरान बड़ी खुली खान तथा भूमिगत खान परियोजना के लिए संयुक्त प्लानिंग कार्य करने हेतु पूर्ववर्ती यूएसएसआर के जिप्रोशाख्त, पोलैंड के कोपेक्स तथा ब्रिटेन के ब्रिटिश माइनिंग कन्सल्टेंट जैसे उन्नत (अग्रणी) कोयला खनन वाले देश के संस्थानों के साथ द्विपक्षीय समझौते के जरिए अपने योजनाकारों एवं अभियंताओं की विशेषज्ञता के स्तर को बढ़ाया गया। इसके कार्मिकों की विशेषज्ञता के स्तर को बढ़ाने के अतिरिक्त कम्प्यूटर एवं प्रयोगशाला सुविधा स्थापित कर आधारभूत सुविधा का निर्माण कर सीएमपीडीआई ने अपने कार्मिकों की विशेषज्ञता के स्तर को बढाया है। इन सब उपायों ने सीएमपीडीआई को खनिज एवं खनन के

क्षेत्र में संपूर्ण समाधान करने वाला अद्वितीय कंपनी बना दिया है। फिर भी, विश्वव्यापी व्यावसायिक वातावरण में आए बदलाव के कारण 1990 के दशक में इस तरह के द्विपक्षीय समझौते महत्वहीन हो गए एवं अपनी गति खो चुके हैं। कर्मियों की सेवा–निवृत्ति, कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों में स्थानान्तरण तथा युवा अभियंताओं की बहाली नहीं होने के कारण 90 के दशक में कार्यकुशल श्रमशक्ति के मामले में कंपनी की शक्ति में कमी आने लगी जो काफी समय तक चली।

कुल मिलाकर खनन उद्योग से संबंधित साफ्टवेयर के प्रयोग, विशेषकर पर्यावरण सुविधा, कोयले के गुण निर्धारण (कैरेक्टराइजेान) से संबंधित कुछ उपकरणों में वृद्धि तथा किए गए आईएसओ मानक के समाधान से कंपनी अपनी सेवाओं एवं सुविधाओं को उन्नयन कर उत्कृष्टता के स्तर तक पहुँचाने के प्रति समर्पित है।

सीएमपीडीआई के प्रमुख क्रिया–कलापों में से एक ड्रिलिंग की क्षमता, जिससे भावी कोयला उत्पादन की आवश्यकता के लिए कोल ब्लॉक के अनुमान करने में मदद मिलती है, ने लगभग 2 लाख मीटर प्रतिवर्ष (04–05 में 2.02 लाख मीटर से 07–08 में 2.09 लाख मीटर) के आस–पास थी तथा टर्न ओवर लगभग 150 से 200 करोड़ रूपये (2004–05 में 151 करोड़ रूपए तथा 2007–08 में 196 करोड़ रूपए) था। ड्रिलिंग में योगदान सिर्फ विभागीय तौर पर ही थी। 11वीं योजना के प्रारंभ में यह विचार आया कि संसाधनों को तेजी से प्रमाणित करने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर, खासकर गवेषण के क्षेत्र में सीएमपीडीआई की भूमिका में काफी वृद्धि करने की जरूरत होगी। तद्नुसार, विभागीय क्षमता को बढ़ाने के अलावा एमईसीएल सहित अन्य एजेंसियों की ड्रिलिंग क्षमता का उपयोग कर इसकी क्षमता में वृद्धि पर बल दिया गया तथा निजी एजेंसियों को ड्रिलिंग कार्य का कुछ भाग आऊटसोर्स कर ड्रिलिंग शुरू किया गया। इसी के साथ–साथ सीएमपीडीआई की कोयला कोर जाँच की क्षमता भी बढ़ाई गई। कुल मिलाकर स्वदेशी तथा आयातित उपकरणों के जरिए अन्य प्रयोगशालाओं जैसे पर्यावरण, खनन प्रौद्योगिकी आदि की क्षमता को भी बढ़ाया गया है। सीएमपीडीआई मुख्यालय, राँची में एक कोल बेड मिथेन प्रयोगशाला की भी स्थापना की गई है। इसके बाद प्रशासकीय मंत्रालय यानि कोयला मंत्रालय भी सीएमपीडीआई की उस जगह गवेषण क्षमता बढ़ाने के लिए एक योजना लेकर आया है जहाँ 2015–16 तक विभागीय ड्रिलिंग क्षमता 4 लाख मीटर सहित कुल ड्रिलिंग क्षमता 15 लाख मीटर तक बढ़ाई जानी थी।

आपकी कंपनी इन चुनौतियों पर खरी उतरी तथा हाइड्रोस्टैटिक ड्रिल, श्रमशक्ति में वृद्धि आदि जैसे कई कदम उठाकर इसने वर्ष 2016–17 के दौरान 4.41 लाख मीटर तक विभागीय ड्रिलिंग क्षमता बढ़ाई है। इस तरह निर्धारित विभागीय ड्रिलिंग क्षमता पार गई। वर्ष 2016–17 के दौरान कुल 11.26 लाख मीटर ड्रिलिंग की गई, जो वर्ष 2006–07 (10वीं योजना के अंत तक) 2.06 लाख मीटर की उपलब्धि सहित ड्रिलिंग की गई, जो वर्ष 2006–07 (10वीं योजना के अंत तक) 2.06 लाख मीटर की उपलब्धि सहित ड्रिलिंग कमुलेटिव अनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट 18.5 प्रतिशत से अधिक थी। कुल मिलाकर कंपनी की निबल बिक्री वर्ष–दर–वर्ष बढ़ती गई तथा अब 2016–17 में बढ़कर यह 930.52 करोड़ रू. हो गई है।

आपकी कंपनी इन चुनौतियों पर खरी उतरी तथा हाइड्रोस्टैटिक ड्रिल, श्रमशक्ति में वृद्धि आदि जैसे कदम उठाकर इसने वर्ष 2016–17 के दौरान 4.08 लाख मीटर तक विभागीय ड्रिलिंग क्षमता बढ़ाई है। इस तरह निर्धारित विभागीय ड्रिलिंग क्षमता पिछे छूट गई। वर्ष 2016–17 के दौरान कुल 11.26 लाख मीटर ड्रिलिंग की गई जो वर्ष 2006–07 (10वीं योजना के अंत तक) 2.06 लाख मीटर की उपलब्धि सहित ड्रिलिंग कमुलेटिव एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट 18.5 प्रतिशत से अधिक थी। कुल मिलाकर कंपनी की निबल बिक्री वर्ष दर वर्ष बढ़ती गई तथा अब 2016–17 में बढ़कर यह 920.52. 27 करोड़ रूपए हो गई है तथापि, विगत के वर्षों में किए गए सभी प्रयास कंपनी के उच्च स्तर एवं निचले स्तर पर सही ढंग से दिखलाई नहीं पड़ते, इसलिए सीएमपीडीआई की व्यापार गतिशिलता पर पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है। फिर भी, अन्य क्षेत्रों में प्रवेश करने (फोरे) हेतु सीएमपीडीआई के लिए संभव अवसरों तथा कोयला क्षेत्र में भावी मार्केट परिदृश्य को उचित अध्ययन आवश्यकता है। इस विचार से कंपनी का

मूल्यनिर्धारण मेकानिज्म तथा पुनरावलोकन किया जा रहा है। कोयला सेक्टर के अलावा अन्य खनन तथा सम्बद्ध अभियंत्रण क्षेत्र कोयला आधारित ऊर्जा के अन्य स्रोतों में विकास आदि में विविधिकरण के जरिए बिक्री में वृद्धि सहित वैल्यू टर्म में बाहरी कार्य (गैर सीआईएल) की मात्रा में वृद्धि हेतु संभावित रणनीति का अध्ययन किया जा रहा है। इसी के समानान्तर विविधिकरण से कंपनी की विशिष्टता को कोयला क्षेत्र की संपूर्ण हित के लिए बचाया जाएगा।

घात्विक खनन कंपनी जैसे टाटा स्टील, सेल, एमओआईएल लि., हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, हुट्टी गोल्ड माइन, एनएमडीसी आदि को खनन के संबंध में परामर्शी सेवाएँ दी गई।

तथापि, विगत के वर्षों में किए गए सभी प्रयास कंपनी के उच्च स्तर एवं निचले स्तर पर सही ढंग से दिखलाई नहीं पड़ते, इसलिए सीएमपीडीआई की व्यापार गतिशीलता पर पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है। फिर भी, अन्य क्षेत्रों में प्रवेश करने (फोरे) हेतु सीएमपीडीआई के लिए संभव अवसरों तथा कोयला क्षेत्र में भावी मार्केट परिदृश्य को उचित अध्ययन आवश्यक है। इस विचार से कंपनी का मूल्यनिर्धारण में कानिज्म तथा पुनरावलोकन किया जा रहा है। कोयला सेक्टर के अलावा अन्य खनन तथा सम्बद्ध अभियंत्रण क्षेत्र, कोयला आधारित ऊर्जा के अन्य स्रोतों में विकास आदि में विविधिकरण के जरिए बिक्री में वृद्धि सहित वैल्यू टर्म में बाहरी कार्य (गैर–सीआईएल) की मात्रा में वृद्धि हेतु संभावित रणनीति का अध्ययन किया जा रहा है। इसी के समानान्तर विविधिकरण से कंपनी की विशिष्टता को कोयला क्षेत्र की संपूर्ण हित के लिए बचाया जाएगा।

2. वित्तीय उपलब्धि :

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आपकी कंपनी ने कर के पहले 65.53 करोड़ रू. (2.70 करोड़ रू. के अन्य विस्तृत हानि पर विचार करने के बाद पीवीटी 62.83 करोड़ रू. होगा) लाभ के साथ–साथ 930.52 करोड़ रू. का अधिकतम टर्न ओवर हासिल किया है। आपकी कंपनी का निबल मूल्य (नेटवर्थ) 31.3.16 के अनुसार 215.25 करोड़ रू. से बढ़कर 31.3.2017 के अनुसार 255.70 करोड़ रू. हो गया। इस वित्तीय वर्ष में प्रति शेयर उपार्जन पिछले वर्ष 480.04 से बढ़कर 2131.83 रू. हो गया।

3. ड्रिलिंग उपलब्धि :

जैसा कि ऊपर दिया गया है, आपकी कंपनी ने वर्ष 2015–16 के दौरान की गई 9.94 लाख मी. ड्रिलिंग की तुलना में वर्ष 2016–17 में विभागीय संसाधन तथा आउटसोर्सिंग के जरिए गत वर्ष की ड्रिलिंग में 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर 11.26 लाख मी. ड्रिलिंग की है। वर्ष 16–17 के लिए कोयला मंत्रालय ने लक्ष्य में पर्याप्त वृद्धि कर इसे 12.50 लाख मीटर कर दिया है। इसके कारण ड्रिलिंग के लिए पर्याप्त संख्या में कोयला ब्लॉक के आउटसोर्सिंग पर बल देना आवश्यक हो गया है। सीएमपीडीआई ने विभिन्न कोयला ब्लॉकों में प्रतिवर्ष एक लाख मीटर तक गवेषणात्मक ड्रिलिंग के लिए 6 जनवरी, 2009 को एमईसीएल के साथ दीर्घकालीन समझौता किया है। ड्रिलिंग में वार्षिक सीमा 4.00 लाख मीटर तक पुनः बढ़ा दी गयी है। वर्ष 2007–08 से अब तक 9 दौर की राष्ट्रीय/वैश्विक निविदा तथा 11 दौर की ई–टेंडरिंग की जा चुकी है और 81 ब्लॉकों में 31.59 मीटर के लिए कार्यादेश जारी किया जा चुका है।

4. परियोजना रिपोर्ट :

12वीं योजना के लिए 129 परियोजनाओं की पहचान की गई, परिणामस्वरूप लगभग 517 एमटी क्षमता में वृद्धि हुई जिसके मुकाबले 456 एम टी अतिरिक्त क्षमता वाली 105 परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त,31 मार्च, 2017 तक 198 मी.ट. क्षमता वृद्धिवाली 77 परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। विवेच्य वर्ष के दौरान 55 एमटीवाई क्षमता वृद्धि सहित 26 परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई।

5. प्रयोगशालाओं का उन्नयन :

सीएमपीडीआई की सभी प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ा दी गई है। परिश्कृत आयातित उपकरणों से रासायनिक एवं पेट्रोग्राफी प्रयोगशाला को सुसज्जित कर इन प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ा दी गई है। अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित कर वर्तमान प्रयोगशाला की क्षमता बढ़ा दी गई है। सीएमपीडीआई (मुख्यालय), क्षेत्र संस्थान–4 एवं क्षेत्रीय संस्थान की पर्यावरण प्रयोगशाला को नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड फार टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन (एनएबीएल) द्वारा पुनः मान्यता दी गई है। विवेच्य वर्ष के दौरान एनएबीएल द्वारा निगरानी (सर्विलांस) की गई। वर्ष 2016–17 के दौरान पर्यावरण प्रयोगशाला की सीपी की मान्यता मिली जो 5 वर्ष तक वैध रहेगा। सर्टिफिकेशन इन्टरनेशनल (सीआई) द्वारा सीएमपीडीआई (मुख्यालय), क्षेत्रीय संस्थान–4 एवं क्षेत्रीय संस्थान–5 में स्थित पर्यावरण प्रयोगशाला को ओंएचएसएएस 18001–2007 के लिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ है। सीबीएम तथा शैल गैस संबंधी अध्ययन रिजवायर गुणनिर्धारण तथा सीबीएम एवं भोल गैस संसाधन के मूल्यांकन से संबंधित सभी पारामेट्रिक डाटा के सृजन को सरल बनाने के लिए सीएमपीडीआई में एक अत्याधुनिक सीबीएम प्रयोगशाला कार्यरत है। सीएमपीडीआई की क्षमता एवं दक्षता को और बढ़ाने के लिए सीएमपीडीआई तथा सीएसआईआरओ, ऑस्ट्रेलिया द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वित्त प्रदत्त परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

6. श्रमशक्ति की भर्ती :

गवेषण, आयोजना एवं अभिकल्पन (प्लानिंग एंड डिजाइन) के साथ–साथ सम्बद्ध अभियंत्रण सेवाओं की श्रमशक्ति की आवश्यकता पर विचार किया गया है। वर्ष 2016–17 के दौरान विभिन्न विधाओं (डिसिप्लिन) के 73 प्रबंधन प्रशिक्षुओं को सीएमपीडीआई में बहाली एवं स्थानांतरण के जरिए पदस्थापित किया गया है। इसी प्रकार कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों से कर्मचारियों (गैर–अधिकारी) को बहाली/अनुकंपा के आधार पर नियोजन/स्थानान्तरण पर मंगाया गया है तथा श्रमशक्ति को और बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है।

7. भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग तथा भू-उपयोग/ वनस्पति आच्छादन :

वर्ष 2008 से प्रति वर्ष 5 मिलियन घन मीटर (कोयला़ओबी) से अधिक उत्पादन करने वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सभी खुली खानों में भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग के लिए प्रति वर्ष उपग्रह निगरानी प्रणाली की शुरूआत की गई है। इसके बाद 2011 से तीन वर्ष के अंतराल पर प्रतिवर्ष 5 मिलियन घन मीटर से कम उत्पादन क्षमता वाली कोल इंडिया लिमिटेड की खुली खानों की भी भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग का कार्य शुरू किया गया है।

वर्ष 2016–17 के दौरान हाई रिज्योल्यूशन सेटेलाइट डाटा पर आधारित कोल इंडिया लिमिटेड की 82 खुली खान परियोजनाओं की भूमि पुनरूद्धार मानिटनिंग की जा चुकी है। 6 कोयला क्षेत्रों यानिझरिया, तालचर, विश्रामपुर, वर्धा, कम्पटी तथा माकुम में वनआच्छादन मैपिंग की गई।

8. कोल वाशरी की स्थापना में सहायता :

कोयला वाशरी की स्थापना में सहायता वाशरी की स्थापना में कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी की सहायता दी गई। रिकार्ड समय में ई–रिजव्र ऑक्शनिंग प्रक्रिया के आधार पर निविदा दस्तावेज का निमार्ण करो–चलाओ–रख–रखाव करो (बीओएम) तथा निर्माण करो–मालिक बना–चलाओ (बीओओ) पर कस्टमाइज किया गया। सीआईएल के अधीन परिचालित कोकिंग कोल वाशरी के आधुनिकीकरण के लिए तकनीकी सहायता भी दी गई है। डिटेल डिजाइन ड्राईंग की संवीक्षा तथा अनुमोदन कर नई वाशरियों के निर्माण में सहायता दी जा रही है। आरओएम कोयला नमूनों तथा बोर कोर कोयला नमूनों की धोवन क्षमता अध्ययन भी किया जा रहा है।

9. पर्यावरणिक सेवा :

वर्ष 2016–17 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड को दी जा रही पर्यावरणिक सेवा के तहत 15 फार्म–1 की तैयारी सहित 37 ईएमपी तैयार की गई है। आसनसोल, धनबाद, नागपुर, बिलासपुर, कुसमुण्डा, हसदेव, जयंत, भुवनेश्वर, तथा राँची स्थित 9 पर्यावरणिक प्रयोगशालाओं के जरिए कोल इंडिया लिमिटेड की 433 परियोजनाओं/संस्थानों की पर्यावरणिक मानेटरिंग (वायु, हवा एवं ध्वनि) की गई। कोयला मंत्रालय द्वारा 2013 में जारी संशोधित दिशा–निर्देश के अनुसार सीमएपीडीआई द्वारा विवेच्य वर्ष के दौरान बीसीसीएल के लिए 7 माइन क्लोजर प्लान तैयार किए गए। विवेच्य वर्ष के दौरान 17 माइन क्लोजर प्लान पर त्वरित टिप्पणी तैयार कर कोयला मंत्रालय को भेज दी गई। इस वर्ष में 58 माइन क्लोजर स्टैंटस रिपोर्ट (एमसीएसआर) तैयार की गई। तथापि, भावी पर्यावरणिक सेवाओं की आवश्यकता तथा कोयला मंत्रालय द्वारा और कड़ी शर्त लगाने की संभावना विचार कर हमारे द्वारा नियमित आधार पर सेवाएँ दी जानी आवश्यक होगी। खनिजों के खनन के साथ–साथ खुली खनन, भूमिगत खनन क्षेत्र, थर्मल एवं कोल वाशरी क्षेत्र के लिए क्वालिटी कॉसिल आफ इंडिया (क्यूसीआई) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नामित एजेसी) द्वारा सीएमपीडीआई को पर्यावर्णिक प्रभाव मूल्यांकन परामर्शदाता संगठन के रूप में पुनः मान्यता दी गई है।

10. कोयला आधारित ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत :

कोयला आधारित गैर–परंपरागत ऊर्जा संसाधन के व्यावसायिक विकास को आसान बनाने के लिए सीएमपीडीआई ने अपना प्रयास जारी रखा और यह राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर व्यावसायिक तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर काम कर रहा है।

सीएमपीडीआई ओएनजीसी तथा सीआईएल के कंसोर्टियम को आवंटित दो ब्लॉकों झरिया तथा रानीगंज नार्थ में सीबीएम के विकास के लिए किए जा रहे कार्यो का अनुसरण कर रहा है तथा प्रशासनिक और संविदात्मक एवं परिचालानात्मक जैसे अन्य मुद्दों पर कोल इंडिया लिमिटेड को सहायता दे रहा है। कोयला मंत्रालय ने सीएमपीडीआई को सीएमएम के विकास के लिए नोडल एजेंसी बनाया है।

कोयला मंत्रालय ने 29 जुलाई, 2015 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड को आवंटित कोयला खनन पट्टे के तहत अपने क्षेत्र से सीबीएम का पता लगाने तथा इसके दोहन का अधिकार कोल इंडिया लिमिटेड को दे दिया है। सीआईएल के क्षेत्र में सीएमएम के विकास के क्षेत्र का पता लगाने के लिए सीएमपीडीआई द्वारा ''सीआईएल के अधिकार वाले क्षेत्र में सीएमएम का मूल्यांकन'' के लिए और अध्ययन किया गया है, तथा बीसीसीएल के अधिकार वाले क्षेत्र में सीबीएम ब्लॉक/सीएमएम ब्लॉक एवं ईसीएल के रानीगंज सीएमएम (दो ब्लाकों) ब्लॉक की कार्य शुरू करने के लिए पहचान की गई है। (क) रानीगंज कोलफील्ड्स (ईसीएल) तथा झरिया कोल फील्ड (बीसीसीएल) में सीबीएम ब्लॉक के लिए खनन लीज होल्ड क्षेत्र के भीतर ''कोल माइन मिथेन (सीएमएम)/कोल बेड मिथेन (सीबीएम) के व्यावसायिक विकास के लिए रिजरवायर माडलिंग एवं तकनीकी आर्थिक अध्ययन'' की शुरूआत वैश्विक बोली के जरिए चयनित अन्तराष्ट्रीय परामर्शदाता के जरिए की गई है।

मार्च, 2017 में राँची में जीओआई–एमओसी के तत्वावधान में सीआईएल–सीएमपीडीआई, जीओआई–यूएसईपीए द्वारा ''बेस्ट प्रैक्टिसेज इन मिथेन ड्रेनेज एंड यूज इन कोल माइन्स'' पर संयुक्त रूप से राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

सीएमपीडीआई क्षेत्रीय रूप से गवेषित क्षेत्रों में ड्रिल किए जा रहे बोर होलों में ''असेसमेंट आफ कोल बेड मिथेन गैस इन प्लेस रिसोर्स ऑफ इंडियन कोलफील्ड्स/लिग्नाइट'' से संबंधित अध्ययन कर रहा है।

सीएसआईआरओ, ऑस्ट्रेलिया के साथ सीआईएल (आरएंडडी) तथा भारत सरकार से नेशनल क्लीन एनर्जी फंड (एनसीईएफ) के तहत मुनिडीह (झरिया कोल्डफील्ड्स) शुरू किया जाने वाला वेन्टिलेशन एयर मिथेन के

प्रमोशन/उपयोग पर एक परियोजना प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसमें सीएमपीडीआई प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी तथा बीसीसीएल उप कार्यान्वयक एजेंसी है। इस परियोजना को सीआईएल बोड्र द्वारा सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दिया गया तथा सरकार के समक्ष अनुमोदन पर शुरू किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने दिए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान नामांकन के आधार पर पीएसयू को बोली लगाने/दिए जाने के लिए ब्लॉकों के बारे में निर्णय लेने वाली लगाने की प्रक्रिया (बिडिंग प्रोसेस) तथा अन्य संबंधित मामले के मेकानिज्म के प्रस्ताव देने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया है। कोयला मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए सीएमपीडीआई को नोडल एजेंसी बनाया है। ''यूसीजी के विकास के लिए बिड दस्तावेज तथा माडल कान्ट्रेक्ट दस्तावेज तैयार'' करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। मार्च, 2017 में दिल्ली में'' भारत में यूसीजी (डीप सीटेड कोल) के विकास के लिए चुनौति एवं अवसर'' पर कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें भारतीय भू–खनन स्थिति में यूसीजी के विकास के लिए निर्धारित करने हेतु निर्णय के लिए कोयला मंत्रालय, डीजीएच सीआईएमएफआर आईआईटी तथा राष्ट्रीय विशेष शामिल हुए।

11. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ :

आपकी कंपनी कोयला मंत्रालय के एसएंडटी अनुदान तथा सीआईएल के आरएंडडी बोर्ड द्वारा निधिकृत अनुसंधान क्रिया–कलापों के समन्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। अनेक शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा किए जा रहे अनुसंधान एवं विकास कार्यों के समन्वयन के अलावा सीएमपीडीआई अपने पूर्णतः संस्थापित प्रयोगशाला की सहायता से खनन, कोयला गवेषण, साफ कोयला प्रौद्योगिकी यानि कोल बेड मिथेन (सीबीएम), कोल माइन मिथेन (सीएमएम), भोल गैस मूल्यांकन, कोयले से तरल (सीटीएल), कोयला परिष्करण एवं उपयोग तथा खान पर्यावरण से संबंधित मुद्दे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में अनुसंधान कार्य भी करता है।

अनेक वर्षों से इनमें से कई अनुसंधान परियोजनाओं से काफी लाभ मिला है, जिसके फलस्वरूप परिचालनात्मक सुधार, अपेक्षाकृत सुरक्षित कार्य स्थिति, बेहतर संसाधन प्राप्ति तथा पर्यावरण का संरक्षण हुआ। यद्धपि कुछ अनुसंधान परियोजनाओं के कारण उद्योग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है, तथापि कुछ अन्य परियोजना ऐसी है जिनसे चालू खानों तथा भावी खनन योजनाओं दोनों के लिए अपेक्षित खान आयोजन, डिजाइन एवं तकनीकी सेवाएँ सशक्त हुई हैं। भारतीय भू–खनन स्थितियों के लिए खास तौर से विकसित डिजाइन्ड टूल्स, भूमिगत कोल पिलर डिजाइन रूफ कैवेब्लिटी का विश्लेषण, ओपेनकास्ट स्लोप स्टेब्लिटी, सतह धँसान का पूर्वानुमान, रेलवे वैगन/ट्रक से स्थल पर इंस्टैंट कोल ऐश एंड मोआइ चर अनालाइजर, रेडियोमेट्रिक तकनीक का प्रयोग कर कोल ड्राई बेनिफिसिएशन सिस्टम, भिन्न–भिन्न रॉक कंडिशन के लिए अनुकूलतम विस्फोटन डिजाइन आदि जैसे कई समस्याओं के लिए अब यह उपलबध है।

1. भूमिगत कोयला खानों के लिए टेली रोबोटिक एवं रिमोट परिचालन प्रौद्योगिकी का विकास।
2. कोयला से तरल (सीटीएल) (रूपान्तरण) परिवर्त्तन प्रौद्योगिकी का पायलट स्केल अध्ययन के जरिए स्वेदेशी उत्प्रेरक का विकास।
3. नैनो क्रिस्टलाइन सर्फेस इंजीनियरिंग ट्रीटमेंट की सहायता से इरोजन–कोरोजन को रोकर कोयला/लिग्नाइट खानों में जल निकास पाइपलाइन के जीवन (टिकाउपन) को बढ़ाना।
4. विस्फोटन डिजाइन तथा विखंडन नियंत्रण।
5. रेलवे ट्रक/वैगन से स्थल पर तत्काल कोल ऐश एंड मोआइश्चर अनालाइजर के लिए ट्रक माउन्टेड मोबाइल कोल सेम्पलर का डिजाइन एवं विकास।
6. लैब स्केल कोल विनोविंग सिस्टम (फेज–।।) के विभिन्न पारामीटरों का ऑप्टीमाइजेशन।
7. रानीगंज कोलफील्ड्स की मोटी सीम में सुरक्षित तरलीकरण की पद्धति का पता लगाना : कोट्टाडीह कोलियरी (ईसीएल) में डिजाइन एवं विकास तथा शॉ–केसिंग डेमोन्स्ट्रैटिव ट्रायल।

8. रेडियोमेट्रिक का प्रयोग कर कोल ड्राई परिष्करण पद्धति का प्रदर्शन।

9. शॉवल डम्प डम्प तथा ड्रैगलाइन डम्प दोनों को सुरक्षित तथा किफायती डिजाइन के विचार से शॉवेल डम्प डम्प के टो तथा ड्रैगलाइन डम्प के टो के बीच की दूरी का पूर्वानुमान करने के लिए दिशा–निर्देश का विकास/कोयला/लिग्नाइट उद्योगों को अधिक–से–अधिक अनुसंधान शामिल करने के लिए सीएमपीडीआई सभी संभव प्रयास कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर 25 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ कार्यान्वयनाधीन है।

अनुसंधान एवं विकास परियोजना के तहत मोडिफायड रेडियो मेट्रिक डिटेक्शन एंड न्यूमौटिक रिमुवल टेक्नोलॉजी के आधार पर कोयले के ड्राई डिशेलिंग के लिए एक डिमॉन्स्ट्रेशन संयंत्र विकसित किया गया है।

रेडियोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का स्पष्ट लाभ यह है कि साफ कोयले को अपेक्षित गुण या रिजेक्शन के लिए थ्रेसहोल्ड/वैल्यू की योजना बनाई जा सकती है। तथा आवश्यकतानुसार सेट किया जा सकता है। यह प्रौद्योगिकी प्रभावकारी, धूल रहित तथा ऊर्जा के अनुकूल भी है।

अनुसंधान एवं विकास परियोजना के तहत कोल इंडिया लिमिटेड की ड्रैगलाइन संचालित 11 खानों के अध्ययन के आधार पर ड्रैगलाइन डम्प तथा शॉवेल डम्पर डम्प के टो के बीच की अनुकूलतम दूरी के लिए सामान्य दिशा–निर्देश विकसित किया गया है इसमें विभिन्न भू–अभियंत्रण पारामीटर के अनुसार संपूर्ण ऊँचाई ढाल का पूर्वानुमान किया जा सकता है। उपर्युक्त अध्ययन से यह निष्कर्श निकाला गया है कि शॉवेल डम्पर का टो ड्रैगलाइन डम्प के टो से कम–से–कम 110–180 मीटर (आकार पर निर्भर) बनाया जाता है ताकि फ्रेस डम्पिंग डम्पर के पहले ड्रैग लाइन डम्पर को स्थिर होने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। जल तालिका (वाटर टेबुल) में वृद्धि के कारण डम्प स्थायित्व में कमी आ सकती है।

12. ई-प्राप्ति तथासंविदा प्रबंधन :

15.01.2016 से 1.00 करोड़ रू. एवं उससे अधिक मूल्य वाली सभी निविदाओं में रिवर्स ऑक्शन की प्रक्रिया कार्यान्वित की गई है। आरएपी के जरिए सुरक्षा प्रहरी को हायर करने के लिए इस तरह की निविदा प्रकाशित करने वाली यह कोल इंडिया लिमिटेड की पहली कंपनी है। ईएमडी की प्राप्ति, वापसी तथा सामजस्य की ऑफ लाइन प्रक्रिया को कोल इंडिया लिमिटेड ने दिनांक : 29.07.2016 के आदेश के अनुसार रोक दिया (डिसकंटीन्यू) है तथा ऑन लाइन प्राप्ति एवं वापसी के लिए नया माड्यूल कार्यान्वित किया है। इस पद्धति में एक्सीस बैंक में कोल इंडिया लिमिटेड तथा अनुषंगी कंपनियों द्वारा रखे गए सेंट्रल पुल अकाउन्ट में नेट बैकिंग या एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए ईएमडी की रीसिट पर विचार किया गया। किसी बिल की अस्वीकृति तथा किसी निविदा को अंतिम रूप देने (फाइनलाइज) पर अस्वीकृत/ विडर के ईएमडी को बिडर के उस लेखा में स्वतः वापस मान लिया गया जहाँ यह प्राप्त हुआ था तथा सफल बिडरों की ईएमडी सीआईएल/सहायक कंपनियों के संबंधित नामित खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में, लक्षित बैंक एक्सिस बैंक था वहाँ लेन–देन के सामांजस्य (रिकॉसिलिएशन) में कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई, इसे क्योंकि प्रत्येक ट्रान्जक्शन की रेमिट रेफरेंस नम्बर के जरिए पहचान की जा सकी। यह नम्बर पुल अकाउन्ट के साथ–साथ डेस्टिनेशन अकाउन्ट में प्रतिबिम्बित हो रहा था। जिस मामले में लक्ष्यित (डेस्टिनेशन) अकाउन्ट एक्सिस बैंक के अलावा कोई बैंक था, वहाँ ईएमडी को बिना किसी पहचान संदर्भ (आईडेन्टीफिकेशन रेफरेंस) के स्थानांतरित किया जा रहा था,जिसके कारण वित्त विभाग के लिए ट्रान्जक्टेड रकम का समान्जस्य रिकॉन्सिलिएशन) तथा कैश रीसिट जारी करना कठिन हो रहा था। यह मामला सीआईएल तथा एक्सिस बैंक के समक्ष उठाया गया और सीएमपीडीआई के ई–पीएंडएम विभाग द्वारा एक समाधान सुझाया गया। हमारे द्वारा दिए गए सुझाव को अपना लिया गया। तद्नुसार प्रणाली सृजित मेल अलर्ट वित्त विभाग के कार्मिकों द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, जो सफल बिड्डरों के ईएमडी से संबंधित लेन–देन की पहचान करने में सक्षम है तथा

कैश रीसिट जारी कर रहे हैं। अब इस प्रणाली का उन सभी सहायक कंपनियों/क्षेत्रों (एरिया) में अनुसरण किया जा रहा है, जहाँ नामित बैंक एक्सिस बैंक से अलग है।

परामर्शदाता को हायर करने उदाहरणार्थ सीएमपीडीआई के लिए रणनीतिक व्यावसायिक योजना, अप्रत्यक्ष कर परामर्शदाता को लगाने, यूसीजी के विकास के लिए विकासत्मक एवं मॉडेल कान्ट्रैक्ट डोक्यूमेंट आदि जैसी निविदाओं में मूल्य बोली को खोलने के पहले कुछ क्रेडेन्सियल का मूल्यांकन करना आवश्यक है, जो सीआईएल के ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल के वर्त्तमान स्वरूप (फार्म) में संभव नहीं था। सीएमपीडीआई ने इस मुद्दे पर सीआईएल के साथ विचार–विमर्श किया और इस प्रकार की निविदा के लिए पृथक संगठनात्मक चेन से ''क्रिटिकल टेंडर'' के तहत निविदा की दूसरी प्रणाली (मोड) अंगीकार की गई। संयुक्त गुणवत्ता–सह–लागत आधारित प्रणाली पर आधारित इस प्रकार का ई–प्रोक्योरमेंट अब तक सीएमपीडीआई द्वारा किया गया है। सीएमपीडीआई सीक्यूसीसीबीएस पर परामर्शदाता को हायर करने के लिए तथा सीसीएल एवं एनसीएल में यूएवी के विकास करने के लिए निविदा को अंतिम रूप देने में सक्षम रहा है।

13. निगमित सामाजिक दायित्व तथा सस्टेनेब्लिटी :

आपकी कंपनी ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सीएसआर के सुस्पष्ट बास्केट के जरिए आस–पास के समुदायों तथा व्यापक समाज के साथ मजबूत संबंध बनाई है। सीएसआर एवं सस्टेनेब्लिटी के तहत सीएमपीडीआई सतत् (टिकाऊ) विकास पर बल देता रहेगा तथा कार्य करता है। वर्ष 2016–17 के दौरान कंपनी द्वारा किए गए कार्य–कलापों में विद्यालय/गाँवों में आधारभूत संरचना का विकास, विद्यालय जाने वाले गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों को शैक्षणिक सहायता, आर.के.मिशन को वित्तीय सहायता, चिकित्सीय उपकरणों की खरीद के लिए टीबी सैनेटोरियम, तुपुदाना, राँची को वित्तीय सहायता, कौशल विकास/महिला सशक्तिकरण, महाराष्ट्र के गाँवों में एलईडी सोलर लाइट का संस्थापन, गाँवों में ड्रिलिंग द्वारा पेयजल तथा बोरहोल कुआँ की स्थापना का प्रावधान इत्यादि शामिल है।

14. प्रबंधन प्रणाली मानक में परामर्शी सेवा :

कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियों में प्रबंधन प्रणाली मानक के कार्यान्वयन में सीएमपीडीआई नोडल एजेंसी है। सीएमपीडीआई आईएसओ 9001, आईएसओ14001, आईएसओ 5001, आईएसओ 27001, ओएचएसएएस 18001 आदि जैसे विभिन्न प्रबंधन प्रणाली मानक के कार्यान्वयन तथा प्रमाणन के लिए अपनी परामर्शी सेवा देता है। हम संस्थापन, प्रलेखन, जागरूकता प्रशिक्षण, आंतरिक अंकेक्षकों को प्रशिक्षण, अंकेक्षण सहायता, इन प्रबंधन प्रणाली मानकों के कार्यान्वयन तथा प्रमाणन के लिए कार्यान्वयन, प्रमाणन सहायता के साथ–साथ प्रमाणोत्तर सहायता में दिशा–निर्देश तथा सहायता देते हैं।

हमारी दो सहायक कंपनियाँ एमसीएल तथा एनसीएल को कंपनी व्यापी समेकित प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 तथा ओएचएसएएस 18001) के लिए प्रमाणित किया गया है। सीएमपीडीआई, मुख्यालय तथा इसके सात क्षेत्रीय संस्थानों ने भारतीय मानक ब्यूरो से गया आईएसओ 9001 : 2015 मानक के लिए लाइसेंस प्रापत कर लिया है। हमारे मार्गदर्शन एवं सहायता से सीआईएल मुख्यालय को आईएसओ 9001 तथा आईएसओ 50001 के लिए प्रमाणित किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों की 32 प्रयोगशालाओं को एनएबीएल मान्यता प्राप्त है। सीआईएल की सभी सहायक कंपनियाँ की 56 विभिन्न ईकाइयाँ आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 तथा ओवचएमएएस 18001 तथा आईएसओ 27001 के लिए प्रमाणित है। हमारे मार्गदर्शन एवं सहायता के तहत कोयला मंत्रालय भी आईएसओ 9001 के लिए प्रमाणित है।

हमने ईसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल तथा बीसीसीएल में कंपनी वाइड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम के कार्यान्वयन के लिए परामर्शी सेवाएँ दी है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम (आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 तथा

ओएचएसएएस 18001) के लिए ईसीएल का कंपनी वाइड सर्टिफिकेशन जल्द अपेक्षित है। हम कोल इंडिया लिमिटेड, मुख्यालय को आईएसओ 14001:2015 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) के कार्यान्वयन एवं प्रमाणन के लिए सहायता उपलबध करा रहे हैं और यह प्रमाणन जल्द ही दिए जाने की संभावना है।

15. कोल इंडिया से बाहर की कम्पनियों को सहायता :

वर्ष 2016–17 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड से बाहर के 26 संगठनों के लिए सीएमपीडीआई द्वारा 35 बाहरी परामर्शी कार्य किया गया है। इनमें से प्रमुख ग्राहक/संगठन है : एनएमडीसी, एमओआईएल लि, एमएएचएजीईएनसीओ, टाटा स्टील, डीवीसी, सेल, यूसीआईएल, वेस्ट बंगाल पावर डॅपलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल), छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड इत्यादि

वर्त्तमान में कंपनी लिमिटेड इत्यादि सीएमपीडीआई द्वारा, ओसीपीएल, एनएमडीसी, नाल्को, एनटीपीएस, नाल्को, एनटीपीसी लिमिटेड, एमएएचएजीईएनसीआ, सेल, ओडिसा माइनिंग काारपोरेशन (ओएमसी), पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल), गुजरात स्टेट इलेक्ट्रीसिटी कारपोरेशन लिमिटेड (जीएसईसीएल) आदि जैसे 19 संगठनों के लिए 25 आउटसाइड सीआईएल परामर्शी कार्य किए जा रहे हैं।

वर्ष 2016–17 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा 29 संगठनों से 141.38 करोड़ रूपए मूल्य के 43 आउट साइड सीआईएल कार्य किए गए। यह सीएमपीडीआई द्वारा एक वर्ष में अब तक प्राप्त किए गए कार्यों से सर्वाधिक मूल्य का कार्य है।

एनएमडीसी से ''मोजाम्बिक के टेटे राज्य में स्थित मेसर्स आईसीवीएल की बेंगा कोयला परियोजना के लिए संभाव्यता रिपोर्ट की तैयारी'' का एक समुद्र पार कार्य भी प्राप्त किया गया है।

16. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाएँ:

वर्ष 2016–17 के दौरान अनेक समीक्षा बैठकों तथा बेहतर समन्वयन के लिए समय की बचत कराते हुए सीएमपीडीआई, मुख्यालय को देश के 6 राज्यों में स्थित इसके सभी क्षेत्रीय संस्थानों के साथ संयोजन कर कन्फ्रेंसिंग सुविधा लागू कर कार्यालय क्षमता को उन्नत बनाने हेतु कदम उठाए गए। सीएमपीडीआई मुख्यालय तथा अपने सभी क्षेत्रीय संस्थान ई–ऑफिस का पूर्णतः पेपरलेस रीसिट मॉड्यूल की ओर अग्रसर हैं, जिसके परिणामस्वरूप कागज की बचत तथा कार्यालय दक्षता में सुधार आया है। सीएमपीडीआई पूरे सीआईएल में ई–आफिस के कार्यान्वयन कार्य का मूल्यांकन करता रहा है। यह कार्यएडवांस स्टेज में है।

ठेका श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान में पारदर्शिता को बनाए रखकर सीएमपीडीआई में कान्ट्रॉक्ट लेबर इन्फोर्मेशन पोर्टल (क्लीप) विकसित किया गया है। खान क्षमता मूल्यांकन रिपोर्ट की समय पर तैयारी के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की खुली तथा भूमिगत खानों से आँकड़ा जुटाने हेतु पोर्टल विकसित किया गया है।

17. मान्यता एवं पुरस्कार :

भारत सरकार ने सीएमपीडीआई के योगदान तथा इसकी प्रासंगिता को पहचाना तथा वर्ष 2009 में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्टप्राइजेज (डीपीई) के प्रावधान के अनुसार इसे मिनी रत्न कंपनी (कैट–।।) से नवाजा है। डीपीई के दिशा–निर्देश में उपक्रमों को और अधिक दक्ष एवं स्पर्धात्मक बनाने के नीतिगत उद्देश्य से लाभ कमाने वाली पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइजेज (पीएसई) को और अधिक स्वायत्ता एवं अधिकार देने का प्रावधान है।

वर्ष 2007–08 से (2010–11 को छोड़कर) डीपीई द्वारा उत्कृष्ट एमओयू (कोल इंडिया लिमिटेड तथा सीएमपीडीआई के बीच) प्राप्त करने से सीएमपीडीआई की आकर्षक उपलब्धि प्रतिविम्बित होता है। सीएमपीडीआई

ने कोलकाता में 1 नवम्बर, 2016 को आयोजित 42वां कोल इंडिया स्थापना दिवस, 2016 के अवसर पर सीएसआर व्यय पर निगमित पुरस्कार (विशेष सम्मान पुरस्कार) प्राप्त किया। सीएमपीडीआई ने वर्ष 2016–17 के लिए उत्कृष्ट एमओयू रेटिंग भी प्राप्त किया।

18. निगमित शासन :

भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के लिए निगमित शासन पर सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार सीएमपीडीआई द्वारा निगमित शासन की शर्तों को पूरा किया गया है। निर्देशक मंडल की रिपोर्ट में निगमित शासन पर एक अलग खंड (सेक्शन) जोड़ा गया है तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट में कंपनी से सांविधिक अंकेक्षकों से निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट में एक परिशिष्ट लगाया गया है।

आभारोक्ति :

ये सभी उपलब्धियाँ आपकी कंपनी के सामूहिक प्रयास, श्रमिक संगठनों तथा ऑफिसर्स असोशिएशन के सदस्यों के साथ–साथ कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिए गए सहयोग से प्राप्त हो सकीं। मुझे विश्वास है कि कर्मचारियों की संलिप्तता, समर्पण तथा कंपनी में उपलब्ध विशेषज्ञता भावी कार्य के प्रति समर्पण दिलासा का बड़ा स्रोत होगा। मुझे विश्वास है कि हम भविष्य में और ऊँचाई प्राप्त करने का प्रयास जारी रखेंगे तथा पहले की तरह हर स्तर पर इसके समर्पित प्रतिबद्धता तथा उपलब्धियों के साथ शेयर होल्डर की चुनौतियों एवं आकांक्षओं को पूरा करेंगे।

मैं सभी शेयर होल्डर, कोयला मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों तथा विभागों, राज्य सरकारों, सभी कर्मचारियों, श्रमिक संगठनों, ग्राहकों एवं विक्रेताओं (वेन्डरों) को उनकी हार्दिक सहायता तथा अनवरत सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

(शेखर सरन)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक)

स्थान : राँची
दिनांक : 06.07.2017

उपलब्धि एक नजर में

क्रम सं.	विवरण	इकाई	2016-17 IndAS के अनुसार	2015-16 Restated IndAS के अनुसार	2015-16 GAAP के अनुसार	2014-15 GAAP) के अनुसार
1	सेवाओं की बिक्री (निबल बिक्री	₹ करोड़ में	930.52	759.27	759.27	726.72
2	कर के पहले लाभ	₹ करोड़ में	62.83	38.03	42.54	39.33
3	कर के बाद लाभ	₹ करोड़ में	38.82	23.97	28.48	25.04
4	धारित (रिटेन्ड) लाभ	₹ करोड़ में	38.82	23.97	28.48	25.04
5	निबल ब्लॉक	₹ करोड़ में	135.19	100.26	99.99	81.58
6	नेट वर्थ	₹ करोड़ में	255.7	215.25	214.98	182.84
7	चालू परिसम्पत्त	₹ करोड़ में	820.03	799.38	688.23	791.28
8	चालू देयताएँ	₹ करोड़ में	602.09	612.45	550.27	575.89
9	कार्यशील पूँजी [(7)-(8)]	₹ करोड़ में	217.94	186.93	137.96	215.39
10	नियोजित पूँजी	₹ करोड़ में	353.13	287.19	237.95	296.97
11	सकल मार्जिन	₹ करोड़ में	83.40	50.66	50.66	49.90
12	नियोजित पूँजी पर रिटर्न	₹ करोड़ में	17.79	13.24	17.88	13.24
13	प्रति शेयर उपार्जन	₹ करोड़ में	2131.83	480.04	1496.00	1315.13

नेट वर्थ = प्रदत्त पूँजी + आरक्षित एवं अधिशेष – संचित हानि एवं आस्थगित राजस्व व्यय

सकल मार्जिन = निबल लाभ + मूल्य ह्रास + ब्याज + पीपी समायोजन + कर व्यय

नियोजित पूँजी = निबल ब्लॉक + कार्यशील पूँजी

टिप्पणी : वर्तमान अवधि के साथ तुलनात्मक बनाने के लिए जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ है, गत वर्ष के अंकों को पुनर्व्यवस्थित/पुनर्समूहत/पुनवर्गीकृत किया गया है।

सीएमपीडीआई का वित्तीय पर्यवलोकन

बिक्री विवरण 2016-17

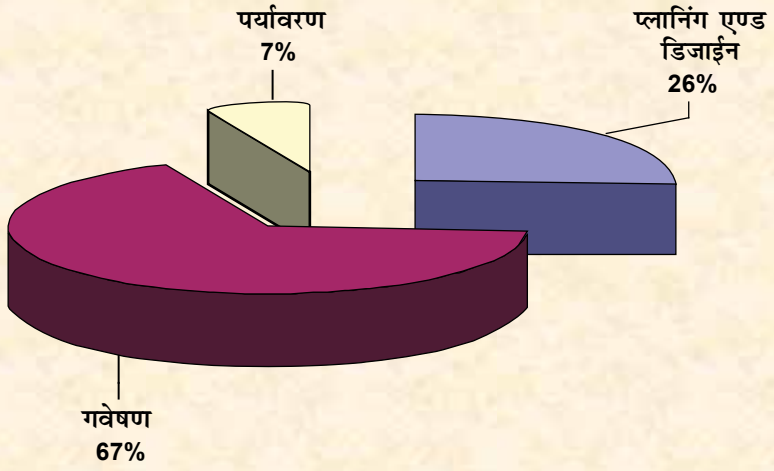

2016-17 के सेगमेन्ट के आधार पर व्यय का सारांश

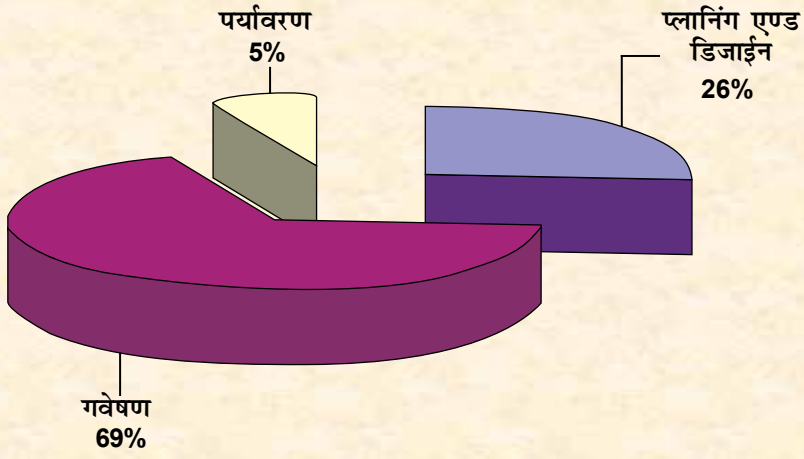

वर्ष 2016-17 के मुख्य व्यय का सारांश

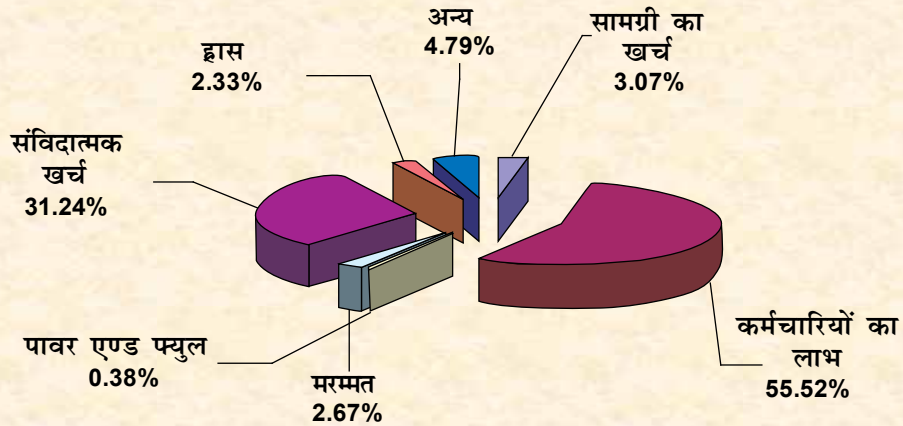

सीएमपीडीआई का वित्तीय पर्यवलोकन

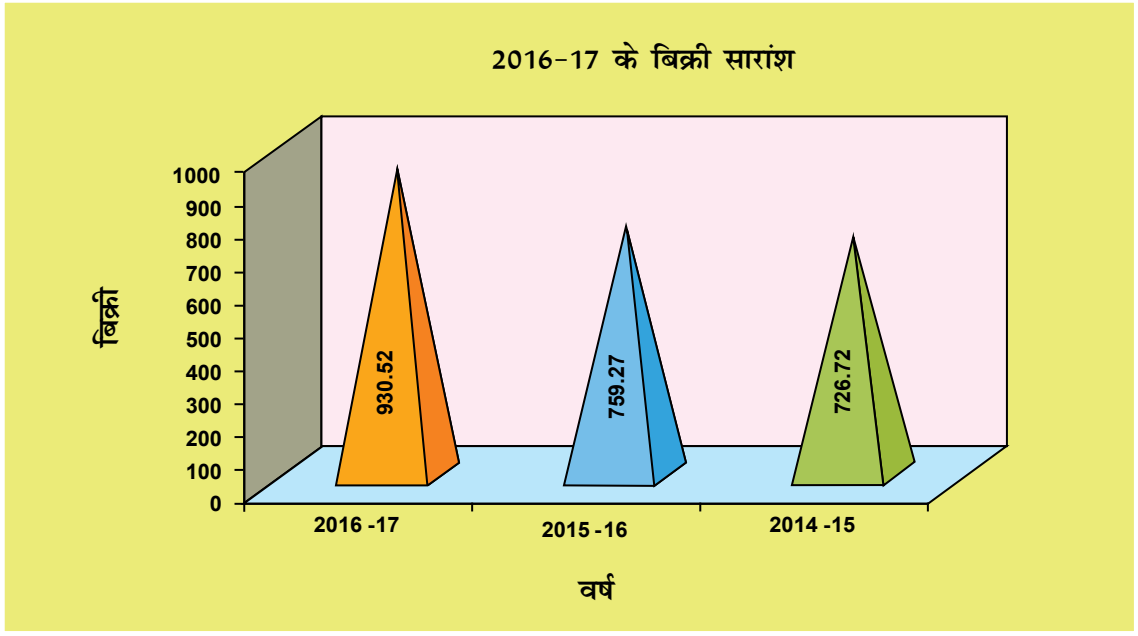

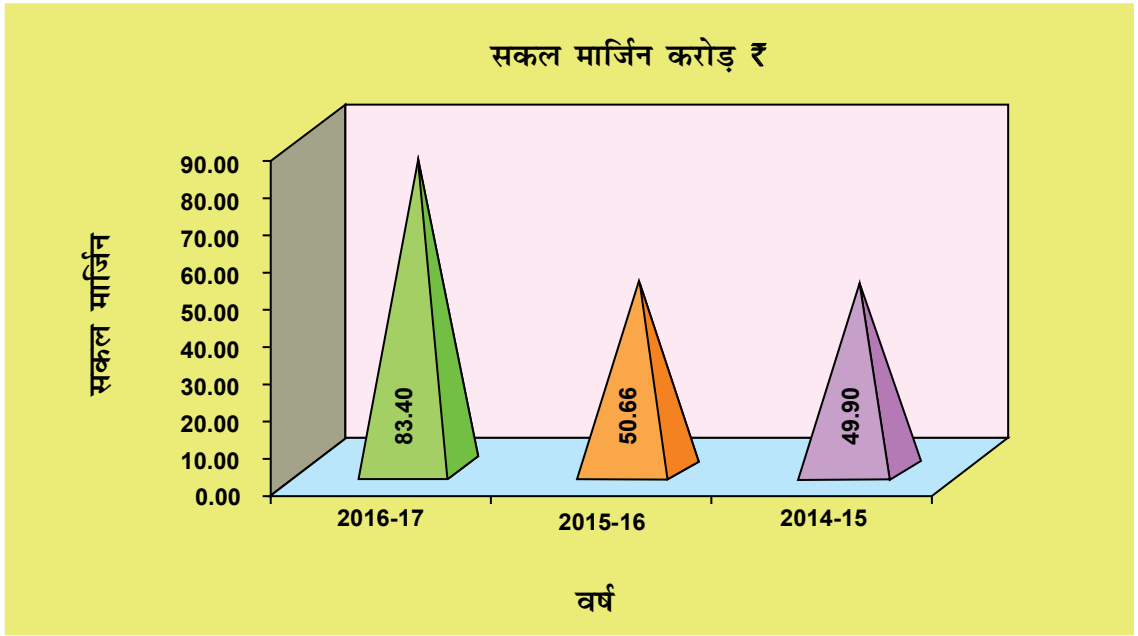

निदेशक-मंडल का प्रतिवेदन

सेवा में,

सज्जनों,

मुझे निदेशक–मंडल की ओर से 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिसाब–किताब तथा उस पर सांविधिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन सहित आपकी कम्पनी के क्रिया–कलापों पर आधारित 42वाँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

भाग : क

1.0 निगमित पर्यवलोकन

आपकी मिनी रत्न (कैट–।।) कंपनी (गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची स्थित अपने मुख्यालय तथा आसनसोल, धनबाद, राँची, नागपुर, बिलासपुर, सिंगरौली तथा भुवनेश्वर स्थित सातो क्षेत्रीय संस्थानों के साथ कार्य जारी रखी । सातो क्षेत्रीय संस्थानों को क्षेत्रीय संस्थान–1 से क्षेत्रीय संस्थान–7 तक का नाम दिया गया जो कोल इंडिया लिमिटेड की 7 संगत अनुषंगी कोयला उत्पादक कंपनियों जैसे ईसीएल (क्षे.सं.–1) बीसीसीएल (क्षे.सं.2), सीसीएल (क्षे.सं.3), डब्ल्यूसीएल (क्षे.सं.–4), एसईसीएल (क्षे.सं.5), एनसीएल (क्षे.सं.–6) तथा एमसीएल, भुवनेश्वर, (क्षेत्रीय संस्थान–7) को अपनी समर्पित सेवाएँ देती रही हैं।

हाइड्रो कार्बनमहानिदेशालय, मैगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि., नेशनल अल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि., नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि.,दामोदर वैली कारपोरेशन, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, महान कोल लिमिटेड, कर्नाटका पावर कारपोरेशन लि. आदि जैसे गैर सीआईएल ग्राहकों एवं कोल इंडिया, (मु) एनईसी को मुख्यतः सीएमपीडीआई, मुख्यालय के जरिए परामर्शी सेवाएँ दी जा रही है। इन परामर्शी सेवाओं के अलावे, सीएमपीडीआई कोयलामंत्रालय द्वारा दिए गए विशेषीकृत कार्यो को भी करता है।

वर्त्तमान में ओसीपीएल, एनएमडीसी, नालको, एनसीपीसी लि., महाजेनको, सेल, उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन (ओएमसी), पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएसीसीएल), गुजरात स्टेट इलेक्ट्रीसिटी कारपोरेशन लिमिटेड (जीएसईसीएल) आदि जैसे 19 संगठनों के लिए 25 आऊटसाइड कंसलटेंसी जॉब हाथ में है। वर्ष 2016–17 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा 29 संगठनों को 141.38 करोड़ रूपये की लागत वाली 43 बाहरी परामर्शी कार्य प्राप्त किए गए । यह सीएमपीडीआई द्वारा अब तक प्राप्त किए गए सर्वाधिक मूल्य वाला कार्य है।

1.1 प्रदत्त प्रमुख सेवाएँ

- **भू–वैज्ञानिक गवेषण एवं ड्रिलिंग**

  कोल बेड मीथेन संसाधनों का जल भू–वैज्ञानिक अन्वेशण एवं पहचान, हाई रिजोल्यूशन शेलो सिस्मिक सर्वेक्षण, मल्टी–प्रोब जियोफिजिकल लॉगिंग के जरिए भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण, खनन परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के लिए स्वःस्थाने कोयले के भंडार का मूल्यांकन करने तथा जियो इंजीनियरिंग एवं विश्वसनीय भू–वैज्ञानिक डाटा बनाने के आलोक में क्षेत्रीय रूप से गवेषित खनिखंडों का विस्तृत भू–वैज्ञानिक गवेषण।

- **परियोजना आयोजन एवं डिजाइन**

  भूमिगत और खुली खदान खानों, कोयला क्षेत्रों का मास्टर प्लान, कोल और मिनरल बेनीफिशिएशन तथा यूटिलाइजेशन प्लांट, कोयला निपटान संयंत्र, वर्कशॉप और अन्य सहायक ईकाइयाँ तथा निवेश निर्णय के लिए परियोजना रिपोर्ट एवं विभिन्न योजनाओं का तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन सहित आधारभूत सुविधाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं विस्तृत अभियांत्रिकी ड्राईंग की तैयारी

- **अभियंत्रण सेवाएँ**

  खानों, परिष्करण तथा यूटिलाइजेशन प्लांट्स, कोल हैंडलिंग प्लांट्स, विद्युत आपूर्ति प्रणाली, वर्कशॉप एवं अन्य इकाइयाँ, वास्तुशील्पीय प्लानिंग एवं डिजाइन के लिए सिस्टम और सब–सिस्टम का विस्तृत डिजाइन

- **अनुसंधान एवं विकास**

  कोल इंडिया की आरएंडडी द्वारा निधित आरएंडडी योजना और कोयला मंत्रालय द्वारा निधित सभी एसएंडटी योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सेवा दे रहा है। सीएमपीडीआई, स्वंय के बल पर परिश्करण, खनन, यूटिलाइजेशन, पर्यावरण गवेषण आदि के क्षेत्र में एप्लायड रिसर्च और विकास का कार्य भी शुरू किया है।

- **प्रयोगशाला सेवाएँ**

  सुसज्जित स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशालाएँ, संस्तर का भौतिक–यांत्रिक बल, पेट्रोग्राफिक, कोयले की वायु, जल, धोवन क्षमता गुण–निर्धारण, गैर–विध्वंसक परीक्षण (एनडीटी), कोल कोर सैम्पल, खान गैसों का गुणवत्ता विश्लेषण उपलब्ध करा रहा है।

  पर्यावरणिक सेवाएँ

  पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी, इसका कार्यान्वयन तथा क्षेत्रीय संस्थानों एवं मुख्यालयों के जरिए मॉनीटरिंग और घरेलू सीपीसीबी अनुमोदित प्रयोगशालाओं में वायु, जल, ध्वनि नमूनों का विश्लेषण, संपूर्ण कोल इंडिया के खानों के लिए लैंड यूज मॉनीटरिंग हेतु रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट का उपयोग भी शुरू कर दिया गया है।

- **सूचना प्रौद्योगिकी**
- **मानव संसाधन विकास**
- **विशेषीकृत सेवाएँ**
  - ❖ रिमोट सेंसिंग सहित जियोमेटिक्स
  - ❖ खानों में संवातन एवं गैस सर्वेक्षण
  - ❖ नियंत्रित विस्फोटन
  - ❖ नए विस्फोटकों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
  - ❖ खनन इलेक्ट्रानिक्स
  - ❖ खान की क्षमता का मूल्यांकन
  - ❖ खान सपोर्ट का डिजाइन; रॉक मास रेटिंग (आरएमआर)
  - ❖ अनाशक परीक्षण (एनडीटी)
  - ❖ प्रबंधन प्रणाली परामर्श
  - ❖ कोयला एवं ओबीआर की माप

1.2 वित्तीय कार्यकारी परिणाम

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने 40. 59 करोड़ रूपए निबल लाभ अर्जित किया है। कंपनी का कार्यकारी परिणाम नीचे दिया गया है :

विवरण	31.3.17 को समाप्त वर्ष	31.3.15 को समाप्त वर्ष (इंड एएस के अनुसार पुनर्कथित	परिणाम 31.3.15–16 को समाप्त वर्ष (इंड एएस के कार्यान्वयन के पहले)
निबलबिक्री	930.52	759.27	759.27
कुल व्यय	880.46	749	726.59
कर के पूर्व लाभ	65.53	15.35	42.54
कर व्यय	24.94	6.21	14.06
कर (क) के बाद लाभ	40.59	9.14	28.48
अन्य कम्प्रहेंसिव इनकम (ओसीआई)'	(2.70)	22.68	इंडएस जो कार्यान्वित नहीं किया गया।
आयकर	(0.93)	7.85	
कुल अन्य कम्प्रहेंसिव आय (ख)	(1.77)	14.83	
कुल कम्प्रहेंसिव आय (क)+(ख)	38.82	23.97	

1.3 प्रबंधन विवेचन एवं विश्लेषण रिपोर्ट

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट के प्रबंधन का कार्यनिष्पादन और आऊटलुक सहित महत्व के विभिन्न मामलों को शामिल करते हुए अपने विचार–विमर्श तथा विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

1.3.1 सीएमपीडीआई का विजन :

अर्थ रिसोर्स सेक्टर तथा संबंधित प्रोफेशनल गतिविधि में वैश्विक बाजार का लीडर होना।

1.3.2 सीएमपीडीआई का विजन

भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी अग्रणी परामर्शदाता के रूप में कोयला एवं खनिज गवेषण, खनन, अभियंत्रण तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में संपूर्ण परामर्शी सेवा देना।

1.3.3 उपर्युक्त को प्राप्त करने के लिए निगमित उद्देश्य की ओर अग्रसर होना (स्थापित करना)

सीएमपीडीआई के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है

1. भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय, जल–भूवैज्ञानिक तथा पर्यावरणिक आंकड़ा प्रतिपादन सहित कोयले तथा खनिज गवेषण में परामर्शी सेवा सहायता प्रदान करना।
2. अनुकूलतम खान प्लानिंग के लिए भूवैज्ञानिक मूल्यांकन पर भरोसा के स्तर को ऊँचा कर गवेषण तथा संभाव्यता रिपोर्ट की गुणवत्ता में सुधार करना।
3. निवेश आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाह्य संसाधन को पर्याप्त रूप से मोबलाइज करने तथा वेस्टेज को रोकने, संसाधनों की उत्पादकता में सुधार लाकर आंतरिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रतिपादन।
4. कोयला खानों, कोयला परिष्करण तथा यूटिलाइजेशन संयंत्र आदि के लिए परियोजना की प्लानिंग एवं डिजाईनिंग।
5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत कोयला क्षेत्र में अनुसंधान क्रिया–कलाप को प्रोत्साहित करना, समन्वय करना तथा प्रभावकारिता सुनिश्चित करना।
6. कोयला खनन और संबंधित परियोजनाओं के लिए पर्यावरणिक प्रबंधन योजना, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और माइन क्लोजर प्लान के फार्मूलेशन को शुरू करना।
7. भूमि पुनुरूद्धार मानिटरिंग, पर्यावरर्णिक आंकड़ा सृजन, वनाच्छादन मानचित्रण, कोयला खान अग्नि मापन, कोयला क्षेत्रों का वृहद पैमाने पर टोपोग्राफिकल मानचित्रण, टीपीएस के चयन सहित आधारभूत संरचना का आयोजन तथा वाशरी स्थल आदि के लिए सुदूर संवेदन सेवाओं में वृद्धि
8. कोल इंडिया लिमिटेड की कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों को क्षेत्र एवं प्रयोगशाला सेवा मुहैया कराना।
9. कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों के अतिरिक्त इससे इतर के संगठनों का परामर्शी सेवा मुहैया कराना।

1.3.4 सीएमपीडीआई के क्रिया-कलापों का संक्षिप्त विवरण

सीएमपीडीआई के सभी कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

क) भू–वैज्ञानिक गवेषण एवं सहायता सेवा–यह सीएमपीडीआई का कोर फंक्शन है और शुरूआत से ही है, जो खनिज डिपोजिट (खनिज भंडार) के लिए निम्नलिखित सेवाओं का प्रस्ताव करता है

- गवेषण की प्लानिंग तथा कार्यान्वयन
- निवेश तथा दोहन निर्णय के लिए संसाधन मूल्यांकन तथा प्रलेखन और
- सम्बद्ध क्षेत्र परीक्षण तथा प्रयोगशाला सहायता

ख) प्लानिंग, डिजाइन तथा सहायता सेवाएँ–सीएमपीडीआई के शुरूआत से ही अन्य कोर फक्शन होने के कारण, खनन के निर्माण एवं संचालन, परिश्करण, यूटिलाइजेशन और अन्य आधारभूत तथा अभियांत्रिकी परियोजनाएँ के लिए निम्नलिखित सेवाओं का प्रस्ताव करता है :

- वैचारिक / पूर्व–संभाव्यता / संभाव्यता अध्ययन / परियोजना रिपोर्ट और मूल एवं विस्तृत अभियांत्रिकी डिजाइन का सूत्रीकरण और / अथवा मूल्यांकन
- अभियंत्रण एवं अन्य संबंधित परामर्श तथा सहायता और
- संबंधित क्षेत्र परीक्षण एवं प्रयोगशाला सहायता।

ग) पर्यावरणिक प्रबंधन सेवाएँ– माइन क्लोजर प्लानिंग, लेबोरेटरी तथा टेस्ट सपोर्ट सहित उनके प्लानिंग और आपरेशन के दौरान पर्यावरणिक प्रबंधन के लिए खनन एवं खनिज उद्योग को सभी प्रकार का सपोर्ट 1992 से ही दे रहा है। वार्षिक आधार पर सेटेलाइट सर्वेलांस द्वारा प्रति वर्ष 5 मिलियन घन मीटर (कोल+ओबी) से अधिक उत्पादन वाली खानों की भूमि पुनद्धार मॉनीटरिंग की जा रही है। जबकि 2011 से प्रतिवर्ष 5 मि.घ.मी. (कोयला+ओबी) से कम उत्पादन वाली खानों भूमि पुनद्धार मानिटरिंग तीन वर्षों तक के अंतराल पर की जाती है।

घ) प्रबंधन प्रणाली सेवाएँ : 1997 से यह क्रिएशन, डक्यूमेंटेशन, कार्यान्वयन तथा विभिन्न प्रबंधन प्रणाली मानकों का प्रशिक्षण अर्थात् आईएसओ 9001 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001 (पर्यारणित प्रबंधन प्रणाली), ओएएसएएस 18001 (व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन), एसए 8000 (सोशल एकांडटेबिलिटि प्रबंधन), आईएसओ 50001 (ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली) तथा आईएसओ 27001 (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) पर सेवाएँ देता आ रहा है।

ड.) मानव संसाधन विकास : 1976 से इन सेवाओं में निम्नलिखित शामिल है : बाजार के ग्राहकों विशेषकर खनिज एवं खनन सेक्टर को प्रशिक्षण से संबंधित तकनीकी प्रबंधकीय प्रबंधन प्रणाली।

च) विशेषज्ञता प्राप्त सेवाएँ :सुदूर संवेदन, खानों में संवातन एवं गैस सर्वेक्षण, नियंत्रित विस्फोटन, नए विस्फोटकों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन, खनन इलेक्ट्रानिक्स, खान क्षमता मूल्यांकन, खान थम्हाल डिजाइन, रॉक मास रेटिंग (आरएमआर), अनाशक परीक्षण, प्रबंधन प्रणाली परामर्श, ओबीआर चेक आदि की मॉप सहित जियोमेटिक्स के क्षेत्र में विशेषज्ञ परामर्शी सेवाएँ भी दी जा रही है।

1.3.5 उद्योग की संरचना तथा विकास

अप्रैल 2017 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश द्वारा जारी वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक के अनुसार वित्तीय बाजार और मैनुफेक्चरिंग और व्यवसाय में दीर्घ प्रतीक्षित साइकल रिकवरी का अनुमान किया है। रिपोर्ट के अनुसार 2016 में 3.1 प्रतिशत से 2017 में 3.5 प्रतिशत ओर 2018 में 3.6 प्रतिशत वृद्धि को प्रोजेक्ट किया है। यह चेतावनी दी गई है कि स्ट्रोंगर रिकवरी को होल्ड बैक के लिए बाइन्डिंग स्ट्राक्चरल इम्पेडीमेंटस जारी रहेगा। शेष जोखिम डाउन साइड, विशेषकर मीडियम टर्म तक जारी रहेगा। लो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ और हाई इनकम इन इक्विलिटी जैसे परसिसटेंट स्ट्रक्चरल प्राब्लम सहित एडवांस इकोनोमिक्स में बढ़ती इनवार्ड–लुकिंग पॉलिसी के लिए प्रेशर बढ़ रहा है। यह वैश्विक आर्थिक इंटीग्रेशन की चेतावनी देता है और को–आपरेटिव ग्लोवल इकोनोमिक ऑर्डर जो विश्व आर्थिक विशेषकर उभरती बाजार और विकसित आर्थिक विश्व इकोनोमिक को सर्व किया है। इस बैक ड्राप के अगेंस्ट में आर्थिक नीति डाउन साइड जोखिम और रिकवरी को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि घरेलू मार्चे पर नीति का उद्देश्य माँग और रिपेयर तुलन–पत्र जहाँ आवश्यकत हो तथा संभावित, वुस्ट प्रोडक्टीविटि, लेवर आपूर्ति और संरचनात्मक सुधार के जरिए निवेश तथा आपूर्ति अनुकूल फिसकल उपाय, सार्वजनिक आधारभूत संरचना को अपग्रेड करना तथा तकनीकी परिवर्त्तन और वैश्विकरण जैसे संरचनात्मक ट्रांसफार्मेशन द्वारा डिस्प्लेस किए गए सहायता, लोवर कोमोडिटि रेवेन्यू को एडजस्ट करने तथा वित्तीय वलनरेविलिटि को एड्रेस कर अनेक उभरती बाजार और विकसित अर्थव्यवस्था में परिवर्त्तन मुख्य है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के फलैगशिप वार्षिक दस्तावेज की दो प्रमुख मेजर डोमेस्टिक पॉलिसी डेवलपमेंट, संवैधानिक संशोधन, ट्रांसफोरमेशनल गुड्स और सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के लिए रास्ते, दो हाइएस्ट डिनोमिनेशन नोट्स को डिमोनेटाइज का

कार्य करने के लिए वर्ष को चिन्हित किया गया था। जीएसटी सामान्य भारतीय बाजार का सृजन करेगा, टैक्स कंपनियाँ से और गवर्नेस को इम्प्रूव करेगा तथा निवेश ओर वृद्धि को बुस्ट करेगा। यह इंडिया के कोआपरेटिव फेडरलिज्म के गवेर्नेस में एक बोल्ड नया प्रयोग भी है। डिमोनेटाइजेशन अल्पकालीन लगता है परंतु दीर्घकालीन लाभ की संभावना बनी रहती है। जीएसटी में रियल स्टेट और ब्रिगिंग भूमि सहित आगे कर में सुधार तीव्र, डिमांड ड्राइवेन, रूमोनेटाइजेशन सहित अधिकतम लाभ और न्यूनतम लागत पर कार्य करेगा तथा ओवर जिलियस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ऐले एनेक्जाइटीज के लिए कार्य और स्टाम्प तथा कर दर में कमी होगी। इस कार्य से वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रवृत्ति के रिटर्न में वृद्धि होगी, तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में अस्थायी कमी होगी। आगे की ओर देखें तो आइडियाज और नरेटिव सोसाइटेल शिफ्ट को तीन स्टैण्डिंग मेटा चैलेजेज से उभरना होगा : इनइफिशिएंट रीडिस्ट्रीब्यूशन, प्राइवेट सेक्टर का एमबिवालेंस तथा प्रोपर्टी अधिकार और इम्प्रुविंग लेकिन स्टील चैलेंज्ड स्टेट केपेसिटि। अन्तराष्ट्रीय स्तर पर परब्रेक्जिट और यूएस चुनाव टेक्टोनिक शिफ्ट को हेराल्ड कर सकता है। वैश्विक, यहाँ तक कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए फोर बोडिंगली लेउेन डार्कर संभावनाओं से भरा होगा।

भारत में खनन एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है जिसका भारत के अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योग देता है। ऊर्जा के क्षेत्र में 70 प्रतिशत से अधिक पावर जेनरेशन देश में होता है। 12वीं योजना के लिए कोल एवं लिग्नाइट पर वर्किंग दल ने वर्ष 2021–22 में 273 मिलियन टन की ट्यून के लिए माँग और स्वदेशी उपलब्धता के बीच अंतर को बताया है।

सरकार ने देश में अगले 5 वर्षों में राउन्ड द क्लॉक विद्युत आपूर्ति का महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरूआत की है। इससे और अधिक आधारभूत संरचना एक अन्य प्रमुख क्षेत्र सरकार के लिए है, जो सीमेंट और स्टील की माँग में सकारात्मक पहल होगी। इस प्रकार बिजली में वृद्धि से सीमेंट और स्टील सेक्टर में कोयले की मांग में भारी वृद्धि की संभावना है। इसी प्रकार सरकार के ग्रोथ प्लान पर अमल करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2019–20 तक 908 मिलियन टन के कोयला उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप तैयार किया है।

सीएमपीडीआई के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए विस्तृत वेधन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 11.26 लाख मीटर की उपलब्धि स्तर से 12.50 लाख मीटर के स्तर को सेट किया है। कानून एवं व्यवस्था तथा वन स्वीकृति की कमी के कारण ड्रिलिंग में एमओसी द्वारा 11 प्रतिशत वृद्धि निर्धारित की गई है। हालांकि सीएमपीडीआई सीआईएल द्वारा कोयला उत्पादन के 908 मी.टन की आवश्यकता वाली विभिन्न रिपोर्ट की तैयारी के लिए शिड्यूल बनाया है। भविश्य में उत्पादन में ससटेनेनस और वृद्धि के लिए निरंतर आधार पर कोल इंडिया द्वारा गवेषण और प्लानिंग सपोर्ट जरूरी होगा। यह सीएचपी, वाशरी आदि सहित आधारभूत संरचनाओं के लिए भी सत्य होगा। इसके अतिरिक्त सीएमपीडीआई की विशेषज्ञ सेवाओं की पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में अन्य कोल उत्पादक कंपनियाँ द्वारा माँग है। कोल कंपनी के स्ट्राइड मुख्यतः कोल इंडिया लिमिटेड स्वदेशी आपूर्ति से कोयले की माँग पूरा करने के प्रति सीएमपीडीआई सेवाओं में सपोर्ट करना होगा। सीएमपीडीआई टाटा स्टील, सेल, एमओआईएल, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, हुट्टी गोल्ड माइन, एनएमडीसी आदि जैसे मेटल माइनिंग कंपनियों के लिए परामर्श सेवाएँ प्रदान करता है।

आगे और कोल बेड मीथेन/कोल माइन मीथेन, अंडरग्राउंड कोल गैसीफिकेशन, भोल गैस आदि जैसे नन–रीन्यूववल एनर्जी जेनरेशन पर आधारित कोयले के वैकल्पिक स्रोत को अपनाने पर कोल इंडिया और अन्य कंपनियाँ के लिए सीएमपीडीआई हेतु परामर्श कार्य का स्रोत होगा। इसके अतिरिक्त कोयला क्षेत्र में इंफार्मेशन एंड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी उभरता हुआ क्षेत्र है, जो सीएमपीडीआई के लिए एक वर्तमान अतिरिक्त अवसर भी है, जिसमें आने वाले वर्षों में और वृद्धि होगी।

हालॉकि विगत वर्षों में कंपनी द्वारा किए गए सभी प्रयास टॉप और बॉटम में दिखलाई नहीं पड़त्रे है। इस प्रकार सीएमपीडीआई के गतिशील व्यवसाय के लिए इसकी आवश्यकता ओर अधिक बढ़ जाती है। तथापि कंपनी द्वारा कई वर्षों से किए जा रहे प्रयास इसके ऊपरी एवं निचले स्तर पर प्रतिबिम्बित नहीं हुए। इसलिए सीएमपीडीआई की व्यावसायिक गति पर पुनरावलोकन करना जरूरी है। इससे बड़े कोयला क्षेत्र में भावी बाजार परिदृश्य तथा अन्य क्षेत्रों के दूसरे क्रिया–कलापों में संभावित अवसरों का पर्याप्त व्यापक अध्ययन शामिल है। कुल मिलाकर यद्धपि देश में कोयला ईंधन की प्रमुखता बनी रहने तथा कम–से–कम आगामी 8–10 वर्षों तक स्थानीय लोगों के लिए सस्ता एवं प्रचुर ऊर्जा उपलब्ध कराने वाला वास्तविक विकल्प बने रहने की संभावना है, तथापि लंबे समय–सीमा तक भारत की थर्मल कोल तथा कोयले की माँग में कमी पर भी होने लगी है। सीआईएल तथा एसईसीएल द्व ारा कोयले के उत्पादन में वृद्धि के कारण वर्ष 2016–17 में थर्मल कोल के आयात में आई गिरावट से इस विचार की पुष्टि होती है। तथापि बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के दोहन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता कोयला क्षेत्र के भावी विस्तार कार्यक्रम पर प्रभाव डाल सकती है। वातावरण से कार्बन डायक्सायड को हटाने के लिए विद्युत उत्पादन तथा वृक्षाच्छादन एवं वनाच्छादन सहित कार्बन सिंक मिलाकर स्वच्छ ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाने के अलावा 2005 की तुलना में 2030 तक 33–35 प्रतिशत उत्सर्जन घनत्व कम करने के लिए भारत के 2020 के बाद ''जलवायु कार्य योजना'' में यह वादा किया गया है। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर तथा सीएमपीडीआई के बिजनेस डोमेन में गतिशीलता लाने के लिए उत्पादन में और वृद्धि तथा खासकर 2डी सिसमिक एवं अन्य भू–भौतिक प्रणाली के जरिए गवेषण क्षमता में वृद्धि, जहाँ जरूरी हो वहाँ वर्तमान सुविधाओं तथा आधारभूत संरचनाओं का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण, श्रमशक्ति उपयोग का वैज्ञानिक पुनर्गठन एवं अधिकारियों की बहाली, कोयला के अलावा अन्य क्षेत्रों में खनिज, खनन तथा सम्बद्ध इंजीनियरिंग के सेक्टर में नए क्षेत्रों में प्रवेश, मूल्य के रूप में बाहरी कार्य (गैर सीआईएल) में मात्रात्मक वृद्धि, कम्प्यूटरीकरण एवं नेटवर्किंग के जरिए ड्रिलिंग एवं इन्वेन्टरी सिस्टम सहित कोर क्षेत्र में प्रभावकारी मॉनिटरिंग स्थापित करना, कोयला आधारित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास के लिए प्रौद्योगिकी स्थापित करना आदि सुनिश्चित करेगा। इसके अलावे, कंपनी के प्राइसिंग मेकेनिज्म कंपनी के ऊपरी और निचले स्तर में सुधार करने के लिए संपूर्ण रीलूक किया जा रहा है।

1.3.6 उपर्युक्त उद्देश्य एवं विजन प्राप्त करने के लिए अपनाई गई रणनीति :

सीएमपीडीआई के बाजार में स्थान तथा गहरी जानकारी के साथ सीएमपीडीआई ने खनिज, खनन ओर संबंद्ध सेक्टर में उपर्युक्त के अनुसार अपने निगमित उद्देश्य और विजन को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित नीतियाँ और बिजनेस प्लान अपना रहा है :

i. दक्ष श्रमशक्ति, उपकरण, संयंत्र और मशीनरी आदि के अतिरिक्त गवेषण क्षमता में वृद्धि करना।
ii. कोयले के अतिरिक्त, खनिज, खनन तथा सम्बद्ध अभियंत्रण सेवाओं के नए क्षेत्रों में विविधिकरण ।
iii. बाहरी ग्राहकों के लिए मार्केट शेयर बढ़ाना।
iv. देश के बाहर तथा भीतर रणनीतिक साझेदारों के साथ टाई–अप।
v. वर्तमान सुविधाओं एवं आधारभूत संरचनाओं का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण।
vi. बढ़ी हुई संचालन क्षमता तथा कार्य की गुणवत्ता ।
vii. निगमित कार्य संस्कृति तथा आंतरिक पद्धति में सुधार।
viii. कोयला उद्योग को सतत् प्लानिंग एवं विशेषज्ञ सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए श्रमशक्ति का युक्तिसंगत उपयोग

तथा अधिकारी श्रमशक्ति को बढ़ाना।

ix. बेहतर लागत नियंत्रण उपाय एवं मानिटरिंग तथा,

x. कोयला आधारित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत तथा शेल गैस का विकास।

1.3.7 सामर्थ्य एवं कमजोरी :

सामर्थ्य

- सीएमपीडीआई वास्तव में अपने प्रकार का एक बहु–अनुशासनिक संगठन होने के कारण एक ही छत के नीचे खनन से पूर्व, खनन परिचालन के दौरान, और खनन परिचालन के बाद सभी सेवाएँ उपलब्ध कराता है।
- यह नीति के तहत स्थापित क्षेत्रीय संस्थानों के साथ कोल इंडिया की अनुशंगी कंपनियों को डोर–स्टेप सेवाएँ उपलब्ध कराने में सक्षम है।
- इसके पास कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के कोलफील्डस के अनुसार/खान के अनुसार मजबूत डाटा बेस है।
- इसके पास 1400 से अधिक बहुअनुशासनिक (मल्टीडिसिप्लिनरी) कौशलयुक्त श्रमशक्ति का मजबूत आधार है।
- बड़ी संख्या में आधारभूत सुविधाओं, 70 मि. ट.प्र.व.खुली खदान खान तथा 3.5 मी.ट. प्र.व. भूमिगत खान तक के निजी परियोजना क्षमता सहित 1000 खनन परियोजना रिपोर्टों से अधिक की 1300 समेकित कोल गवेषण परियोजना, प्लानिंग को क्रियान्वित करने का व्यापक अनुभव है।
- 8 राज्यों में फैले जियोग्राफिकल स्प्रेड वाले कोयला गवेशण प्रयोगशाला सुविधाएँ, बेसलाइन डाटा जेनरेशन क्षमता आदि के लिए व्यापक आधारभूत संरचना है।

कमजोरियाँ (कमियाँ)

- अधिकारी तथा कर्मचारी संवर्ग में कुशल एवं योग्य कार्मियों की कमी।
- कंपनी छोड़ने का दर अधिक होना (नव–नियुक्त कर्मी को प्रशिक्षित होने के बाद कंपनी छोड़ना)

1.3.8 अवसर एवं आशंकाएँ

अवसर

कोयले की माँग कम–से–कम 8 से 10 वर्षों तक जारी रहने की संभावना है, जिससे सीएमपीडीआई की सेवाओं की संभावना बनी रहेगी।

कोयला क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाने की आवश्यकता।

गैर कोयला क्षेत्रों में अपनी सेवाओं का विविधिकरण।

सीबीएम/सीएमएम/यूसीजी/शेल गैस, जियोमेटिक्स, एनडीटी आदि से संबंधित विशेषज्ञ सेवा देने में दक्षता।

आशंकाएँ

12वीं योजना बाद क्षेत्रीय गवेषण में आनुपातिक वृद्धि की अनुपस्थिति (कमी) तथा वर्तमान विस्तृत ड्रिलिंग क्षमता की पुष्टि।

बोरहोल डेनसिटि की अपेक्षित संख्या सहित वेधन परिचालन के लिए वन–स्वीकृति प्राप्त करने में अनपेक्षित विलंब।

वन क्षेत्र में गवेषण में प्रतिबंध से एक्पेंशन प्रोग्राम में समस्या हो सकती है।

विभिन्न राज्यों में कमजोर कानून एवं व्यवस्था से बाधा।

कोयले क्षेत्र को और खोलने से अन्य घरेलू अथवा अन्तर्राष्ट्रीय परामर्श सेवाओं को उपलब्ध कराने वालों से बाजारू प्रतियोगिता।

भविष्य में लॉंगर टाइम हॉरिजन से कोयले की माँग में सस्टीमांस (पुष्टि) तथा थर्मल कोल के लिए भारत की घटती कोयले की माँग से कुछ आशंकाएँ उत्पन्न हो सकती है।

1.3.9 मूल्य निर्धारण :

गवेषण, खान योजना/परियोजना रिपोर्ट, पर्यावरणिक योजना तथा अन्य अभियंत्रण सेवाओं का मूल्य निर्धारण ग्राहकों की श्रेणी के आधार पर किया जाता है। कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं के लिए विभागीय ड्रिलिंग सेवाओं के लिए 7.5 प्रतिशत तथा पीएंडडी सेवाओं के लिए 10 प्रतिशत सेवा शुल्क + लागत को जोड़कर दर पर मूल्य निर्धारित किया जाता है। हालाँकि कंपनी के टॉप तथा बॉटम लाइन तथा अन्य बिजनेस डायनेमिक्स को बढ़ाने के लिए मूल्य नीति की समीक्षा की जा रही है। दिनांक : 31.01. 2017 को हुई सीएमपीडीआई बोर्ड की 201वीं बैठक में पर्यावरणिक मॉनीटरिंग के रिवीजन के लिए अपने अनुमोदन को पहले ही दे चुका है और इसका कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016–17 के विगत तिमाही से किया गया है। इंटरनल कंसलटेसी कार्य से संबंधित रोक कर रखे गए सेवा शुल्क को दिनांक : 10.03.2017 की इसकी 202वीं बैठक में दे दी गई और 1 अप्रैल, 2017 से इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

1.3.10 बाजार नीति :

सीएमपीडीआई प्राथमिकता के आधार पर कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा सभी संभावित क्षेत्र में जब और जहाँ आवश्यक हो परामर्श सेवाएँ मुहैया कराने के प्रति वचनबद्ध है।

1.3.11 दृष्टि एवं तैयारी :

11वीं और 12वीं योजना अवधि के दौरान सीएमपीडीआई के गवेषण क्रिया–कलाप बहुत उत्साहवर्द्धक रहा। विभागीय ड्रिलों और आउटसोर्सिंग के जरिए 10वीं योजना अवधि (2000–07) के दौरान कुल वेधन 10 लाख मीटर तथा 11वीं योजना अवधि (2007–12) के दौरान लगभग 19.41 लाख मीटर वेधन की तुलना में 12वीं योजना अवधि (2012–17) के दौरान 42.08 लाख मीटर वेधन सीएमपीडीआई द्वारा किया गया। वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2016–17 की अवधि के दौरान सीएजीआर 18 प्रतिशत से अधिक तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान 2.07 लाख मीटर उपलब्धि अधिक थी। विभागीय वेधन को आधुनिकीकरण, न्यू हाइयर केपेसिटि मेकेनिकल का इंडक्शन तथा हाइड्रोस्टेटिक वेधन, हाई परफार्मेंस बिट्स जिसके परिणाम स्वरूप उच्च उत्पादकता, आधुनिक मड टेक्नोलॉजी को अपनाना, ड्रिलिंग संबंधी उपकरणों का पुख्ता प्रबंधन और श्रम शक्ति आदि सीएमपीडीआई के ड्रिलिंग क्षमता को बढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन है।

भारत सरकार कोयला गवेषण को फास्ट ट्रैक पर रखा है। 5 वर्षों में विस्तृत गवेषण और जीएसआई, सीएमपीडीआई आदि द्वारा तीन वर्षों में देश के क्षेत्रीय गवेषण बढ़ाया है। यह केवल आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाकर संभव हो सका है, जो क्वांटम ऑफ ड्रिलिंग में कमी लाएगा और भूवैज्ञानिक मॉडल को अधिक विश्वसनीय बनाएगा। सिस्मिक सर्वे का प्रयोग वृहद रूप से ऑयल सेक्टर में होता है जिसे कोयला सेक्टर के लिए बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि यह फलदायक हो। इसके अलावे कोल बेल्ट के एक्सटेंशन एरिया में कनसील्ड कोल वियरिंग सेडिमेंटरी बेसिन की पहचान करने में एरियल जियोफिजिकल सर्वेक्षण अगुवाई करेगा। सीएमपीडीआई गवेशण और उन्हें मिक्स करने में ऐसे प्रौद्योगिकी पर भूवैज्ञानिक रिपोर्ट की तैयारी करने में इसे अंगीकार करने पर विचार करेगा। यह भू वैज्ञानिक रिपोर्ट तेजी से तैयार करने में मदद करेगा तथा ब्लॉकों के भूवैज्ञानिक मॉडल के लिए बेहतर आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होगा। अन्य भाब्दों में, भूभौतिकी संबंधी कार्य कोयला गवेषण की प्रक्रिया में इसका उपयोग गहनता से किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा 12.50 लाख मीटर बढ़ाकर रखा गया है, जो वेधन के लिए कोयला ब्लॉकों का पर्याप्त संख्या में आऊटसोर्सिंग करने की आवश्यकता पर बल

दिया है। विभिन्न कोयला ब्लॉकों में एमईसीएल के लिए प्रति वर्ष गवेषणात्मक वेधन 1 लाख मीटर तक के लिए सीएमपीडीआई एमईसीएल के साथ दिनांक 6 जनवरी, 2009 में एक दीर्घकालीन एमओयू किया था, जिसे बढ़ाकर 4.00 लाख मीटर प्रति वर्ष कर दिया गया है। राष्ट्रीय/वैश्विक निविदा सिक्स राउण्ड एवं 11 राउण्ड ई–टेंण्डरिंग वित्तीय वर्ष 2007–08 (2016–17 तक) किया गया है तथा 31.95 लाख मीटर सहित 81 ब्लॉकों के लिए कार्यादेश दिया जा चुका है। हालॉकि विपरीत कानून एवं व्यवस्था तथा वन क्षेत्र में ड्रिलिंग के लिए स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ड्रिलिंग में अवरोध आया। इसके लिए सीएमपीडीआई, सीआईएल और एमओसी द्वारा, एमओईएफ और संबंधित राज्य से गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श किया जा रहा है।

12वीं योजना के लिए कुल 129 परियोजनाएँ चिन्हित किए गए जिसके परिणामस्वरूप लगभग 517 मी.ट.प्र.व. अतिक्ति वृद्धि क्षमता में होगी, जिसकी तुलना में लगभग 456 मी.ट.प्र. अतिरिक्त क्षमता में वृद्धि होगी, जिसे पहले ही सूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त 198 मी.ट.प्र.व. की क्षमता वृद्धि सहित 77 परियोजना रिपोर्ट 12वीं योजना अवधि के दौरान 31 मार्च, 2017 तक बनाया गया। फिर भी 2019–20 तक 908 मी. ट. कोयला उत्पादन के कोल इंडिया के कार्यक्रम के संबंध में सीएमपीडीआई विभिन्न रिपोर्ट की तैयारी के लिए कार्यक्रम के अनुसार तैयार है।

सीएमपीडीआई में सभी प्रयोगशालाओं की क्षमताओं को अपग्रेड किया गया है। सोफिस्टीकेटेड आयातित उपकरण सहित रासायनिक और पेट्रोग्राफिक प्रयोगशालाओं को उन्नत किया गया है। वर्तमान पर्यावरणिक प्रयोगशाला को स्टेट ऑफ द आर्ट उपकरण से सुसज्जित किया गया है। सीएमपीडीआई के क्षेत्रीय संस्थान–4 एवं क्षेत्रीय संस्थान–5 को एनएबीएल द्वारा री–एक्रीडिटेड किया गया है। प्रयोगशालाओं के परीक्षण और केलिब्रेशन के लिए नेशनल एक्रीडिटीशन बोर्ड द्वारा सर्वेलांस एसेसमेंट वर्ष के दौरान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान पर्यावरण प्रयोगशाला के सीपीसीवी मान्यता मिली है, जो पाँच वर्षों के लिए वैद्य है। सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल (सीआई) द्वारा सीएमपीडीआई, मुख्यालय, क्षेत्रीय संस्थान–4 एवं क्षेत्रीय संस्थान–5 में प्यावरणिक प्रयोगशाला को ओएचएएस–18001–2007 के लिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रदान किया गया। अध्ययन, रिजरवायर कैरेक्ट्रीस्टिक और सीबीएम एवं भोल गैस रिसोर्स के मूल्यांकन से संबंधित सीवीएम/सेल गैस से संबंधित सभी पारामीटर के जेनरेशन में सीएमपीडीआई में कार्यरत सीबीएम प्रयोगशाला सुविधा प्रदान कर रहा है। आगे और सीएमपीडीआई की क्षमता और कैपेबिलिटि को बढ़ाने के लिए सीएमपीडीआई और सीएसआईआरओ, आस्ट्रेलिया द्वारा एसएंडटी निधित परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।

सम्बद्ध अभियांत्रिकी सेवाओं के साथ–साथ गवेषण, प्लानिंग और डिजाइन में श्रमशक्ति की आवश्यकता का पता लगा लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान भरती और स्थानान्तरण के जरिए सीएमपीडीआई में 73 अधिकारियों को पदस्थापित किया गया है। इसी प्रकार, भर्ती/क्षतिपूर्ति नियोजन अन्य अनुषंगी कंपनियों श्रमशक्ति में वृद्धि की गई है और श्रमशक्ति में वृद्धि की प्रक्रिया जारी है।

2008 से अब तक 5 घन मिलियन मीटर (कोल+ओबी) से अधिक उत्पादन वाले सीआईएल के सभी खुली खदान कोयला खान के भूमि पुनरूद्धार मॉनीटरिंग के लिए सेटेलाइट सर्वेलॉस वार्षिक रूप से शुरू कर दिया गया था। इसके आगे, 5 मिलियन घन मीटर (कोल+ओबी) से कम उत्पादन वाले सीआईएल के खुली खदान कोयला खानों का भूमि पुनरूद्धार मॉनीटरिंग वर्ष 2011 से भी तीन वर्ष के अंतराल पर शुरू किया गया था। खान अग्नि मानचित्रण, वनाच्छान मानचित्रण आदि जैसी अन्य सेवाएँ सीएमपीडीआई द्वारा शुरू की गई है और जियोमेटिक्स के क्षेत्र में अतिरिक्त सेवाओं को उपलब्ध कराने में सक्षम है।

वाशरियों की स्थापना में में कोल इंडिया के अनुषंगी कंपनियों को तकनीकी सहायता मुहैया कराई गई। रिकार्ड टाइम में ई–रिर्वस आक्सनिंग प्रोसेस पर बिल्ड आपरेट–मेनटेन और बिल्ड–आन–ऑपरेट कंसेप्ट पर निविदा दस्तावेज को कस्टोमाइज्ड किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड के तहत संचालित कोकिंग कोल वाशरियों के आधुनिकीकरण में तकनीकी सहायता भी उपलब्ध किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड आरएंडडी योजना के तहत ड्राई कोल बेनिफिशिएशन प्लांट को भी क्रियान्वित किया गया है। स्क्रूटनाइजिंग और एप्रोविंग डिटेल डिजाइन ड्राईंग द्वारा नई वाशरियों के निर्माण में सहायता दी गई है। प्रयोगशाला क्रियाविधि के तहत आरओएम कोल सैम्पल और बोर कोल कोल सैम्पल की धोवन क्षमता अध्ययन बाहरी ग्राहकों के साथ–साथ कोल इंडिया लि./ अनुशंगी कंपनियों के लिए सम्पन्न किया गया। भविष्य में कोयला वाशरियों की स्थापना करने में सक्रिय जारी रहेगा।

सीएमपीडीआई कोयला आधारित गैर–परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के व्यावसायिक विकास की सुविधा देने तथा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ व्यावसायिक और अनुसांधन एवं विकास के लिए अपना प्रयास जारी रखा है। सीएमपीडीआई ओएनजीसी कोल इंडिया के कंसोरटियम को आवंटित दो ब्लॉक मुख्यतः झरिया और रानीगंज नार्थ में कोल बेड मीथेन के लिए कोल इंडिया की ओर से सीएमपीडीआई विचार कर रहा है। और प्रशासनिक और अन्य मुद्दों अर्थात् संविदात्मक, परिपालन आदि को शुरू करने में कोल इंडिया को सहयोग देकर रहा है। कोयला मंत्रालय ने भारत में सीएमएम के विकास के लिए सीएमपीडीआई को नोडल एजेंसी बनाया है।

कोयला मंत्रालय ने ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक–29 जुलाई, 2015 में कोल इंडिया को आवंटित कोल माइनिंग लीज के तहत इसके क्षेत्रों से सीबीएम को गवेषित और दोहन करने के लिए अनुमति दी है। कोल इंडिया के क्षेत्रों में विकास की संभावना को बढ़ाने के लिए ''सीआईएल के कमांड क्षेत्र में सीएमएम की संभावना का मूल्यांकन'' के लए सीएमपीडीआई द्वारा अध्ययन शुरू किया जा चुका है, शुरू में दो सीएमएम ब्लॉक मुख्यतः ईसीएल में रानीगंज सीएमएम ब्लॉक तथा बीसीसीएल में झरिया सीबीएम/सीएमएम ब्लॉक को शुरू किया गया है (क) रानीगंज कोयला क्षेत्र (ईसीएल क्षेत्र) और (ख) झरिया कोयला क्षेत्र (बीसीसीएल) में सीएमएम ब्लॉक के लिए खनन पट्टे वाले क्षेत्रों के भीतर ''कोल माइनमीथेन (सीएमएम)/कोल बेड मीथेन (सीबीएम) के व्यावसायिक विकास के लिए रीजरवायर मॉडलिंग एंड टेक्नो–इकोनोमिक संभाव्यता अध्ययन'' वैश्विक डाक बोली के जरिए चयनित अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शी संगठन के जरिए शुरू किया जा चुका है। ''बेस्ट प्रैक्टिसेस इन मीथेन ड्रेनेज एंड यूज इन कोल माइन्स पर एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन जीआईआई–एमओसी के तत्वावधान में सीआईएल सीएमपीडीआई, जीएमआई यूएस ईपीए, और यूनीसेफ के द्वारा संयुक्त रूप से मार्च, 2017 में, राँची में किया गया।

सीएमपीडीआई ने ''भारतीय कोयला क्षेत्र/लिग्नाइट क्षेत्र के कोल बेड मीथेन गैस इन प्लेस रिसोर्स'' से संबंधित अध्ययन किया है। रिजनली एक्सप्लोर्ड एरिया में चयनित बोर होल का ड्रिल किया जा रहा है। एमओसी ने बिडिंग प्रोसेस और अन्य संबंधित मामले के लए मेकेनिज्म का प्रस्ताव नामांकन आधार पीएसयू को कार्य प्रदान करने या बिडिंग के लिए ब्लॉकों का निर्णय, प्रसतावित किए जाने वाले चिन्हित क्षेत्रों के क्रम में सीबीएम विकास की वर्त्तमान नीति के समान ही यूसीजी के लिए क्षेत्रों की पहचान के लिए इन्टर मिनिस्ट्रीयल कमिटि का गठन किया है। एमओसी ने इस उद्देश्य के लिए सीएमपीडीआई को नोडल एजेंसी के रूप में बनाया है। ''यूसीजी के विकास के लिए मॉडल कंट्रेक्ट डाक्यूमेंट एवं बिड डाक्यूमेंट के फार्मूलेशन'' के लिए एक कंसलटेट की नियुक्ति की है। मसौदा दस्तावेज

सौंप दिया गया है जो आईएमसी द्वारा डेलिब्रेशन के तहत है। ''भारत में यूसीजी (डीप सीटेट कोल) के विकास के लिए चुनौतियाँ एक अवसर'' पर भारतीय जियो माइनिंग स्थिति में यूसीजी के विकास के लिए रास्ता तलाशने के लिए मार्च, 2017 में दिल्ली में एक वर्कशाप का आयोजन किया गया था।

मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में सीएमपीडीआई और उप–कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में और सीएसआईआरओ, आस्ट्रेलिया सहित कोल इंडिया लिमिटेड (आरएंडडी) और नेशनल क्लीन एनर्जी फुड, भारत सरकार के तहत मूनीडीह (झरिया कोयला क्षेत्र) में शुरू किए जाने वाले वेंटीलेशन एयर मीथेन के प्रशमन एवं उपयोग की एक परियोजना पर विचार किया जा रहा है। परियोजना को सीआईएल (आरएंडडी) बोर्ड द्वारा सिद्धांततः अनुमोदित किया जा चुका है और सरकार के सक्षम अधिकारी से अनुमोदन लिया जाएगा।

वर्षों से इन अनुसंधान परियोजनाओं से परिचालन में सुधार, सुरक्षित वर्किंग स्थिति, बेहतर रिसोर्स रिकवरी और पर्यावरण संरक्षण पर महत्वर्पूण लाभ हुआ है जबकि कुछ अनुसंधान परियोजनाओं से उद्योगों पर टैन्जीवल, प्रभाव पड़ा है, वहीं अन्य से भावी खनन योजनाओं और आपरेटिंग खान दोनों द्वारा अपेक्षित तकनीकी सेवाओं एवं माइन प्लानिंग, डिजाइन को मजबूती मिली है। रेडियोमेट्रिक टेकनीक का उपयोग कर कोल ड्राई बेनीफिशिएशन सिस्टम, रेलवे वैगन/ट्रक से स्थल पर इनस्टांट कोल ऐश एंड मोयसचर विश्लेषक, ओपेन कास्ट स्लोप स्टेबिलिटि, वेरियस रॉक कंडीशनस के लिए आपटीमम ब्लास्ट डिजाइन, सर्फेस सबसीडेंस का पूर्वानुमान, रूफ केवेबिलिटि का विश्लेषण, भूमिगत कोल पिलर्स डिजाइन आदि जैसे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम के लिए डिजाइन्ड टूल विकसित किए गए हैं, जो विशेष कर भारतीय भू–खनन परिस्थितियों के लिए उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 9 अनुसंधान परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी है। पूरी की गई परियोजनाएँ निम्नलिखित है : 1. भूमिगत कोयला खानों के लिए टेलीरोबिटिक्स और रिमोट आपरेशन टेक्नोलाजी का विकास 2. कोल टू लिक्विड कनवर्सन टेक्नोलाजी के पायलट स्केल अध्ययन के जरिए स्वदेशी उत्प्रेरक का विकास 3. नैनो–क्रिस्टेलाइन सर्फेस इंजीनियरिंग ट्रीटमेंट के साथ इरोजन कोरोजन को संरक्षित कर कोल /लिग्नाइट खानों में डी–वाटरिंग पाइप की जीवन अवधि को बढ़ाना 4. विस्फोटन डिजाइन और फ्रेगमेंटेशन नियंत्रण 5. रेलवे वैगन/ट्रक से स्थल में इंस्टांट कोल ऐश और नमी विश्लेषण के लिए ट्रक माउंटेड मोबाइल कोल सेम्पलर का डिजाइन और विकास 6. लैब स्केल कोल विनोविंग सिस्टम (चरण–।।) के विभिन्न पारामीटरों का आप्टीमाइजेशन 7. रानीगंज कोयला क्षेत्र के थीक सीमों में सुरक्षित लिक्विडेशन के मेथेडोलॉजी का पता लगानाः कोट्टाडीह कोलियरी ईसीएल में डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड भाो–केसिंग प्रदर्शन परीक्षण 8. रेडियोमीट्रिक टेकनीक का प्रयोग कर कोल ड्राई बेनीफिसिएशन सिस्टम का डिमांस्ट्रेशन 9. शॉवेल डम्पर डम्प और ड्रैगलाइन डम्प दोनों के सेफ्टी और इकोनोमिकल पर विचार के साथ ड्रैगलाइन डम्प और शॉवेल–डम्पर डम्प के टो के बीच अनुमानित दूरी के लिए दिशा–निर्देश का विकास/सीएमपीडीआई कोल/लिग्नाइट उद्योग के लिए आवश्यकता आधारित अनुसंधान कार्य बेनीफिशियल के लिए सभी अनुशंगी कंपनियों के लिए अधिक से अधिक अनुसंधान और शैक्षणित संस्थानों को शामिल करते हुए सभी तरह के प्रयास कर रही है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न संगठनों के सहयोग से 25 एसएंडटी और आरएंडडी परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इसी समय कोल इंडिया आरएंडडी क्रियाकलापों को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास भी कर रही है।

सीएमपीडीआई कोल इंडिया लिमिटेड की सभी अनुशंगी कंपनियों में प्रबंधन प्रणाली मानक के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। सीएमपीडीआई आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 5001 तथा आईएसओ 27001, ओएचएसएएस 18001 आदि जैसे विभिन्न मैनेजमेंट सिस्टम स्टैण्डर्ड के कार्यान्वयन और प्रमाणन के लिए परामर्शी सेवाएँ प्रदान करता है। हम इन प्रबंधन प्रणाली मानकों के कार्यान्वयन और प्रमाणन के लिए पोस्ट सर्टिफिकेशन सहायता के साथ–साथ संस्थापन, प्रलेखन जागरूकता प्रशिक्षण, आंतरिक अंकेक्षण प्रशिक्षण, अंकेक्षण सहायता, कार्यान्वयन, प्रमाणन सहायता के लिए गाइडेन्स और सहायता प्रदान करते हैं।

कोल इंडिया की दो अनुशंगी कंपनियों एमसीएल और एनसीएल को उनके कंपनीवार समेकित प्रबंधन प्रणाली (आईसओ 9001, आईएओ 14001 और ओएचएसएएस 18001) के लिए प्रमाणित किया गया है। सीएमपीडीआई, मुख्यालय और इसके सातो क्षेत्रीय संस्थानों ने भारतीय मूानक ब्यूरो से नए आईएसओ 9001 : 2015 मानक के लिए लाइसेंस प्राप्त किया गया है। हमारे दिशा–निर्देश और सहायता से कोल इंडिया मुख्यालय की आईएसओ 9001 और आईएसओ 5001 से प्रमाणित किया गया है। कोल इंडिया के विभिन्न अनुशंगी कंपनियों की 32 प्रयोगशालाओं को एनएवीएल (नेशनल एक्रीडीटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरी) से मान्यता मिली है। कोल इंडिया की सभी अनुशंगियों के 56 विभिन्न इकाइयों को आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, और ओएचएसएएस 18001 एवं आईएसओ 27001 से प्रमाणित किया गया है।

हम ईसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल और बीसीसीएल में कंपनी–वार–समेकित प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन में परामर्श उपलबध कराते हैं। समेकित प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और ओएचएसएएस 18001) के लिए ईसीएल की कंपनी–वार–प्रमाणन जल्द ही किए जाने की संभावना है। सीसीएल, डब्ल्यूसीएल और बीसीसीएल के लिए समेकित प्रबंधन प्रणाली के तहत डाक्यूमेंटेशन कार्य पूरा किया गया है। डब्ल्यूसीएल के आईएमएस मैनुअल को संशोधित स्टैण्डर्ड के अनुसार अपग्रेड किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान कोल इंडिया से बाहर के 26 संगठनों के लिए सीएमपीडीआई द्वारा 35 परामर्शी कार्य पूरे किए गए। कुछ प्रमुख ग्राहक / संगठन है एनएमडीसी एमओआईएल लि., महाजेन को, टाटा स्टील, डीवीसी सेल, यूसील, डब्ल्यूबीपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल आदि। वर्ष 2016–17 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा 29 संगठनों से 141.38 करोड़ रूपये वाली 43 आउट साइट सीआईएल परामर्शी कार्य हासिल किए गए। यह सीएमपीडीआई द्वारा एक वर्ष में सबसे अधिक मूल्य वाले कार्य प्राप्त किए गए। एनएमडीसी ''सीएमपीडीआई द्वारा एक वर्ष में सबसे अधिक मूल्य वाले कार्य प्राप्त किए गए। एनएमडीसी'' मोजाम्बिक के टेटे प्रोविंस में मेसर्स आईसीवीएल के बेंगा कोल प्रोजेक्ट के लिए संभाव्यता अध्ययन की तैयारी'' नामक विदेशी कार्य हासिल किए गए है। वर्तमान में, ओसीपीएल, एनएमडीसी, नालको, एनटीएमसी लि., महाजेनको, सेल, ओएमसी, पीएफसी कंसल्टिंग लि, जीएसईसीएल आदि जैसे 19 संगठनों के लिए कोल इंडिया से बाहर के 25 परामर्शी कार्य किए जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान देश के छह राज्यों में स्थित सीएमपीडीआई मुख्यालय सहित इसके सभी क्षेत्रीय संस्थानों को बीडियो कांफ्रेंसी फेसिलिटि से जोड़कर ऑफिस की दक्षता बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं, इससे विभिन्न संवीक्षा कदम उठाए गए हैं, इससे विभिन्न संवीक्षा बैठक में समय की बचत और बेहतर समन्वय होता है।

सीएमपीडीआई पूर्णतः पेपरविहीन रिसिप्ट मॉडयूल को अपने मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय संस्थानों में किया है जिसके परिणामस्वरूप पेपर की बचत होती है और कार्यालयीन कार्यों में दक्षता भी बढ़ी है। सीएमपीडीआई ई–आफिस के

कार्यान्वयन का कार्य पूरे कोल इंडिया में प्राप्त किया है और कंट्रेक्ट लेबर इनफोर्मशन पोर्टल को विकसित किया है और कंट्रेक्ट वर्कर्स के मजदूरी के भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए सीएमपीडीआई में इसे कार्यान्वित किया गया है। माइन केपेसिटि असेसमेंट रिपोर्ट के समय पर तैयारी के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की सभी खुली खदान खान और भूमिगत खानों से डाटा को कैप्चर करने केलिए पोर्टल विकसित किया गया है।

1.3.12 सीएमपीडीआई और कोल इंडिया के बीच एमओयू :

सीएमपीडीआई फिजिकल और वित्तीय कार्य निश्पादन हेतु विभिन्न पारामीटर सेट करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कोल इंडिया के साथ एमओयू करता है। उपलब्धियों को 1–5 स्केल पर ग्रेडित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 तक उत्कृष्ट 1.0 से 1.5 तथा निकृष्ट 4.51 से 5.0 रहा है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए सीएमपीडीआई को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज द्वारा उत्कृष्ट (1.002) रेटिंग दी गई जो सभी सीपीएसई के बीच तीसरा सर्वोत्तम था और अपने सिंडिकेट में सर्वोत्तम है। वित्तीय वर्ष 2015–16 और आगे ग्रेडिंग का सिस्टम बदल दिया गया है और वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए 87.5 से 100 से कंपोटिज एमओयू स्कोर सहित सीपीएसई के लिए ''उत्कृष्ट' रेटिंग होगी जबकि 12.5 से कम सीपीएसई स्कोर वाले को निकृष्ट (पुअर) रेटिंग मिलेगी। वित्तीय वर्ष 2015'16 के लिए सीएमपीडीआई को 89.60 कम्पोजिट स्कोर के साथ एक्सीलेंट (उत्कृष्ट रेटिंग दी गई है।

1.3.13 जोखिम और चिन्ताएँ

- बोर होल में सधनता में वृद्धि के साथ वन क्षेत्र में वेधन के लिए अनुमति प्राप्त करना और कानून एवं व्यवस्था की समस्या वेधन के रास्ते में बड़ी रूकावट है।
- क्षेत्रीय गवेशण में आनुपातिक वृद्धि के अभाव में 12वीं योजना के लिए विस्तृत गवेषण क्षमता की पुश्टि में बाधा प्रतीत होता है। वन क्षेत्र में गवेशण के प्रतिबंधित होने से बिस्तार कार्यक्रम में समस्या आ सकती है।
- कोयला क्षेत्र को खुले बाजार में लाने से अन्य स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शी सेवा प्रदाताओं के साथ बाजारू प्रतिस्पर्द्धा हो सकती है
- कंपनी अधिनिमय के तहत प्रावधानों के अनुपालन तथा जोखिम प्रबंधन से संबंधित कोल इंडिया के दिशा–निर्देशों के अनुसार बोर्ड स्तर के सदस्य तथा इसके प्रमुख सहित जोखिम प्रबंधन समिति का गठन सीएमपीडीआई में किया गया है।

1.3.14 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

- सीएमपीडीआई के पास व्यवसाय को सहज एवं प्रभावकारी ढंग से तथा प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुसार चलाने के लिए आंतरिक नियंत्रण पद्धति तथा प्रक्रिया काफी सशक्त है।
- सहज रूप से निर्णय लेने के लिए व्यापक अधिकार रहता है।
- समरूप अनुपालन के लिए लेखा–जोखा तेयार करने हेतु दिशा–निर्देशों का लगातार अनुसरण किया जाता है।
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन पर निगरानी करने के लिए एक अंकेक्षण समिति गठित की गई है।
- आंतरिक अंकेक्षण चार्टर्ड एकाउंटेंट्स/ कोस्ट एकाउंटेन्ट फर्म द्वारा किया जाता है।
- आंतरिक अंकेक्षण द्वारा डिजाइन की कंट्रोल की परिचालन दक्षता के पर्यवेक्षण तथा मुख्य नियंत्रण को पहचानकर आंतरिक नियंत्रण को पहचानकर आंतरिक नियंत्रण फ्रेमवर्क विकसित किया गया है।
- विसिल ब्लोअर नीति अपनाई गई है तथा इसका अनुसरण किया जा रहा है।

1.3.15 मानव संसाधन में भौतिक विकास :

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने के कारण सीएमपीडीआई भारत सरकार द्वारा निर्धारित वेतन, मजदूरी तथा लाभ को अपने कर्मचारियों को देता है और कोयला कामगारों के लिए 5 वर्ष में एक बार तथा अधिकारियों केलिए 10 वर्ष में एक बार निर्धारित किया जाता है। सीएमपीडीआई अपने कर्मचारियों, मध्यम और वरीय प्रबंधन अधिकारियों, अन्य स्तर के अधिकारियों तथा प्रबंधन प्रशिक्षु के लिए सतत् प्रशिक्षण और विकास के अवसर उपलबध करता है। इसके अतिरिक्त कंपनी बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा भारत से बाहर अन्तराष्ट्रीय प्रशिक्षण सत्र की व्यवस्था कराता है। इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट को संबंधित भाग में शामिल किया गया है।

1.3.16 परिचालन कार्य निष्पादन से संबंधित वित्तीय उपलब्धि पर विचार-विमर्श :

कंपनी की कुल आय में कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों तथा अन्य कंपनियों को दी गई परामर्शी सेवा से प्राप्त आय एवं अर्जित ब्याज भी शामिल है। गत वर्ष की 759.27 करोड़ रू. की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल आय 930.52 करोड़ रू. है, इस प्रकार 22.55 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। कुल व्यय 864.99 करोड़ रू. है।

संशोधनानुसार, आईटी अधिनियम से संबंधित प्रावधान के अनुसरण में गणना किए गए चालू कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय अथवा क्रेडिट शामिल है। आईटी एक्ट के अनुसरण में भत्ता और छूट के लिए आकलित कर देयता पर आधारित चालू कर के लिए प्रावधान को माना गया है। आस्थगित कर परिसंपत्ति और देयताओं को टाइमिंग डिफरेसेस के लिए फ्यूचर टैक्स कांसीक्यूएनसेस एंट्रीव्यूटेबल हेतु माना गया है। तुलन पत्र की तिथि तक टैक्स रेट और टैक्स रेगुलेशन एनेक्टेट का उपयोग कर मापा जाता है। रेट में परिवर्तन के वित्तीय वर्ष के संबंध में वित्तीय विवरण में टैक्स रेट में परिवर्तन के कारण प्रभाव को माना गया है। कैरी फॉरवार्ड लॉस के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्ति को उस सीमा तक ऐसे आस्थगित कर परिसंपति के विरूद्ध उपलब्ध प्र्याप्त भावी कर योग्य आय की वर्चुअल सर्टेनिटि तक माना गया है।

गत वर्ष में 15.35 करोड़ रू. (आईएनडीएएस के अनुसार पुनर्कथित) की तुलना में 65.53 करोड़ रू. कर से पूर्व लाभ हुआ जो बढ़कर 50.18 करोड़ रू. हुआ। गत वर्ष के लिए 9.14 करोड़ रू. की तुलना में कर पश्चात् लाभ 31.45 करोड़ रू. तक बढ़कर 40.59 करोड रू. है।

1.4.0 सीएमपीडीआई का वित्तीय पर्यावलोकन :

वर्ष के दौरान कंपनी को 40.59 करोड़ रू. कर पश्चात् लाभ हुआ। विगत तीन वर्षों का कार्यकारी परिणाम इस प्रकार है :

	योग्यता मानदण्ड	सीएमपीडीआई की स्थिति		
		वित्तीय वर्ष 2015-16 (आईएनडीएएस के कार्यान्वयन से पूर्व)	वित्तीय वर्ष 2015-16 (आईएनडीएएस के अनुसार पुनर्कथित)	वित्तीय वर्ष 2016-17
1.	कर पूर्व लाभ (करोड़ रू. में)	42.54	15.35	65.53
2.	कर बाद लाभ (करोड़ रू.में)	28.48	9.14	40.59
3.	टर्नओवर (करोड़ रू. में)	759.27	759.27	930.52
4.	टर्न ओवर के लिए कर के बाद लाभ (प्रतिशत)	5.60	2.02	7.04
5.	प्रतिशेयर अर्जन (रूपये में)	1496	480.04	2131.83

1.4.1 सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट तथा सचिवीय अंकेक्षक रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणी

सांविधिक अंकेक्षक द्वारा किए गए प्रत्येक विपरीत रिर्माक (टिप्पणी) अथवा आरक्षण, योग्यता पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणी तथा सांविधिक अंकेक्षक की रिपोर्ट को परिशिष्ट–5 के रूप में संलग्न किया गया है।

सचिवीय अंकेक्षकों द्वारा किए गए रिर्माक (टिप्पणी) पर प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण और सचिवीय अंकेक्षकों की रिपोर्ट को रिपोर्ट के परिशिष्ट–6 में दिया गया है।

1.4.2 कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 186 के तहत ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 186 के अनुसार कंपनी को दिए गए ऋण, किए गए निवेश अथवा की गई गारंटी अथवा उपलबध कराए गए सिक्युरिटी तथा ऋण अथवा गारंटी अथवा सिक्युरिटी में रेसिपिएंट द्वारा उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित ऋण अथवा गारंटी अथवा सिक्युरिटी के उद्देश्य के पूरे विवरण को वित्तीय विवरण में सदस्यों के लिए प्रकट करना चाहिए।

किसी व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी को कोई ऋण नहीं दिया गया, निवेश नहीं किया गया या गारंटी नहीं दी गई अथवा सिक्युरिटी मुहैया नहीं कराई गई। इसका ब्यौरा वित्तीय विवरण में दिया गया है।

1.4.3 कंपनी मामले की स्थिति

कंपनी की अधिकृत पूंजी 50.00 करोड़ रू. की तुलना में प्रदत्त शेयर पूंजी 19.04 करोड़ रू. है। पूंजीगत भंडार 19.80 करोड़ रू., सामान्य रिजर्व 5.77 करोड़ रू. तथा पी/एल एकाउन्ट में सरप्लस 211.09 करोड रू. एवं शेयर होल्डर को कुल कंस्टीच्यूएटिंग 236.66 करोड़ रू. की निधि है। गैर चालू देयताएँ 273.78 करोड़ रू. तथा चालू देयताएं 602.09 करोड रू. है।

कंपनी की अपना स्वयं का अचल परिसंपत्ति 132.95 करोड़, आस्थगित कर परिसंपत्ति 115. 62 करोड़ दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम 0.02 करोड़, अन्य गैर चालू परिसंपत्ति 13.03 करोड़ और चालू परिसंपित्त 820.03 करोड़ रू. है।

परिचालन से कुल राजस्व और अन्य आय 945. 99 करोड़ रू. तथा सभी व्यय एवं कर को पूरा करने के बाद निबल लाभ 40.59 करोड़ रू. है। प्रति शेयर अर्जन 2131.83 (1000 प्रति शेयर के अंकित मूल्य) है।

1.4.4 31 मार्च, 2017 तक का पूँजीगत व्यय :

	(करोड़ रू. में)
भवन	10.22
प्लांट एवं मशीन	24.82
कार्यालय उपकरण	0.41
फर्निचर	0.62
टेलीकाम	0.05
वाहन	1.37
सॉफ्टवेयर	1.31
कुल	**38.80**

1.4.5 राशि, यदि कोई हो, जिसे किसी भंडार में लाए जाने का उद्देश्य हो

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 38.82 करोड़ रू का कुल कन्प्रेंहसिव आय को रिटेंड अर्निंग्स/ रिजर्व एवं सरप्लस में स्थानांतरित किया गया है।

1.4.6 राशि, यदि हो, जिसे डिविडेंट के रूप में देने की अनुशंसा की गई हो।

कंपनी के शेयर होल्डरों को डिविडेंअ के रूप में देने के लए किसी राशि की अनुशंसा नहीं की गई है। कंपनी का परिचालन तथा सेवाओं का प्रावधान लागत+सेवा शुल्क के आधार पर दिया जाता है, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों को घरेलू सेवा प्रदाता के रूप में माना जाता है। नीतिगत मामलों में कोल इंडिया तथा शेयर होल्डर कोई डिविडेंट की मांग नहीं कर सकता है।

1.4.7 31.3.2017 के बाद मेटेरियल परिवर्त्तन

मेटेरियल में कोई परिवर्त्तन नहीं जिससे कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कुछ नहीं पता लगा है, जो रिपोर्ट की तिथि तथा वित्तीय विवरण से संबद्ध हो।

1.5.0 निगमित शासन

निगमित शासन कंपनी के प्रबंधन, इसके बोर्ड, इसके शेयर होल्डर तथा अन्य स्टेक होल्डरों के बीच संबंधों का एक सेट है। यह कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन तथा कार्य निष्पादन की मॉनिटरिंग की पद्धति का एक सेट है।

अंकेक्षक द्वारा किए गए रिमार्क पर प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण तथा कारपोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेट के रिपोर्ट को रिपोर्ट के परिशिष्ट–4 में संलग्न किया गया है।

1.5.1 कंपनी का दर्शन

निगमित शासन के संबंध में कंपनी का दर्शन, पारदर्शिता, इंटीग्रिटि, विश्वसरीयता, कंफीडेंसियलिटि, नियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व, डिसक्लोजर और रिपोर्टिंग जो नियम, अधिनियम विनियमन और दिशा–निर्देश का पालनकर्त्ता हो, को सुनिश्चित करना है।

निगमिक शासन दैनंदिन कार्यव्यवहार के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए कंपनी ने निम्नलिखित को शामिल करते हुए सुस्पष्ट नीति फ्रेमवर्क तैयार किया है :

निदेशकों तथा वरीय प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहित (कोड आफ कंडक्ट)

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आंतरिक ट्रेडिंग के संरक्षण के लिए आचार संहिता

विसिल ब्लोअर पालिसी

जोखिम प्रंधन योजना

1.5.2 निदेशक मंडल

कंपनी का कार्य व्यापार निदेशक मंडल द्वारा चलाया जाता है। कंपनी के निदेशकों की संख्या को समय–समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। निदेशकों के लिए क्वालिफिकेशन शेयर को रखने की जरूरत नहीं होती है। राष्ट्रपति द्वारा चेयरमैन, कार्यकारी निदेशक, अंशकालिक सरकारी निदेशक और गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति की जाती है और नियुक्ति आदेश के अनुबंध एवं शर्तों तथा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ते, बैठक, शुल्क आदि दिए जाते हैं।

क). निदेशक मंडल का आकार

कंपनी के आर्टिकल आफ एसोसिएशन के संदर्भ में हमारे निदेशक मंडल में कम–से–कम तीन (3) निदेशक और पन्द्रह (15) निदेशक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये निदेशक पूर्णकालिक निदेशक कार्यकारी निदेशक/कार्यकारी अथवा सरकारी अंशकालीक निदेशक या गेर–सरकारी अंशकालिक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक हो सकते हैं।

ख). निदेशक-मंडल का कोटिवार गठन

31 मार्च, 2017 के अनुसार सीएमपीडीआई के निदेशक मंडल में 8 निदेशक हैं, जिसमें अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित चार(4) पूर्णकालिक निदेशक दो (2) अंशकालिक सरकारी निदेशक तथा 2 अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक हैं। कार्यकारी अध्यक्ष श्री शेखर सरण इस बोर्ड के अध्यक्ष है। कंपनी के बोर्ड में केवल तीन स्वतंत्र निदेशक हैं। पूर्व में नियुक्त किए गए स्वतंत्र निदेशकों के पद से मुक्त होने के बाद कोयला मंत्रालय, भारत सराकर द्वारा शेष 3 स्वतंत्र निदेशकों की अभी नियुक्त की जानी हैं। बोर्ड के गठन के संबंध में निगमित शासन के दिशा–निर्देश के अनुसार ही स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जा सकेगी।

31 मार्च, 2017 के अनुसार निदेशक मंडल का गठन निम्नानुसार है :

i. **पूर्णकालिक निदेशक**

क). अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

1. श्री शेखर सरन

ख). कार्यकारी निदेशक

2. श्री वी.के.सिन्हा
3. श्री विनय दयाल
4. श्री ए.के.चक्रवर्ती

ii. **सरकारी अंशकालिक निदेशक**

1. श्री चंदन कुमार दे
2. श्री देवुलापल्ली नरसिम्हा प्रसाद

iii. **गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक**

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद
2. डा. देवाशीश गुप्ता

iv. स्थायी आमंत्रित सदस्य

1. श्री पियुष कुमार

ग). बोर्ड की बैठक की संख्या तथा तिथि

कंपनी का सर्वोच्च निकाय (बाडी) निदेशक मंडल होता है, जो कंपनी के संपूर्ण कार्यो की देख–रेख करता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान नौ (9) बोर्ड बैठकें आयोजित की गई थी, जो इस प्रकार है :

क्रम संख्या	बैठक की संख्या	तिथि	दिन	स्थान
1.	194वीं	25.05.2016	बुधवार	कोलकाता
2.	195वीं	28.05.2016	मंगलवार	नई दिल्ली
3.	196वीं	02.08.2016	मंगलवार	नई दिल्ली
4.	197वीं	02.09.2016	शुक्रवार	होटल कैपिटल हिल, राँची
5.	198वीं	28.10.2016	शुक्रवार	नई दिल्ली
6.	199वीं	16.11.2016	बुधवार	कोलकाता
7.	200वीं	29.12.2016	वृहस्पतिवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
8.	201वीं	30.01.2017	सोमवार	नई दिल्ली
9.	202वीं	10.03.2017	शुक्रवार	सीएमपीडीआईएल, राँची

घ). 1. निदेशक-मंडल की बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति :

प्रत्येक निदेशक द्वारा बोर्ड की बैठक में उपस्थिति की संख्या का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक	उनके कार्यावधि में हुई बोर्ड बैठक की संख्या	बोर्ड की बैठक में उपस्थिति की संख्या	अंतिम एजीएम में उपस्थिति
कार्यकारी निदेशक				
1.	श्री शेखर सरन	9	9	हाँ
2.	श्री वी.के.सिन्हा	9	9	हाँ
3.	श्री विनय दयाल	9	7	नहीं
4.	श्री ए.के.चक्रवर्ती	6	6	नहीं
5.	श्री बी.एन.शुक्ला	3	3	हाँ
अंशकालीन सरकारी निदेशक				
6.	श्री डी.एन.प्रसाद	9	8	नहीं
7.	श्री सी.के.डे	3	3	नहीं
8.	श्री एन.कुमार	4	3	हाँ
अंशकालीक गैर-सरकारी निदेशक				
9..	श्री राकेश कुमार मित्तल	5	5	हाँ
10.	श्री राजेन्दर प्रसाद	9	9	हाँ
11.	डा. देबाशीष गुप्ता	9	9	नहीं

क्रम संख्या 4, 03.08.2016 से कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए। क्रम संख्या 7, 19.12.2016 से नामित निदेशक नियुक्त हुए।

घ). 2. रूचि का प्रकटीकरण

क्र. सं	निदेशक	जिस कंपनी के लिए वे इच्छुक हैं	रूचि की प्रकृति यानि अध्यक्ष, निदेशक प्रबंधक एवं सचिव
1.	श्री शेखर सरन	1. कोल इंडिया लि. 2. बीसीसीएल	निदेशक (तक.)अतिरिक्त प्रभार निदेशक
2.	श्री वी.के.सिन्हा	कोल इंडिया अफ्रिकाना लिमिटेड	निदेशक
3.	श्री ए.के.चक्रवर्त्ती	शून्य	–
4.	श्री बिनय दयाल	शून्य	–
अंशकालीन गैर सरकारी			
5.	श्री डी.एन.प्रसाद	सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड	सरकारी नामित निदेशक
6.	श्री सी.के.डे	1.कोल इंडिया लि. 2.इस्टर्न कोलफील्डस लि. 3.साऊथ ईस्र्टन कोलफील्ड्स लि. 4.कोल इंडिया अफ्रिकाना लिमिटाडा 5.हिन्दुस्तान उर्वकर एंड रसायन लिमिटेड 6.तालचर फर्टिलाइजर लि.	निदेशक निदेशक निदेशक सदस्य/शेयर होल्डर अध्यक्ष, निदेशक और शेयर होल्डर सदस्य/शेयर होल्डर
अंशकालीन गैर सरकारी			
7.	श्री राजेद्रर प्रसाद	शून्य	–
8.	डा. देबाशीष गुप्ता	शून्य	–

ङ). बोर्ड की मीटिंग के समक्ष रखी गई सूचना

कंपनी बोर्ड के भीतर की किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है। बोर्ड के समक्ष दी जाने वाली सूचनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :

- पूँजीगत एवं राजस्व बजट
- कंपनी का त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय परिणाम
- कंपनी के कार्यनिष्पादन की आवधिक संवीक्षा
- भारी मशीनों की उपलब्धता एवं उपयोग की सार्वाधिक समीक्षा
- प्रयोज्य नियमों के अनुपालन पर आवधिक समीक्षा
- वार्षिक रिपोर्ट, निदेशक मंडल की रिपोर्ट इत्यादि
- अंकेक्षक समिति, सीएसआर समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और जोखिम प्रबंधन समिति के बैठक का कार्यवृत
- बड़े कंट्रेक्ट/एग्रीमेंट को देना
- अन्य कंपनियों में उनके द्वारा धारित स्थिति और डायरेक्टरशिप के बारे में निदेशकों की रूचि का प्रकटीकरण
- स्वतंत्र निदेशक द्वारा स्वतंत्र की घोषणा
- श्रमशक्ति बजट
- कोई अन्य मैटेरियली महत्वपूर्ण सूचना

च). निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल :

श्री शेखर सरन (डीआईएन 06607551) सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड जो पूरे देश में कोयला और खनिज गवेषण तथा परामर्शी कंपनियों में से एक बड़ी कंपनी है, के अध्यक्ष–सह–प्रबंधन निदेशक हैं। उन्हें 31.10.2016 के तत्काल प्रभाव से कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार भी मिला तथा सीआईएल और बीसीसीएल के बोर्ड सदस्य भी हैं। श्री सरन उत्पादन और उत्पादकता में नए मानकों की स्थापना में खानों के परिदृश्य को यंत्रीकृत खान डेवलपर और स्वरूप बदलने वाले के रूप में उद्योग को अपने अपूर्व सहयोग और नए रास्ते तलशेन वाले के रूप में जाने जाते हैं।

उन्होंने जून, 2013 में निदेशक (तकनीकी) के रूप में सीएमपीडीआई में पदभार ग्रहण किया और कोल रिसोर्स डेवलपमेंट के कार्यों की देख–रेख की। उसके बाद दिसम्बर, 2015 तक प्लानिंग एंड डिजाइन का कार्य संभाले। 1 जनवरी, 2016 को उन्होंने सीएमपीडीआई के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया।

1981 बैच के श्री सरन ने डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग इंजीरियरिंग, इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) वर्तमान में आईआईटी (बीएचयू) से स्नातक है। अपने बैच के टॉपर होने के कारण उन्हें बीएचयू के गोल्ड मेडल के साथ–साथ एमजीएमआई से राबर्टन मेडल से नवाजा गया। तदनन्तर वर्ष 2013–15 के दौरान, उन्होंने आईआईएम, राँची से अधिकारियों (पीजीईएक्सपी) के लिए प्रबंधन में पोस्ट–ग्रेजुएट प्रोगाम की डिग्री भी ली।

सीएमपीडीआई में पदभार ग्रहण करने से पूर्व उन्होंने जेट से सब एरिया मैनेजर के रूप में एसईसीएल के सोहागपुर, हसदेव और विश्रामपुर क्षेत्र, एजेंट और सीजीएम के रूप में ईसीएल के कुनुस्तोरिया, सतग्राम और सोदेपुर क्षेत्र तथा अंत में सीजीएम (पीएंडपी) के रूप में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्यालय में कार्य किया। उन्हें विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में बड़ी खुली खदान और भूमिगत खदान के प्रबंधन का व्यापक अनुभव है। जब वे एसईसीएल में कार्यरत थे तब उन्होंने रूफ बोल्टिंग/स्टील सपोर्ट का प्रयोग कर मैनुअल भूमिगत खान को यंत्रीकृत खान में बदला। उन्होंने विभिन्न सेमिनारों/कार्यशाआलों में बहुत सारे तकनीकी पेपर प्रस्तुत किए। वे 26 वर्षों से अधिक समय तक रेस्क्यू प्रशिक्षित सदस्य भी रहे तथा भूमिगत खानों में रेस्क्यू और रिकवरी आपरेशन में भी भाग लिया।

उन्होंने यू.के., जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, यूएस, कनाडा एवं स्वीटजर लैंड आदि जैसे देशों का अनेकों बार भ्रमण किया है। वे एक एनसीसी प्रमाण पत्र धारक और अच्छे खिलाड़ी भी हैं। उन्हें कोल माइनिंग प्रोडक्शन में इनोवेटिव टेक्नीक और अनोखे विचार वाला जाना जाता है। उन्हें कारपोरेट लाइफ और मानव संसाधन के विकास में इसकी सर्वोतमता में विश्वास है। उनकी पसंद में कोल इंडिया इस तरह समाहित है कि कोल इंडिया में निदेशक मंडल की बैठक में हमेशा उनकी उपस्थिति रहती है।वे 01.01.2016 से अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक है।

श्री विनोद कुमार सिन्हा (डीआईएन 06793778) उनिदेशक (तकनीकी/अनुसंधान, विकास एवं प्रौद्योगिकी) सीएमपीडीआई,भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद से माइनिंग इंजीनियरिंग (1978) में स्नातक हैं। इन्होंने डीजीएमएस, धनबाद से फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर्स सर्टिफिकेट आफ कंपीटेंसी भी प्राप्त किया है।

इन्होंने वर्ष 1978 में जेट के रूप में सीसीएल में पदभार संभाला तथा 2001 तक विभिन्न पदों पर कार्य किया। इसके बाद इन्होंने परियोजना पदाधिकारी/एजेंट के रूप में बीसीसीएल में पदभार ग्रहण किया तथा कुसुण्डा क्षेत्र में अपर महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया। वर्ष 2006 से 2008 के दौरान वेस्टर्न झरिया एरिया, सुदामडीह के महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया। वे मुनिडीह में एमएल 4 पावर्ड सपोर्ट रि–कमिशण्ड करने में विशेष योगदान दिया और खानों के विस्तार के

लिए भू–अर्जन जैसे चुनौती भरे कार्य में सहयोग किया। इन्हें मुरलीडीह 20/21 पीट में साइड डिस्चार्ज लोडर एसडीएल शामिल करने का भी श्रेय प्राप्त है। बीसीसीएल में मुख्य महाप्रबंधक (विक्री एवं विपणन) के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान नई कोयला वितरण नीति के तहत कोल आफर तथा आवंटन में सुधार तथा नियमितीकरण, ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए), कोयले के अंतिम उपयोग में सुधारात्मक कार्य तथा नन–कोल सेक्टर उपभोक्ताओं के मामले में रिफंड मैकेनिज्म तथा उसके बाद उपभोक्ताओं सहित स्टेक होल्डरों के लिए वैल्यू को बढ़ाने में इनका काफी योगदान रहा है। अपने प्रोफेशनल कार्य से इन्होंने चीन, तुर्की और स्विटजरलैंड का भी दौरा किया है।

सीएमपीडीआई में पदभार ग्रहण करने से पूर्व ये बीसीसीएल में सीजीएम (कंट्रक्ट एंड मैनेजमेंट सेल) के पद पर थे। तथा समय पर विभिन्न करारों को निष्पादिन करने में अपनी मूल्यवान सेवाएँ प्रदान कीं। इन्होंने जर्मनी तथा फ्रांस जैसे देशों का भी दौरा किया है।

वे 08.01.2014 से सीएमपीडीआई के निदेशक (तकनीकी/अनुसंधान, विकास एवं प्रौद्योगिकी) हैं।

श्री बिनय दयाल (डीआईएन 07367625) सीएमपीडीआई के निदेशक तकनीकी (अभियांत्रिकी सेवाएँ) है। श्री दयाल 1983 में भारतीय खनि विद्यापीठ (आईएसएम), धनबाद से खनन इंजीनियरिंग में स्नातक है। उन्होंने डीजीएमएस, धनबाद से प्रथम श्रेणी में माइन मैनेजर्स सर्टिफिकेट ऑफ कंपीटेंसी भी प्राप्त किया है।

उन्होंने कोल इंडिया में कनीय अधिकारी (प्रशिक्षु) के रूप में ज्वाइन किया और उन्हें 1983 में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के सेंट्रल सौदा कोलियरी, बरकाकाना क्षेत्र में पदस्थापित किया। सीएमपीडीआई (मुख्यालय) में तकनीकी सेवाओं तथा जनसंपर्क प्रमुख, क्षेत्रीय निदेशक, सीएमपीडीआई क्षेत्रीय संस्थान–5, बिलासपुर, साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट्स एंड प्लानिंग सर्विसेस) जैसे विभिन्न पदों पर कार्य किया। 01.12.2015 को उन्होंने निदेशक तकनीकी (इंजीनियरिंग सर्विसेज), सीएमपीडीआई का प्रभार ग्रहण किया।

श्री दयाल को कारपोरेट प्लानिंग तथा पब्लिक रिलेशन्स एक्टिविटि में व्यापक अनुभव है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मेगा प्रोजेक्ट के प्लानिंग, अनुमोदन तथा कार्यान्वयन एवं कोरबा एवं मांद रायगढ़ कोयला क्षेत्र में विस्तृत गवेषण के लिए हाई–टेक ड्रिलों को लगाकर उत्पादकता में वृद्धि का श्रेय उन्हें ही जाता है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड के महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट एवं प्लानिंग सर्विसेज) के रूप में उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किए जाने वाले 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन के कार्य का रोड मैप भी तैयार किया है।

उन्हें माँद रायगढ़, कोरबा कोयला क्षेत्र से कोयले के निकास (ढुलाई) के लिए रेल कॉरीडोर हेतु साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड (एसईसीएल, इरकान तथा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार सहित) जैसे संयुक्त उद्यम वाली कंपनी के बोर्ड में एसईसीएल का प्रतिनिधित्व भी किया।

श्री दयाल ने वर्ष 2007 के दौरान आस्ट्रेलिया में आयोजित ''इंडिया–आस्ट्रेलिया ज्वाईट वर्किंग ग्रुप ऑन एनर्जी एंड मिनरल'' की 5वीं बैठक में भारतीय सदस्य के रूप में भाग लिया। उन्होंने सितम्बर, 2010 में एडवांस्ड मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्रतिभागी के रूप में चाइनीज कोल इंडस्ट्रीज का दौरा किया। वर्ष 2011 एवं 2012 में एबानडेंड कोलसीम के खान से ऊर्जा में बदलने तथा ग्रीन हाऊस जैसे रिकवरी पर ईयू रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए सीएमपीडीआई की ओर प्रशासनिक प्रमुख भी थे। उन्होंने इस्तांबुल, तुर्की में 2011 में आयोजित 22वीं वर्ल्ड माइनिंग कॉंग्रेस एंड एक्सपो 2011 में भाग लिया तथा तकनीकी

आलेख भी प्रस्तुत किए। उन्होंने कोयला उद्योग से संबंधित अनेकों तकनीकी पेपर प्रस्तुत किए। वे एमजीएमआई तथा कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया (सीएसआई) के आजीवन सदस्य हैं।

वे 01.12.2015 से सीएमपीडीआई के निदेशक (तकनीकी, प्लानिंग एंड डिजाइन) हैं।

श्री असीम कुमार चक्रवर्ती (डीआईएन 07601841) ने दिनांक 3 अगस्त 2016 को निदेशक (तकनीकी) का प्रभार लिया। श्री चक्रवर्ती इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स (आईएसएम) धनबाद से खनन इंजीनियरिंग (1982 में) स्नातक किया। उन्होंने बीआईटी, मेसरा, राँची से एमबीए डिग्री (1982 में) प्राप्त किया।

उन्होंने 1982 में ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड के नार्थ सियर सोल कोलियरी, कुनुस्तुरिया एरिया से कोयला उद्योग में पदार्पण किया। सीएमपीडीआई में निदेशक (तकनीकी) के रूप में प्रभार लेने से पूर्व वे क्षेत्रीय निदेशक और महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट अप्रेजल डिवीजन) के रूप में अपनी सेवाएँ दी।

श्री चक्रवर्ती को प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटि में व्यापक अनुभव है। उन्हें एमसीएल के सियरमल ओसीपी जैसे बड़े क्षमता वाले खान (40 मि.ट.प्र.व. क्षमता) के प्लानिंग का श्रेय जाता है। महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट एप्रेजल डिवीजन) के रूप में उन्होंने सीआईएल द्वारा 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन के लिए सीआईएल से संबंधित रोडमैप बनाने में अपना सहयोग दिया। सीआईएल ब्लॉकों पर यूएनएफसी पर कार्य में भी सहयोग किया। वे सीआईएल से बाहर के ग्राहकों के साथ–साथ कोल इंडिया के खानों के लिए परियोजना रिपोर्ट, पर्यावरणिक प्रभाव मूल्यांकन/पर्यावरणिक प्रबंधन योजना खनन योजना, माइन क्लोजर प्लान, आपरेशनल प्लान और अन्य विशेषीकृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं।

वे 03.08.2016 से सीएमपीडीआई के निदेशक (तकनीकी, इंजीनियरिंग सेवाएँ) सीएमपीडीआई हैं।

श्री डी.एन.प्रसाद (डीआईएन 00119593) ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कॉलेज आफ इंजीनियरिंग से पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम क्षेणी से पास हुए हैं (खनन अभियंता, स्नातक) तथा वे फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर्स सर्टिफिकेट आफ कंपीटेंसी धारक भी हैं। साथ ही उन्होंने यूके से एमबीए किया है तथा भारत के कोयला एवं ऊर्जा सेक्टर में लगभग 32वर्षों का अनुभव उनके पास है। उनको पब्लिक सेक्टर कोल कंपनियों, कोल इंडिया लिमिटेड एवं सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड में कोयला खानों के परिचालन और प्रबंधन का 11 वर्षों का अनुभव तथा योजना आयोग एवं कोयला मंत्रालय भारत सरकार के ऊर्जा विभाग में एनर्जी फियूएल कोल एवं लिग्नाइट के लिए विकास नीति के आयोजन का लगभग 21 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। वर्त्तमान में वे कोयला मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनके व्यापक अनुभव में कोयला खनन परियोजनाओं का विकास, निवेश निर्णय के लिए कोयला खनन परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन, कोयला एवं लिग्नाइट, सीबीएम, सीएमएम आदि के लिए गवेशण, कैपिटल बजटिंग, पर्यावरणिक प्रभाव, मूल्यांकन, क्लाइमेंट चेंज से संबंधित मुद्दे, कोयला एवं लिग्नाइट के लिए भावी योजनाओं का विकास, कोल वाशिंग, कोयला गैसीसकरण, यूसीजी सहित क्लीन कोल टेक्नोलॉजी का विकास, कोयला निर्गमन के लिए आधारभूत संरचना का विकास आदि शामिल है। कोयले के विकास से संबंधित विभिन्न कमिटियों पर योजना आयोग एवं कोयलामंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया तथा प्रोफेशनल कार्य से उन्होंने आस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, यूके, यूएसए, बेल्जियम, फ्रांस, चीन, तुर्की, स्वीटजरलैंड आदि देशों का दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय फोरम में कोयला सेक्टर के मुद्दों और नीति पर अनेकों पेपर प्रस्तुत किया है। वे इंस्टीच्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), माइन्स, मेटल एवं जियोलॉजिकल इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया (एनएमजीआई) आदि जैसे व्यावसायिक निकायों

के सदस्य भी है। साथ हीवे सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड में डायरेक्टर भी है।

वे 27.01.2010 से सीएमपीडीआई के सरकारी अंशकालीन निदेशक हैं।

श्री चंदन कुमार डे (डीआईएन 03204505) निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड का जन्म दिनांक 10 सितम्बर, 1958 को कोलकाता में हुआ था। श्री डे ने 01.02.2013 से 28.02.2015 तक ईसीएल के निदेशक के रूप में अपनी सेवाएँ दी।

श्री डे ने 1975 में केंद्रीय विद्यालय से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की । और वर्ष 1978 में एकाउंटेंसी में कॉमर्स में आनर्स के साथ कलकत्ता यूनिवर्सिटी से स्नातक हैं। श्री डे चार्टर्ड एकाउंटेंट और कॉस्ट एकाउंटेंट हैं।

श्री डे को 34 वर्षों से अधिक लेवेस, डनलप इंडिया लिमिटेड, एनआईसीसीओ ग्रुप, बालमेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड सहित कई प्रतिष्ठित संगठनों में अपनी सेवाएँ दी हैं।

श्री डे को उनके प्रोफेशनल कैरियर के दौरान एकाउन्ट्स, ट्रेजरी, टैक्ससेसन ओर इंटरनल ऑडिट फंग्शन के हेड रहे और उन्होंने मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में सेवाएँ दी। यूनाइटेड किंगडम में चीफ आपरेटिंग ऑफीसर के रूप में बालमेर लॉरी (यूके) लिमिटेड के आपरेशनस श्री डे ने आफिसियल असाइनमेंट पर यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्वीटजरलैंड, यूएसए, हांगकांग, यूएई और सेंट्रल एि ायन रिपब्लिक जैसे विदेशों और भारत के भीतर यात्राएँ की हैं। श्री डे की रूचि पुस्तकें पढ़ने और गाने (म्यूजिक) में है।

वे दिनांक : 19.12.2016 से सीएमपीडीआई में सरकारी अंशकालीक निदेशक हैं।

श्री राजेन्दर प्रसाद (डीआईएन 07355787) वर्ष 1971 में सोनीपत के हिन्दु कॉलेज से स्नातक है। 1974 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी करने के बाद से अगस्त, 1975 में वकालत शुरू की। उन्होंने सिविल, क्रिमिनल, मैक्ट, रेवेन्यू और लेबर लॉ की प्रैक्टिस की एव बीएसटी गनौर रंग उद्योग जैसे जिला और राज्य स्तर के विभिन्न औद्योगिक संगठनों के ट्रेड तथा लेबर यूनियन के लिए अपनी सेवाएँ दी। उन्होंने प्रशासन के समक्ष गरीब, वंचित समाज के नीचे तबके के लोगों के अधिकारों और हक के लिए जोरदार आवाज उठाई तथा समुचित लीगल फोरम के समक्ष कानूनी सहायता भी दिया।

वर्ष 1981 में उनका चयन हरियाणा जुडिशियल सेवा के लिए हो गया और उन्होंने सब जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में ज्वाइन किया। फरवरी, 1988 में हरियाणा हायर जुडिशियल सर्विस में उनकी प्रोन्नति हुई तथा 06.03.2009 तक आडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज के रूप में पदस्थापित हुए। जुडिशियल सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम, कुरूक्षेत्र के प्रेसीडेंट के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। इस पद पर वे 05.03.2014 तक रहे। कुछ समय के लिए उन्हेंने प्रेसीडेंट डिस्ट्रीक्ट कंज्यूमर डिसप्यूट रेड्रेसल फोरम, करनाल में भी अपनी सेवाएँ दी।

उन्होंने ईमानदारी और निश्पक्ष रूप से न्याय प्रदान करते हुए 35 वर्षों से अधिक की सेवा जुडिशियल डिपार्टमेंट में दी। अपने जुडिशियल कैरियर के दौरान पूरे हरियाणा में विभिन्न जिलों में अपनी सेवाएँ दी। आपने सेवा अवधि के दौरान उन्हें माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से अनेकों प्रशंसा–पत्र मिला है। नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी और फारेसिंक साईंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भारत सरकार द्वारा आयोजित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (2003 तथा 2006) में क्रिमिनोलॉजी तथा फोरेंसिक साईंस (1994), मानव अधिकार में कोर्स पूरा कर प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है।

डिस्ट्रीक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रीड्रेसल फोरम के प्रेसीडेंट के रूप में उन्हें स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रीड्रेसल कमीशन, हरियाणा, पंचकुला द्वारा वर्ष 2011 में विशिष्ट सेवा प्रमाण–पत्र प्रदान

किया गया। पंचकुला में दिनांक– 09.01.2013 को आयोजित इनफोर्समेंट ऑफ कंज्यूमर एक्ट, 1986 के सिल्वर जुबिली सेलिब्रेशन के अवसर पर उन्हें विशिष्ट सेवा प्रमाण–पत्र पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिश ए.के.सिकरी द्वारा दिया गया। 2015 में, उन्हें स्टूडेंट इलेक्शन 2015 का न्यायिक जाँच के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखंड) द्वारा नियुक्त किया गया था। उन्हें दिनांक 17.11.2015 को सीएमपीडीआई के बोर्ड में गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक नियुक्त किया गया।

डा. देबाशीष गुप्ता (डीआईएन 03572010) कलकता विश्वविद्यालय से केमेस्ट्री में पीएचडी पूरा करने के बाद 1978 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए। उन्हें बिहार कैडर मिला। उन्होंने तत्कालीन बिहार और झारखंड में विभिन्न पदों पर रहकर कार्य किया तथा टेक्सटाइल मंत्रालय में भारत सरकार के साथ कार्य किए। उन्हें नेशनल जूट मैन्यूफेक्चरर कारपोरेशन लिमिटेड तथा जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया में अ.स. प्र. निदेशक (सीएमडी) के रूप में कारपोरेट का अनुभव है। उन्हें बिहार सरकार के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में सीएमडी तथा प्रशासक का भी कार्यानुभव है। वे डेवलपमेंट कमीशनर, झारखंड सरकार के पद से सेवा–निवृत हुए। सेवा–निवृत्ति के बाद वे वर्ष 2013–15 तक अध्यक्ष झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन रहे।

सीएमपीडीआईएल बोर्ड में उनकी नियुक्ति दिनांकः 17.11.2015 को गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप में हुई है।

श्री पीयूष कुमार (डीआईएन 07201444) ने 1993 में इंडियन स्कूल ऑफ माइन, धनबाद से रजत पदक के साथ खनन अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त किया है। इन्होंने डीजीएमएस से प्रथम श्रेणी खान प्रबंधन प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है और आईटी, बीएचयू से खान में रॉक मैकेनिक्स एवं पर्यावरण प्रबंधन में शॉट–टर्म पाठ्यक्रम भी किया है। अभी ये आईएसएम, धनबाद से पार्ट टाइम अनुसंधान कार्य कर रहे हैं।

इन्होंने विभिन्न क्षमताओं में सीसीएल के विविध खुली खदान तथा भूमिगत कोयला खान में कार्य किया है। वे सीबीएम, सीएमएम, वीएएम तकनीक अध्ययन हेतु यूएसए के लिए सीआईएल प्रतिनिधि–मण्डल के हिस्सा थे। ये जापान में वाशरी टेक्नोलॉजी एवं लॉग–वाल माइनिंग और जेनेवा, स्वीटजरलैंड में कोयला संसाधन के यूएनएफसी वर्गीकरण पर प्रशिक्षण भी लिया है। ये जापान, ईयू, रूस, बेलारूस, यूएस के साथ विविध कार्य समूह बैठकों और ऑस्ट्रेलिया में जी–20 बैठक में भारतीय दल के हिस्सा थे।

अभी ये कोयला मंत्रालय में निदेशक तकनीकी के पद पर हैं, जो कोल माइनिंग के सभी तकनीकी मामलों और संबंधित नितियों के लिए जिम्मेवार हैं तथा खनिज अन्वेशण निगम लिमिटेड के बोर्ड के सदस्य भी हैं।

ये 06.05.2016 से 18.6.2017 तक सीएमपीडीआई के बोर्ड के स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे। उन्हें 5.8.2016 से 08.06. 2017 तक बीसीसीएल के बोर्ड में अंशकालीक सरकारी निदेशक भी नियुक्त किए गए थे। कोयला मंत्रालय द्वारा 9.6.2017 से सीएमपीडीआई के बोर्ड में अंशकालीन सरकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं।

छ). सेक्शन 149 के उप-धारा (6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किए गए घोषणा पर विवरण

श्री राजेदर प्रसाद और डा. देबाशीष गुप्ता कंपनी के स्वतंत्र निदेशक हैं। दोनों स्वतंत्र निदेशक अपनी डॅयूटि करते हैं और घोषणा करते हैं कि वे वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उपधारा (6) के अनुसार वे स्वतंत्र निदेशक के मापदंड को पूरा करते हैं।

1.5.3 क). अंकेक्षण समिति :

अंकेक्षण समिति का मुख्य कार्य वित्तीय रिपोर्ट, वित्त से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की कंपनी की प्रणाली, लेखा तथा कंपनी का अंकेक्षक लेखा एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रोसेस का पुनरीक्षण करते हुए इसकी ओवर साइट उत्तरदायित्व पूरा करने में निदेशक मंडल को सहायता प्रदान करना है।

अंकेक्षण समिति अतिरिक्त अंकेक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करती है, सांविधिक अंकेक्षकों से मिलती है तथा उनकी उपलब्धियों, सुझावों और अन्य संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करती है एवं कंपनी द्वारा अपनाई गई मुख्य लेखा नीतियों की समीक्षा करती है।

ख). विचारार्थ विषय :

अंकेक्षण समिति की विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177के अनुसार है तथा भारी उद्योग मंत्रालय तथा पब्लिक इंटरप्राइजेज विभाग द्वारा जारी किये गए सीपीएसईएस के कारपोरेट–गवर्नेन्स पर आधारित दिशा–निर्देश के अनुसार है।

अंकेक्षण समिति का विचारार्थ विषय अन्य बातों के साथ–साथ संगठन के सभी व्यावसायिक पहलूओं को कवर करेगा।

i. बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के पहले वितीय विवरणों की समीक्षा करना।
ii. आंतरिक प्रणाली का नियतकालिक पुनरीक्षण।
iii. शासकीय अंकेक्षण तथा सांविधिक अंकेक्षण की रिपोर्ट का पुनरीक्षण।
iv. मानक पारामीटरों के साथ–साथ संचालनीय कार्य निष्पादन का पुनरीक्षण।
v. परियोजनाओं तथा अन्य पूँजीगत योजनाओं का पुनरीक्षण।
vi. आंतरिक अंकेक्षण उपलब्धि/अवलोकन का पुनरीक्षण।
vii. आनुपातिक तथा प्रभावी आंतरिक अंकेक्षण कार्य का विकास।
viii. बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए गए मुद्दों सहित किसी भी विषय का विशेष अध्ययन/जाँच।

ग). अंकेक्षक समिति का कार्य क्षेत्र :

अंकेक्षण समिति का कार्य क्षेत्र/भूमिका इस प्रकार है :

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को देखना तथा वित्तीय संरचनाओं का प्रकटीकरण, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय है।
2. ऑडिट फीस को निर्धारित करने के लिए बोर्ड को अनुशंसा करना।
3. सांविधिक अँकेक्षकों द्वारा प्रस्तुत किये गए अन्य सेवाओं के लिए अंकेक्षक, सांविधिक अंकेक्षकों के भुगतान का अनुमोदन करना है।
4. विशेष संदर्भ के साथ अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरणों का प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण करना।
   क) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) और 134(5) के संदर्भ में शामिल किए जाने वाला डायरेक्टर्स रिस्पांसबिलिटी स्टेटमेंट में शामिल होने वाले अपेक्षित मामले।
   ख) लेखा नीतियों तथा प्रैक्टिसेस में यदि कोई परिवर्त्तन हो तो उसका कारण।
   ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय पर आधारित आकलन से जुड़े मुख्य लेखा प्रविश्टि (इन्ट्री)।
   घ) अंकेक्षण निश्कर्श से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
   ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं (प्रयोज्य नियम, अधिनियम तथा कंपनी नीतियाँ) का अनुपालन।
   च) किसी भी संबंधित पार्टी मामलों का प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) तथा

छ) मसौदा अंकेक्षण रिपोर्ट में योग्यता।

5. अनुमोदन हेतु बोर्ड में प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरणों का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

6. आंतरिक अंकेक्षकों का कार्य निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

7. आंतरिक अंकेक्षण विभाग, ऑफिशियल होल्डिंग डिपार्टमेंट का स्टाफिंग तथा वरीयता रिपोर्टिंग संरचना कवरेज एवं आंतरिक अंकेक्षण की आवृति सहित, यदि कोई हो तो आंतरिक अंकेक्षण कार्य की उपयुक्तता की समीक्षा करना।

8. कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा उससे संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई हो तो आंतरिक अंकेक्षण तथा/अथवा अंकेक्षक के साथ विचार विमर्श करना।

9. ऐसे मामले जहाँ संदिग्ध, धोखाघड़ी अथवा अनियमितता अथवा आर्थिक प्रकृति के (मेटिरियल नेचर) के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता है तथा बोर्ड को रिपोर्टिंग करने के मामले में आंतरिक अंकेक्षकों/अंकेक्षकों एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच की उपलब्धियों की समीक्षा करना।

10. अंकेक्षण की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र के बारे में तथा इससे संबंधित किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए पोस्ट ऑडिट विचार–विमर्श, ऑडिट कामनसेंस के पहले सांविधिक अंकेक्षण के साथ विचार–विमर्श करना।

11. व्हिसिल ब्लोअर मैकेनिज्म की क्रियाशीलता की समीक्षा करना।

12. सीएजी ऑडिट के अंकेक्षण अवलोकन पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

13. स्वतंत्र अंकेक्षक, आंतरिक अंकेक्षक तथा बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के बीच सम्पर्क हेतु खुला मंच उपलब्ध कराना।

14. कंपनी के सभी संबंधित पार्टी मामलों की समीक्षा करना तथा अनुमोदित करना। इस उद्देश्य के लिए अंकेक्षण समित एक सदस्य को नामित कर सकता है, जो इन्स्टीच्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंड आफ इंडिया द्वारा जारी एकाउटिंग स्टैंडर्ड 18 में वर्णित पार्टी ट्रांजेक्शन से संबंधित पुनरीक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

15. कवरेज, अनावश्यक प्रयास में कमी तथा सभी आडिट संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल की संपूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु ऑडिट प्रयासों के स्वतंत्र ऑडिटर समन्वयन के साथ पुनरीक्षण करना।

16. कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण तथा सुरक्षा एवं संबंधित उपलब्धियों तथा स्वतंत्र अंकेक्षकों की अनुशंसाएँ तथा प्रबंधन प्रत्युत्तर के साथ अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए अथवा गतिविधियों के कार्यक्षेत्र पर किसी भी प्रतिबंध सहित अंकेक्षण के दौरान सामना की गई कठिनाइयों, महत्वपूर्ण उपलब्धियां एवं आंतरिक अंकेक्षक सहित इसका दायित्व प्रबंधन पर भी है।

17. अपेक्षित सूचना की अधिकता या क्रिया–कलापों की संभावना पर किसी प्रतिबंध सहित अंकेक्षण कार्य के दौरान पायी गई किसी कठिनाइयों तथा पूर्व के अंकेक्षण की अनुशंसाओं की स्थिति सहित विवेच्य वर्ष के दौरान महत्वपूर्व निष्कोर्शों के लिए प्रबंधन, आंतरिक अंकेक्षण तथा स्वतंत्र अंकेक्षक के साथ विचार–विमर्श करना तथा समीक्षा करना।

18. डिपोजिटर्स, डिवेंचर धारकों, शेयर होल्डरों (घोषित लाभांश के नन पेमेंट के मामले में) को भुगतान में पर्याप्त त्रुटि के कारणों का पता लगाना।

19. पब्लिक अंडरटेकिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट (कोपू) पर गठित कमेटी की अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई का अनुसरण कर समीक्षा करना।

20. अंकेक्षण कमेटी के विचाराधीन विषयों में उल्लिखित किसी अन्य कार्य को सम्पादित करना।

घ). अंकेक्षक समिति की शक्तियाँ :

अंकेक्षक समिति की शक्तियाँ निम्नलिखित के अनुरूप होगी :

i. विचारार्थ विषय के अंतर्गत किसी भी गतिविधियों की जाँच करना।

ii. किसी भी कर्मी से सूचना माँगना।

iii. बाह्य कानूनी तथा व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना।

iv. यदि विचार करना आवश्यक हो तो संबंधित विशेषज्ञता के साथ बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

v. व्हिसिल ब्लोअर्स की रक्षा करना।

vi. अंकेक्षकों की स्वतन्त्रता पर बल देते हुए हितों के टकराव को रोकना।

vii. आंतरिक नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन की प्रभावकारिता सुनिश्चित करना।

ङ). अंकेक्षण समिति द्वारा सूचना की समीक्षा :

अंकेक्षण समिति निम्नलिखित सूचनाओं की समीक्षा करेगीः

i. वित्तीय स्थिति तथा कार्य के परिणामों पर प्रबंधन के साथ मिलकर विचार–विमर्श तथा विश्लेषण।

ii. प्रबंधन द्वारा सुपुर्द पार्टी लेनदेन से संबंधित विवरण।

iii. सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा जारी कमियों पर आंतरिक नियंत्रण का पत्र/प्रबंधन का पत्र।

iv. इंटरनल कंट्रोल विकनेसेज से संबंधित आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्ट।

v. मुख्य आंतरिक अंकेक्षकों की नियुक्ति तथा पदच्युति को अंकेक्षण समिति के समक्ष रखना तथा,

vi. मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरण का प्रमाणन/घोषणा।

च). गठन :

अंकेक्षण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं तथा इसकी अध्यक्षता गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) द्वारा की जाती है।

क्र. सं.	निदेशक के नाम	स्थिति	
1.	डा. देबाशीष गुप्ता	अध्यक्ष (01.11.2016 से तथा 30.12.2015 से 31.10.2016 तक सदस्य	स्वतन्त्र निदेशक
2	श्री आर.के.मित्तल	अध्यक्ष (27.01.2014 से 31.10.2016 तक)	स्वतन्त्र निदेशक
3.	श्री आर. प्रसाद	सदस्य – (30.12.2015 से)	स्वतन्त्र निदेशक
4.	श्री डी.एन.प्रसाद	सदस्य – (28.01.2011 से)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
5.	श्री सी.के.डे	सदस्य – (10.01.2017 से)	सरकारी अंशकालीन निदेशक
6.	श्री एन.कुमार	सदस्य – (04.09.2013 से 17.10.2016 तक)	सरकारी अंशकालीन निदेशक
7.	श्री वी.के.सिन्हा	सदस्य – (29.10.2015 से)	निदेशक (तकनीकी)

महाप्रबंधक (वित्त), मुख्य प्रबंधक (आंतरिकअंकेक्षण) तथा सांविधिक अंकेक्षक को आडिट कमिटि की बैठक में आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव होते हैं। समिति को आवश्यक स्पष्टीकरण देने के लिए, जब और जहाँ जरूरत हो, वरीय कार्यकारी अधिकारी को भी बुलाया जाता है। अंकेक्षण विभाग आडिट कमिटि की बैठक को आयोजित और संपन्न करने के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध करता है।

छ). बैठक एवं उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान छह बैठकें आयोजित की गई। ये बैठकें क्रमशः दिनांक : 25.05.2016, 02.09. 2016, 28.10.2016, 16.11.2016, 29.12.2016 तथा 30.01.2017को आयोजित की गई थी। सदस्यों द्वारा भाग लिए गए अंकेक्षण समिति की बैठक का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र.सं.	निदेशक के नाम	स्थिति	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	डा. देबाशीष गुप्ता	अध्यक्ष (01.11.2016 से तथा 30.12.2015 से 31.10.2016 तक सदस्य थे)	6
2.	श्री आर.के.मित्तल	अध्यक्ष (27.01.2014 से 31.10.2016 तक)	3
3.	श्री आर. प्रसाद	सदस्य – (30.12.2015 से)	6
4.	श्री डी.एन.प्रसाद	सदस्य – (28.01.2011 से)	3
5.	श्री सी.के.डे	सदस्य – (10.01.2017 से)	1
6.	श्री एन.कुमार	सदस्य – (04.09.2013 से 17.10.2016 तक)	2
7.	श्री वी.के.सिन्हा	सदस्य – (29.10.2015 से)	6

1.5.4 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

निगमित शासन के सर्वोत्तम कार्य करने तथा कारपोरेट गवर्नेन्स के गाइड लाइन को पूरा करने एवं स्टॉक एक्सचेंज के साथ कोल इंडिया लिमिटेड करार की लिस्टिंग करवाने के लिए दिनांकः 30.12.2015 को आयोजित बोर्ड की 191वीं बैठक में सीएमपीडीआईएल के नामांकन एवं पारिश्रमिक कमिटि का गठन किया गया।

क) गठन

नोमिनेशन एंड रिमुनरेशन कमिटि में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं और इसकी अध्यक्षता गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) द्वारा की जाती है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	
1.	श्री आर. प्रसाद	अध्यक्ष (30.12.2015 से)	स्वतन्त्र निदेशक
2.	श्री डी.एन.प्रसाद	सदस्य – (30.12.2015 से)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
3.	श्री एन. कुमार	सदस्य – (30.12.2015 से 17.10.2016 तक)	सरकारी अंशकालीन निदेशक
4.	श्री राकेश कु. मित्तल	सदस्य – (30.12.2015 से 31.10.2016 तक)	स्वतन्त्र निदेशक
5.	डा. देबाशीष गुप्ता	सदस्य – (30.12.2015 से)	स्वतन्त्र निदेशक
6.	श्री विनय दयाल	स्थायी आमंत्रित (30.12.2015 से 28.10.2016 तक)	निदेशक (तकनीकी)
7.	श्री ए.के.चक्रवर्त्ती	स्थायी आमंत्रित (28.10.2016 से)	निदेशक (तकनीकी)

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे तथा विभागाध्यक्ष (पीएंडए) कमिटि को सभी सेवाएँ प्रदान करने के लिए नोडल अधिकारी हैं।

(ख) बैठक एवं उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

1.5.5 सीएसआर कमिटी

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सस्टेनेबिलिटि कंपनी की अपने स्टेक होल्डरों के लिए वचनबद्धता है, जिसमें कंपनी आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणिक रूप से सस्टेनेबल तरीके से व्यापार सम्पन्न करने से संबंधित है, जो पारदर्शी तथा नीतिपरक हो। स्टेक होल्डरों में कर्मचारी, निदेशक, शेयर होल्डर, ग्राहक, बिजनेस पार्टनर, सिविल सोसायटी ग्रुप, सरकार तथा गैर–सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय, पर्यावरण एवं बड़े पैमाने पर समाज शामिल है।

प्रत्येक सीपीएसईएस में बोर्ड स्तर की एक समिति होनी चाहिए जिसकी अध्यक्षता या तो अध्यक्ष तथा/अथवा प्रबंध निदेशक अथवा एक स्वतंत्र निदेशक करते हैं और ये 1.4.2013 के तत्काल प्रभाव से डीपीई द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार इच्छित दिशा में कंपनी–बोर्ड के इस एजेंडा को लागू करने और नीति तथा रणनीति बनाने के लिए निदेशक मंडल को सहयोग एवं कंपनी के सीएसआर तथा सस्टेनेबल नीति को कार्यान्वित करते हैं। दिशा–निर्देशों में, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सस्टेबिलिटि, एमओयू में गैर–वित्तीय परामीटरों के तहत एक आवश्यक घटक के रूप में शामिल किया जा चुका है।

इसी दिशा–निर्देशों के अनुरूप बोर्ड ने दिनांक 10.5.2013 को आयोजित अपनी 172वीं बैठक में सीएसआरएंड सस्टेनेबिलिटी कमिटि का गठन किया है।

गठन :

सीएसआर कमिटि में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं तथा इसकी अध्यक्षता एक गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) करते हैं।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	
1.	श्री आर. प्रसाद	अध्यक्ष (01.11.2016 से)	स्वतन्त्र निदेशक
2.	श्री राकेश कु. मित्तल	अध्यक्ष (27.01.2014 से 31.10.2016 तक)	स्वतन्त्र निदेशक
3.	श्री बी.एन. शुक्ला	सदस्य– (30.12.2015 से 16.08.2016 तक)	निदेशक (तकनीकी)
4.	श्री विनय दयाल	सदस्य– (30.12.2015 से)	निदेशक (तकनीकी)
5.	श्री ए.के.चक्रवर्त्ती	सदस्य– (28.10.2016 से)	निदेशक (तकनीकी)

बैठक एवं उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान दिनांक 24.05.16 तथा 16.11.2016 को दो बैठकें आयोजित की गई।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	बैठकों की संख्या
1.	श्री आर. प्रसाद	अध्यक्ष (01.11.2016 से)	1
2.	श्री राकेश कु. मित्तल	अध्यक्ष (27.01.2014 से 31.10.2016 तक)	1
3.	श्री बी.एन. शुक्ला	सदस्य– (30.12.2015 से 16.08.2016 तक)	शून्य
4.	श्री विनय दयाल	सदस्य– (30.12.2015 से)	2
5.	श्री ए.के.चक्रवर्त्ती	सदस्य– (28.10.2016 से)	1

1.5.6 निदेशकों का पारिश्रमिक

सभी निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पूर्णकालिक निदेशकों का अनुबंध एवं शर्त तथा पारिश्रमिक कंपनी/कोल इंडिया लिमिटेड के संस्था संलेख (आर्टिकल आफ असोशिएशन) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

क) कार्यकारी निदेशक

कंपनी के कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :–

नाम	पदनाम	छूट्टी नकदीकरण सहित कुल वेतन एवं भत्ता	पर्क्स	एचआरए	सीएमपीएफ नियोजक का अंशदान	पीआरपी की अग्रिम	कुल	एलटीसी एवं चिकित्सा खर्च
श्री शेखर सरन	अ.स.प्र.निदेशक	2104336.00	418463.00	0.00	252014.00	1698282.00	4473095.00	224597.00
श्री वी.के.सिन्हा	निदेशक (तक)	2345340.00	401703.00	0.00	281622.00	1451723.00	4480388.00	339969.00
श्री बिनय दयाल	निदेशक (तक)	2134770.00	409500.00	180000.00	234090.00	1620227.00	458587.00	73439.00
श्री ए.के.चक्रवर्त्ती	निदेशक (तक)	1531931.85	237736.00	0.00	183538.00	1573282.00	3526487.85	31807.00
श्री बी.एन. शुक्ला	निदेशक (तक)	803953.00	163540.00	0.00	96254.00	0.00	1063747.00	76929.00

ख) अंशकालिक सरकारी निदेशक :

सीएमपीडीआईएल द्वारा अंशकालिक सरकारी निदेशकों को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। श्री डी.एन.प्रसाद, सलाहकार (परियोजना) कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से मनोनीत निदेशक हैं। कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उन्हें पारिश्रमिक दिया जा रहा है। श्री सी.के.डे, निदेशक (तकनीकी), कोल इंडिया, कोलकाता द्वारा 29.12.2016 से 17.10.2016 तक नामित किया गया था तथा उनका पारिश्रमिक क्रमशः कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिया जा रहा है।

ग) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक :

कंपनी के गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों को बोर्ड में उपस्थित होने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित सीलिंग के भीतर कोल इंडिया बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर दिया जाने वाला सीटिंग फीस को छोड़कर कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों के लिए भुगतान किए जा रहे सिटिंग फीस का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र. सं.	नाम	उपस्थिति के लिए भुगतान किया गया फिस		कुल (₹)
		बोर्ड की बैठक (₹)	समिति की बैठक (₹)	
1.	श्री आर.के.मित्तल	95,0000.00	1,10,000.00	2,05,000.00
2.	श्री राजेन्दर प्रसाद	1,75,000.00	2,15,000.00	3,90,000.00
3.	डा. देबाशीष गुप्ता	1,75,000.00	1,95,000.00	3,70,000.00

1.5.7 (1) वार्षिक आम बैठक :

विगत तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठक का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण	वर्ष 2013-14 39वीं एजीएम	वर्ष 2014-2015 40वीं एजीएम	वर्ष 2015-2016 41वीं एजीएम
तिथि	10.6.2014	22.06.2015	27.06.2016
समय	11.00 पूर्वाह्न	11.30 पूर्वाह्न	10.30 पूर्वाह्न
स्थान	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची–834031, झारखंड	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची–834031, झारखंड	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची–834031, झारखंड
विशेष संकल्प	शून्य	शून्य	शून्य

1.5.7 (2) असाधारण आम बैठक

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17
तिथि	27.3.2015	शून्य	शून्य
समय	11.00 बजे पूर्वाह्न		
स्थान	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची, झारखंड–834031		
विशेष संकल्प	नहीं		

1.5.7 (3) स्वतंत्र निदेशकों की बैठक :

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों को निम्नलिखित पर विचार–विमर्श करने के लिए वर्ष में कम–से–कम एक बैठक में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है :

क) गैर–स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड का संपूर्ण रूप से कार्य निश्पादन की संवीक्षा करना।

ख) कार्यकारी निदेशक और गैर–कार्यकारी निदेशक से कंपनी के चेयरपर्सन के बारे में विचार लेके संवीक्षा करना।

ग) कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और टाइम लाइन का मूल्यांकन करना जो कि बोर्ड के लिए प्रभावपूर्ण और समुचित अपनी डयूटी कर सके, के लिए आव यक है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की दो बैठकें दिनांक 27.06.2016 तथा 28.10.2016 को हुई। स्वतंत्र निदेशकों द्वारा बैठक में भाग लेने का विस्तृत विवरण इस प्रकार है

क्र.सं.	निदेशक का नाम	बैठकों में भाग लेने की संख्या
1.	श्री आर.के. मित्तल	2
2.	डा. देबाशीष गुप्ता	2
3.	श्री राजेन्दर प्रसाद	2

1.5.8 प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर)

- **मैटेरियली सिग्नीफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्शन :**

कंपनी ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों अथवा वरीय प्रबंधन कर्मियों या उनके संबंधियों के साथ किसी भी पार्टी मामलों (ट्रांजेक्शन) से संबंधित किसी भी विषय की दृष्टि से (मेटेरियली

सिग्नीफिकेंट) में प्रवेश नहीं किया है, जिससे कि बड़े पैमाने पर कंपनी की संभावित रूचि हो।

सम्बद्ध पार्टी सहित किसी संविदा या व्यवस्था के संबंध में वर्ष 2016–17 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठक में कोई एजेंडा पेश नहीं किया गया।

संबंधित पार्टी के लेन–देन संबंधी नीति के अनुसार किसी भी दो सरकारी कंपनी तथा नियंत्रक कंपनी एवं उसकी अनुशंगी कंपनी के बीच लेन–देन में छूट है।

धारा 188(।) के तहत पार्टी से संबंधित कंट्रेक्ट या एरेंजमेंट को परिशिष्ट–viii में संलग्न किया जाता है।

- **कंपनी द्वारा नियमों/कानून के अनुपालन का विस्तृत विवरण**

  कंपनी के लिए लागू विभिन्न प्रकार के नियमों के अनुपालन की यह कम्पनी मानिटरिंग कर रही है तथा गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों से संबंधित किसी भी विषय पर किसी भी ऑथरिटी द्वारा कंपनी पर आरोपित संरचना तथा वर्त्तमान में कंपनी द्वारा गैर–अनुपालन के लिए कोई भी विपरीत मामला नहीं है।

- **व्हिसिल ब्लोअर नीति के अनुसार अंकेक्षण समिति तक पहुँच**

  यह नीति प्रबंधन तथा अंकेक्षण समिति को गैर–नीतिपरक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध, धोखाघड़ी, अथवा कंपनी के कोड आफ कंडक्ट का उल्लंघन के उदाहरण की रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों को अवसर उपलब्ध कराती है।

  व्हिसिल ब्लोअर नीति के अनुसार किसी भी कर्मी द्वारा अंकेक्षण समिति तक पहुँच को नकारा नहीं गया है। विवेच्य वर्ष के दौरान व्हिसिल ब्लोअर नीति के अंतर्गत कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है।

- **कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशा-निर्देशों का अनुपालन**

  निदेशक मंडल, अंकेक्षण समिति, प्रकटीकरण, कोड आफ कंडक्ट इत्यादि के संबंध में इन दिशा–निर्देशों का पालन किया जाता है। तथापि, पारिश्रमिक समिति, अनुषंगी कंपनियों, प्रशिक्षण नीति इत्यादि पर दिशा–निर्देशों का अनुपालन कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों द्वारा किया जाता है, इसका अनुपालन सीएमपीडीआई द्वार भी किया जाता है। कारपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन के संबंध में पूर्णकालिक कंपनी के अंकेक्षक से एक प्रमाण–पत्र इसके साथ परिशिष्ट–iv में संलग्न है। तीन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्तिएमओसी द्वारा किया जाना है। सीएमपीडीआईएल ने कोल इंडिया/एमओसी को स्वतंत्र निदेशकों की लंबित नियुक्ति की स्थिति से अवगत करा दिया है।

- **इन्टीग्रिटी पैक्टएवं आईईएम**

  कंपनी के पास अपने व्यापारिक ट्रान्जेक्शन, संविदा, प्राप्ति प्रक्रिया में प्रबंधन में पारदर्शिता संवृद्धि पर जोर देते हुए इंटिग्रिटि पैक्ट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ समझौता संलेख (एमओयू) किया हुआ है। इस समझौता संलेख (एमओयू) के अंतर्गत कंपनी अपने सभी प्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) तथा वर्क कांट्रेक्ट कार्यों में इंटिग्रीटि पैक्ट कार्यान्वित करने हेतु वचनबद्ध है। दो स्वतंत्र बाह्य मोनिटर्स केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से ही टीआईआई द्वारा नामजद व्यक्ति इसकी गतिविधियों का मॉनीटर करते हैं। इन्टीग्रेटी पैक्ट ने ट्रस्ट स्थापित कर स्थापना प्रणाली एवं प्रक्रिया को सशक्त किया है तथा जिसे सीवीसी का पूरा सर्पोट है।

- **सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण**

  कंपनी के अध्यक्ष तथा महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी

के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर को ''सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण'' प्रदान कर दिया है जिसे डाईरेक्टरों की रिपोर्ट के परिशिष्ट–।। के रूप में लगाया गया है।

- **निदेशकों तथा वरीय अधिकारियों के लिए आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट)**

कंपनी के निदेशकों तथा वरीय अधिकारियें के लिए आचार संहिता बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है, जिसे सभी संबंधित व्यक्तियों के मध्य परिचालित कर दिया गया है, तथा कंपनी के वेबसाइट www.cmpdi.co.in में भी डाल दिया गया है। 31 मार्च, 2017को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक तथा वरीय प्रबंधन कार्मिक ने कंपनी के आचार संहिता के प्रावधानों के अनुपालन का समर्थन किया है।

- **किए गए खर्च का व्यौरा**

बुक आफ एकाउन्ट में व्यय के किसी वैसे मद को डेबिट नहीं किया गया है जो निजी प्रकृति के हैं तथा निदेशक–मंडल और भीर्श प्रबंधन पर खर्च किया गया है।

- **राष्ट्रपति का निर्देश**

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान सीएमपीडीआईएल के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई प्रेसिडेसियल निर्देश जारी नहीं किया गया है।

- **वार्षिक रिटर्न**

वार्षिक रिटर्न नियमित रूप से आरओसी के पास जमा किया जा रहा है। वर्ष 2015–16 के लिए वार्षिक रिटर्न आरओसी के पास दिनांक 09.08.2016 को भरा गया तथा वर्तमान वर्ष 2016–17 का आरओसी के पास जमा किया जा रहा है। फार्म नंबर एमजीटी–9 में वार्षिक रिटर्न का सारांश इस रिपोर्ट के परिशिष्ट–III के रूप में दिया गया है।

1.5.9 संचार के साधन

कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट आम बैठक तथा डिसक्लोजर अपने वेबसाइट, कार्यालयी पत्रिका गोंदवाना भारती, माइनटेक, प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों तथा स्थानीय दैनिक के माध्यम से अपने शेयर होल्डरों के साथ संप्रेषण करती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त वार्षिक रिपोर्ट एवं कंपनी का तिमाही परिणाम तथा महत्वपूर्ण घटनाओं को कंपनी की वेबसाइट यानि www.cmpdi.co.in पर उपलब्ध करा दिया गया। कंपनी से संबंधित अद्यतन जानकारी तथा घोषणाएँ कंपनी की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। कंपनी की उपलब्धियों से आम लोगों को अवगत कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जा रही है।

1.5.10 अंकेक्षण योग्यता

कंपनी का प्रयास हमेशा से अनक्वालिफायड वित्तीय विवरण पेश करने का रहा है। 31 मार्च, 2017को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लेखे पर सांविधिक अंकेक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब निदेशक मंडल की रिपोर्ट के परिशिष्ट–vii के रूप में दी गई है।

1.5.11 बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

कंपनी के व्यवसाय से संबंधित सभी मामले, इसके संबंधित जोखिम तथा कंपनी की भावी रणनीति आदि के सार (संक्षिप्त विवरण) से निदेशक–मंडल को पूर्णतः अवगत करा दिया जाता है।

सभी कार्यकारी निदेशक संबंधित क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता तथा अनुभव के आधार पर संबंधित कार्य क्षेत्र के प्रमुख होते हैं। वे कंपनी के बिजनेस माडल तथा जोखिमों से अवगत होते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों को निगमित शासन के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित किया जाता है। सभी सरकारी निदेशकों की कोल इंडिया लिमिटेड की पॉलिसी के अनुसार भारत और विदेश दोनों के लिए स्पांसर किया जाता है। कंपनी में नव–नियुक्त निदेशकों को कंपनी

के कंस्टीच्यूशन, विजन एवं मिशन स्टेंटमेंट, मुख्य क्रिया–कलाप, बोर्ड की प्रक्रिया/पद्धति, रणनीतिक दिशा–निर्देश के विस्तृत प्रजेन्टेशन, विचार–विमर्श आदि के माध्यम से पूर्णतः अवगत कराया जाता है।

1.5.12 व्हिसिल ब्लोअर नीति

कंपनी के कर्मचारियों के नैतिक आचरण को सशक्त करने तथा विभिन्न स्टेक होल्डरों के हितों को प्रोत्साहित करने के लिए सीएमपीडीआई में 2011–12 में व्हिसिल ब्लोअर नीति लागू की गई तथा दिनांक 8.11.2011 को आयोजित 163वीं बैठक में बोर्ड को इससे अवगत करा दिया गया।

यह नीति वास्तविक या संदिग्ध अनैतिक आचरण, कंपनी की आचार संहिता के साथ धोखाघड़ी या इसका उल्लंघन के मामले को प्रबंधन के पास रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों को अवसर प्रदान करता है। सूचीबद्ध कंपनी तथा स्टाक एक्सचेंज के बीच लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 49 में संशोधन किया गया है तथा यह 4 नवम्बर, 2010 से लागू हो गया है। खंड 49 में अन्य बातों के साथ–साथ ''व्हिसिल ब्लोअर नीति'' नामक मेकानिज्म स्थापित करने के लिए सभी सूचीबद्ध कंपनियों को नन मेंडेटरी रिक्वायरमेंट प्रदान करता है। यह प्रतिशोध या उत्पीड़न से कर्मचारियों को बचाने में आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। तथापि, इस नीति के अंतर्गत व्हिसिल ब्लोअर द्वारा किए गए खराब कार्य निष्पादन या कदाचार, जो व्हिसिल ब्लोअर द्वारा किए गए स्पष्टीकण से अलग हो, के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई को इसके तहत संरक्षण नहीं दिया जाएगा।

आंतरिक अंकेक्षण विभाग द्वारा इस आशय का एक प्रमाण पत्र दिया गया कि अंकेक्षण समिति के समक्ष पहुँच से व्हिसिल ब्लोअर को रोका नहीं गया।

1.5.13 जोखिम प्रबंधन प्रणाली

जोखिम प्रबंधन कमिटि का गठन दिनांक : 02.02.16 को आयोजित सीएमपीडीआईएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में किया गया है।

क). गठन :

जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं, जिसकी अध्यक्षता गैर–सरकारी अंशकालीन निदेशक करते हैं :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	
1.	डा. देबाशीष गुप्ता	अध्यक्ष (28.06.2016 से प्रभावी)	स्वतन्त्र निदेशक
2.	श्री राजेन्दर प्रसाद	सदस्य (28.06.2016 से प्रभावी)	स्वतन्त्र निदेशक
3.	श्री वी.के.सिन्हा	सदस्य (02.02.2016 से प्रभावी)	निदेशक (तकनीकी)
4.	श्री विनय दयाल	सदस्य (28.06.2016 से प्रभावी)	निदेशक (तकनीकी)

ख). बैठक एवं उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान दिनांक 02. 09.2016 और 10.03.2017 को दो बैठकें हुई। जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में उपस्थित सदस्य निम्नलिखित हैं :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	बैठक में उपस्थिति की संख्या
1.	डा. देबाशीष गुप्ता	अध्यक्ष (28.06.2016 से प्रभावी)	2
2.	श्री राजेन्दर प्रसाद	सदस्य (28.06.2016 से प्रभावी)	2
3.	श्री वी.के.सिन्हा	सदस्य (02.02.2016 से प्रभावी)	2
4.	श्री विनय दयाल	सदस्य (28.06.2016 से प्रभावी)	2

जोखिम प्रबंधन समिति ने जोखिम उप–समिति का गठन किया है और उप–समिति का गठन 31 मार्च, 2017 को

1. मुख्य जोखिम अधिकारी :

श्री पराग मजुमदार, महाप्रबंधक (ईएंडएम)

2. जोखिम उप-समिति (आरएससी) अर्थात्-सीआरओ का दलः

क) श्री बी. भट्टाचार्य, विभागाध्यक्ष (एमएसडी)

ख) श्री आनन्दजी प्रसाद, मुख्य प्रबंधक (खनन/यूएमडी)

ग) श्रीमती सुचन्द्रा सिन्हा, वरीय प्रबंधक (ईएंडएम)

घ) श्री यू.चटर्जी, वरीय प्रबंधक (वित्त) और

ड.) श्रीमती स्वाति, वरीय अधिकारी (कार्मिक/पीएंडए)

1.5.14 इनसाइडर ट्रेडिंग से बचाव के लिए आंतरिक प्रक्रिया और आचार संहिता का कोडः

नियंत्रक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने अप्रकाशित मूल्य संवेदी जानकारी के आधार पर किसी इनसाइडर द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के शेयरों की खरीद और/या बिक्री को रोकने के उद्देश्य से इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने तथा कोल इंडिया लिमिटेड की प्रतिभूति से डील करने के लिए आंतरिक प्रक्रिया को कोड संहिता को अपनाया है। यह संहिता (केस) सीएमपीडीआई द्वारा भी अपनाई गई है। इस संहिता के तहत वैसे इनसाइडरों को डिजिग्नेटेड कर्मचारी का नाम दिया गया है, जो ट्रेडिंग बिन्डों के बंद होने के दौरान सीआईएल के शेयरों से डील करने से रोके जाते हैं। विहित सीमा से अधिक प्रतिभूति डील करने के लिए अनुपालन अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। जैसा कि संहिता में परिभाषित है, सभी डिजिंग्नेट कर्मचारी को नियमित रूप से संबंधित जानकारी प्रकट करना आवश्यक है। इस कोड के लिए कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी नामित किया गया है। इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए आंतरिक प्रक्रिया तथा आचार संहिता को भी सीएमपीडीआई के वेब साइट के इन्ट्रानेट पर डाल दिया गया है।

1.5.15 निदेशकों का दायित्व

आगामी वित्तीय वर्ष आरंभ होने के पहले डीपीई दिशा–निर्देश में दिए गए प्रावधान के अनुसार सीएमपीडीआई के प्रबंधन तथा कोल इंडिया/कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के बीच समझौता संलेख (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौता के अंतर्गत यह कंपनी वर्ष के प्रारंभ में सेट किए गए टारगेट को हासिल करने के लिए वचनबद्ध है तथा इसमें निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले वर्ष के अंत में सीएमपीडीआई के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना निहित है। यह ''फाइव प्वाइंट स्केल'' तथा ''क्राइटेरिया वेट'' की पद्धति को अपनाकर कार्य करता है, जिसके परिणामस्वरूप ''कम्पोजिट स्कोर'' की गणना की जाती है। ''कम्पोजिट स्कोर'', कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से डीपीई तथा प्रशासनिक मंत्रालय को अनुसमर्थन के लिए भेजा जाता है।

समझौता संलेख सिस्टम दक्षतापूर्वक काम करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि वित्तीय एवं गैर–वित्तीय दोनों प्रकार के (डायनेमिक, क्षेत्र विशिष्ट तथा उद्यम विशिष्ट पारामीटर) पारामीटरों की विविधता है। इस प्रक्रिया से दीर्घकालीन उद्देश्य तथा संपूर्ण विकास प्राप्त करने में अधिक मदद मिलती है। संपूर्ण प्रक्रिया से स्टेक होल्डरों के प्रति पारदर्शिता तथा उत्तदायित्व भी सुनिश्चित किया जाता है।

1.5.16 निगमित शासनके अनुपालन की त्रैमासिक रिपोटिंग पद्धति

अपने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को सीपीएसई द्वारा रिपोर्ट करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक त्रैमासिक रिपोर्टिंग पद्धति का विकास किया गया है। इसके अनुपालन में सीएमपीडीआई द्वारा कोयला मंत्रालय को नियमित रूप से तथा समय पर तिमाही रिपोर्ट भेजी जाती रही है।

1.5.17 की–मैनेजेरियल पर्सनल

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 के प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित की–मैनेजेरियल पर्सनल हैं :

श्री शेखर सरन, सीईओ

श्री डी.के.राव, मुख्य वित्त अधिकारी

श्री अभिषेक मुंधड़ा, कंपनी सचिव

1.6.0 सीएमपीडीआई में सीएसआर इनिसियेटिव

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) तथा सस्टेनेब्लिटी आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरण के अनुकूल ढंग से कार्य, जो पारदर्शी तथा नैतिक हो, करने के लिए अपने स्टेक होल्डरों के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता है। सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी क्षमता निर्माण, सामुदायिक

अधिकारिता, समावेशी, सामाजिक आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित एवं कम ऊर्जा खपत वाली प्रौद्योगिकी का उन्नयन, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, तथा समाज के सीमांत तथा अर्ध–सुविधायुक्त तबकों की उन्नति आदि पर विशेष जोर देता है।कंपनी ने दिनांक : 27.02.2014 को मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स, भारत सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन तथा डीपीई की गाइड लाइन और कंपनी अधि ानियम 2013 के धारा 135 तथा उसके तहत बने नियम के अनुसार स्वयं की सीएसआर नीति बनाई है।

सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी खनन उद्योग के लिए न सिर्फ जोखिम लाता है बल्कि यह अवसर का समूह भी सृजित करता है। सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी कंपनी को परिचालन, सस्टेनेबुल डेवलोपमेंट में सार्थक योगदान सुनिश्चित करता है। सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी के प्रति सामाजिक दायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दुहराता है। नीतियों एवं कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सीएमपीडीआई में ''टू–टीयर डिसिजन मेकिंग कमिटि'' का गठन किया गया है।

अपने व्यापार की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखकर, सीएमपीडीआई ने वर्ष 2016–17 के दौरान सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी क्रिया–कलाप प्रारंभ किया है, जिसे रिपोर्ट के भाग ''ख'' में देखा जा सकता है।

1.7.0 वार्षिक रिटर्न का सार

धारा 92 (3) के अनुसार वार्षिक रिटर्न का सार विस्तृत विवरण के साथ फार्म सं.–एमजीटी–9 में कंपनी निबंधक (आरओसी) के पास जमा किया जा रहा है, जिसे इस रिपोर्ट को परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया गया है। (परिशिष्ट–III)

1.8.0 ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय को निदेशक मंडल की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया गया है। (परिशिष्ट– ।)

1.9.0 बोर्ड की समिति तथा निदेशकों के कार्य-निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन

सूचीबद्ध कंपनी या गत वर्ष के अंत में परिकलित प्रदत्त पूँजी 25 करोड़ रू. या उससे अधिक रखने वाली अन्य सार्वजनिक कंपनी के मामले में कंपनीज (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 8 तथा धारा– 134 (3) (पी) के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में एक विवरण के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें उस ढंग को दर्शाया गया है, जिसमें बोर्ड द्वारा अपनी उपलब्धि तथा इसकी समिति की उपलब्धि तथा प्रत्येक निदेशक की उपलब्धि को दर्शाया गया है।

सीएमपीडीआईएल की प्रदत्त शेयर पूँजी 19.04 करोड़ रू. है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में दर्ज की है तथा किसी अन्य स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है एवं तद्नुरूप कंपनी को अपने निदेशक मंडल, समिति तथा प्रत्येक निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं है।

बोर्ड द्वारा वार्षिक मूल्यांकन तथा अपना एवं प्रत्येक निदेशकों का कार्य निष्पादन कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के तीन महीने से अधिक की अवधि तक तीन नियुक्ति न होने के कारण नहीं किया जा सका। हालाँकि, नियंत्रक कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनी के लिए कोल इंडिया द्वारा बनाई जाने वाली नीति के आधार पर वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा।